ग्रामीण विकास
को समर्पित

# कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 54 अंक : 10 अगस्त 2008 मूल्य : 10 रुपये

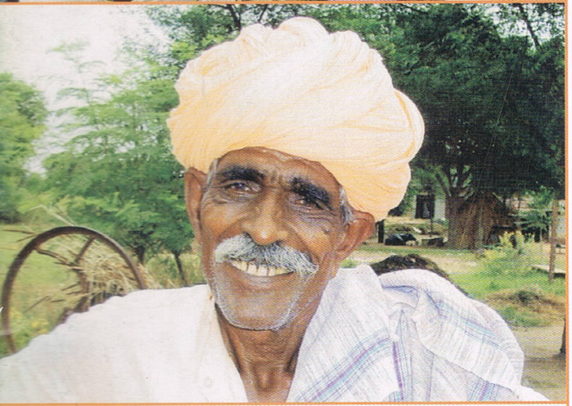

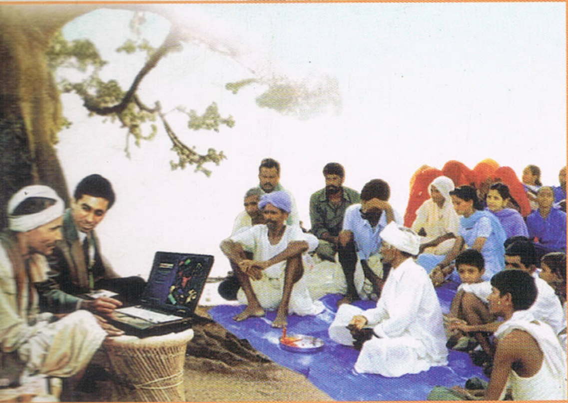

## पंचायती राज विकास का राज

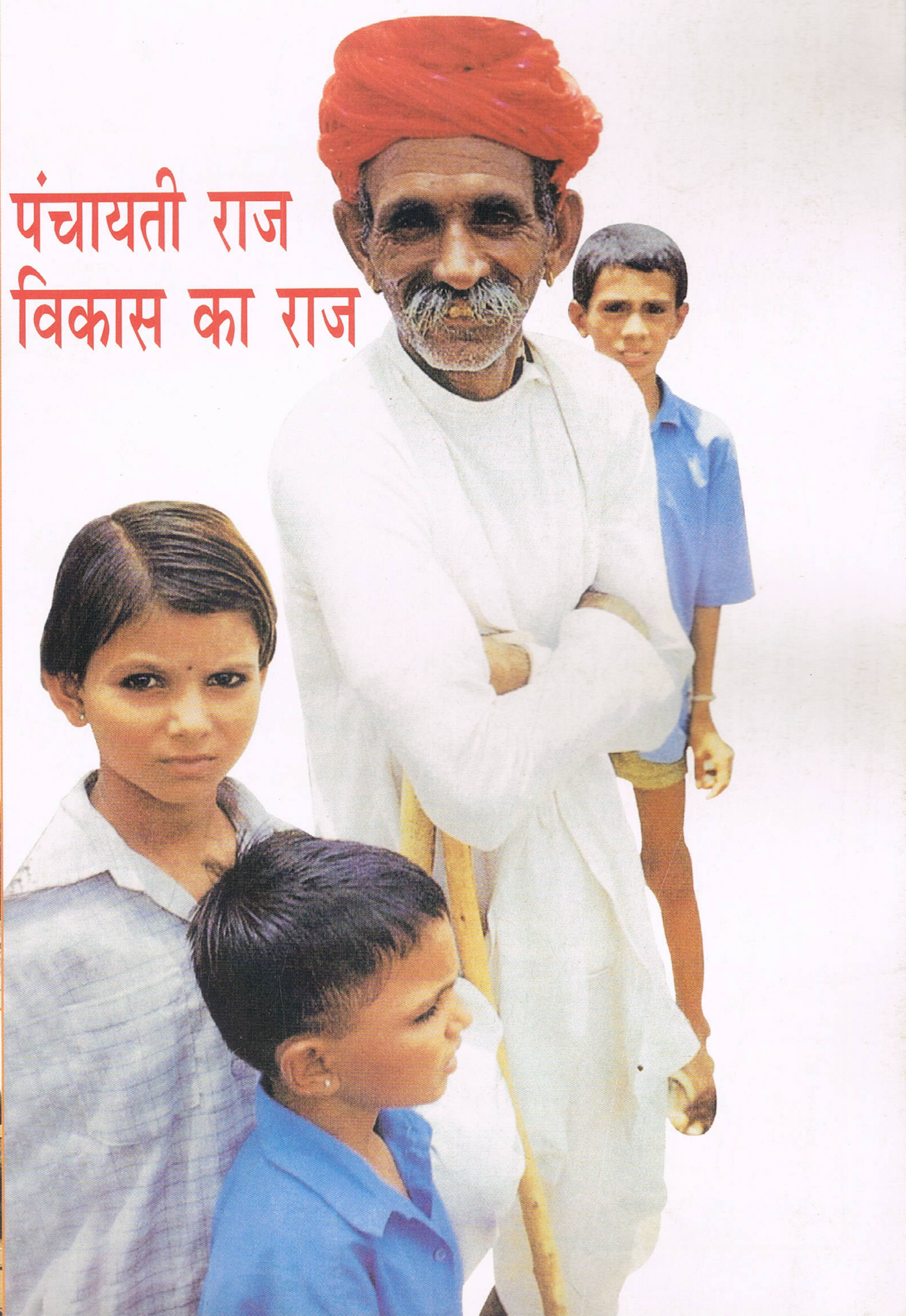

जागो ग्राहक जागो

# उपभोक्ता फोरम आपके साथ हैं।

# उनके पास शिकायत करने में न हिचकिचाएं।

**आपके अधिकार**

- सूचना का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- शिकायत निवारण का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

**आपकी शक्ति**

अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए ncdrc.nic.in पर लॉग ऑन करें।

**निःशुल्क राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 1800–11–4000 (एमटीएनएल/बीएसएनएल) पर कॉल करें।**
**011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 वेबसाईट :www.fcamin.nic.in

KH-08/08/01

वर्ष : 54 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48

श्रावण–भाद्रपद 1930, अगस्त 2008

वरिष्ठ सम्पादक
**कैलाश चन्द मीना**

सम्पादक
**ललिता खुराना**

**संपादकीय पत्र–व्यवहार**
वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
**एन.सी. मजुमदार**

व्यापार प्रबंधक
**जगदीश प्रसाद**
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा
**संजीव सिंह और रजनी दवे**

| | | |
|---|---|---|
| मूल्य एक प्रति | : | 10 रुपये |
| वार्षिक शुल्क | : | 100 रुपये |
| द्विवार्षिक | : | 180 रुपये |
| त्रिवार्षिक | : | 250 रुपये |
| **विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)** | | |
| पड़ोसी देशों में | : | 530 रुपये (वार्षिक) |
| अन्य देशों में | : | 730 रुपये (वार्षिक) |


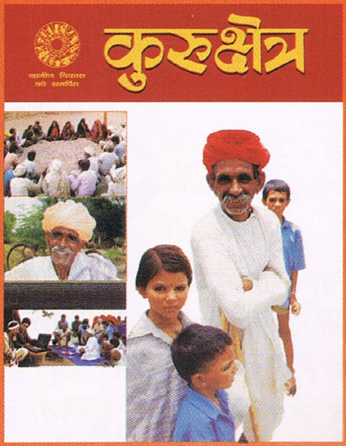


# कुरुक्षेत्र

## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| भारत निर्माण में पंचायती राज की भूमिका | डॉ. सुरेंद्र कटारिया | 3 |
| लोकतंत्र की नींव है पंचायती राज | गिरीश चंद्र पांडे | 7 |
| ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायती राज | डॉ. एस. के. मिश्रा | 10 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य में पंचायती राज का कामकाज | डॉ. सुखपाल श्रीवास्तव | 15 |
| पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज | डॉ. सुधा काला | 17 |
| पंचायती राज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता | कुंवर पाल सिंह | 21 |
| ग्रामीण न्याय की नई आस-ग्राम कचहरी | डॉ. निर्मल कुमार आनंद | 24 |
| ग्रामीणों का प्रहरी सूचना का अधिकार | आलोक कुमार यादव | 27 |
| मधुमक्खी पालन रोजगार का बेहतर विकल्प | गीता साहा | 30 |
| जैविक खाद से कृषि में टिकाऊ उत्पादन | डॉ. आर. के.नैनवाल व पवन कुमार | 34 |
| पर्यावरण संरक्षण में रोजगार के बेहतर अवसर | प्रोफेसर गिरीशचन्द्र चौधरी | 37 |
| बाजरे की पैदावार बढ़ाने की तकनीक | डॉ. वाई.एस. शिवे | 39 |
| ग्रामीणजनों की आम बीमारी और सस्ता उपचार | डॉ. रामकिशन | 43 |
| सफलता की कहानी | कविता जैन | 47 |



**कुरुक्षेत्र** की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516



**कुरुक्षेत्र** में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

# संपादकीय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी से पहले जन–जन की सत्ता का सपना देखा था। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था के जरिए उनके इस स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। वे पंचायती राज को 'हर चौपाल हर चबूतरे' तक ले जाना चाहते थे। आज उनका ये स्वप्न साकार रूप ले रहा है। दुनिया का विशालतम लोकतंत्र होने की वजह से हमारे देश में इस व्यवस्था को लागू करने में जमीनी दिक्कतें तो आ रही हैं लेकिन इसके बावजूद पंचायती राज व्यवस्था आज ग्रामीण विकास की धुरी बन चुकी है और एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर चुकी है।

आज 26 लाख से अधिक व्यक्ति त्रि–स्तरीय पंचायतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जिनमें से 10 लाख से अधिक महिलाएं, 5.2 लाख अनुसूचित जातियों से और 3.3 लाख अनुसूचित जनजातियों से हैं। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अपना पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर ही मुख्यमंत्रियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि पंचायती राज ग्रामीण भारत को 70 करोड़ अवसरों में बदलने का एक माध्यम है और चुनौती इस पद्धति को संस्थागत बनाने की है जिससे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भागीदारीपूर्ण प्रजातंत्र बन सके। यहां पर विकास के सबको समान अवसर मिल रहे हैं। संसद से ग्राम सभा तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। देश के योग्य और सक्षम आम जन पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद को सुशोभित कर चुके हैं जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ही देन है।

आज सभी देशों में विकास की होड़ लगी हुई है। इनमें से कुछ का विकास का दायरा कुछ समुदायों और शहरों तक ही सीमित है जबकि हमारे यहां हर गांव का विकास ही भारत का विकास है। आज पंचायतों के माध्यम से ही भारत के गांवों की तस्वीर बदल रही है और गांव के जन–जन तक सूचना क्रांति का प्रसार भी संभव हो पाया है। पंचायतें अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने से लेकर सड़क निर्माण, बिजली, पानी, सिंचाई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां दर्ज कर रही हैं। गांव के लोगों के छोटे–बड़े झगड़ों को निपटाने में भी पंच–सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ पंचायती राज के माध्यम से गांवों में जनजागरुकता बढ़ी है तो दूसरी ओर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से बेरोजगारी कम करने में भी पंचायती राज संस्थाएं बेहद मददगार साबित हुई हैं। कुल मिलाकर पंचायती राज के माध्यम से एक मजबूत और प्रभावी स्थानीय स्वशासन के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी पंचायतों के विकेन्द्रीकरण और सुदृढ़ीकरण को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है।

पंचायती राज अधिनियम एक ऐतिहासिक घटना का रूप ले चुका है और अब इसे जन–जन की आवाज बनाने के लिए सूचना का अधिकार भी लोगों को मिल चुका है जिसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी, अर्ध–सरकारी या गैर–सरकारी संस्था से कोई भी सूचना हासिल कर सकता है। इस तरह अब इन संस्थाओं की आम जन के प्रति जवाबदेही और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तय हो चुकी है। इस तरह सूचना का अधिकार गांवों में पंचायती स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मददगार साबित होगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पंचायती राज और सूचना का अधिकार अधिनियम एक नए ग्रामीण भारत का इतिहास रचने के महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होंगे।

# भारत निर्माण में पंचायती राज की भूमिका

**डॉ. सुरेंद्र कटारिया**

बीसवीं सदी में उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए एशियाई, अफ्रीकी तथा लेटिन अमेरिकी देशों में विकास की पांच–छः दशकीय यात्रा ने कतिपय ठोस निष्कर्ष प्रदान किए हैं। इन निष्कर्षों या अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम पर बनी पंचायती राज संस्थाएं ही ग्रामीण विकास को सार्थक गति प्रदान कर सकती हैं। चाहे नामकरण भिन्न हो किंतु विश्व के बहुत सारे देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें सफलतापूर्वक कार्य कर रहीं हैं। इनमें कोलंबिया, चिली, फिलिपाइन्स, ब्राजील, निकारागुआ, पोलैण्ड, सेनेगल, ट्यूनिशिया, जाम्बिया, बुरकिनाकासी, मैक्सिको, आइवरीकोस्ट तथा पाकिस्तान प्रमुख हैं। "प्रत्यक्ष लोकतंत्र के घर" के नाम से प्रसिद्ध स्विट्जरलैण्ड में स्थानीय सरकारें सर्वाधिक सशक्त हैं। भारत में राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान, संपूर्ण देश के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों की चहुंमुखी उन्नति हेतु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में जिन 29 विषयों का समावेश किया गया है, वे वस्तुतः सामाजिक–आर्थिक विकास की कुंजी हैं। ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका से पूर्व कुछ मूलभूत आंकड़ों को जानना प्रासंगिक है।

## कटु यथार्थ

लगभग 6 लाख गांवों में निवास कर रही 74.3 करोड़ (सन् 2001) जनसंख्या में एक चौथाई से अधिक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या में 31 करोड़ व्यक्ति मजदूर हैं जिनमें 8.08 करोड़ सीमांत मजदूर भी सम्मिलित हैं। साथ ही 12.47 करोड़ काश्तकार, 10.24 करोड़ खेतीहर मजदूर तथा 1.21 करोड़ घरेलू उद्योग मजदूर के रूप में विवशतापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अभिशप्त हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा सन् 2008 में जारी सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी एवं ग्रामीण औसत उपभोग में भारी अंतर है। अखिल भारतीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय 1171 रुपए है जबकि यही आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 625 रुपए है। छत्तीसगढ़ में तो स्थिति और भी विकट है। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग मात्र 429 रुपए है। शहरी क्षेत्रों में 40.75 प्रतिशत घरों में रसोई गैस उपलब्ध है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 9 प्रतिशत घरों में रसोई गैस उपलब्ध है। स्पष्ट है तीन चौथाई ग्रामीण जनता लकड़ियों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने को विवश है।

देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में भारी गिरावट आ रही है। इसे किसी भी परिस्थिति में हल्का आंकना भारी भूल हो सकती है क्योंकि भारत में अब हरित क्रांति के सुफल लंबे समय तक मिलने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर संकट यह कि जीव–जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। उत्तरी भारत से विगत दशक में गिद्ध विलुप्त हुए हैं तो राजस्थान में ऊंटों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के सर्वे के अनुसार सन् 1997 में राज्य में 6.67 लाख ऊंट थे जिनकी संख्या सन् 2007 में मात्र 3.00 लाख रह गई। अकेले बीकानेर में यह आंकड़ा 1.30 लाख से घटकर 50 हजार हो गया है।

आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति नितांत चिंताजनक है। अतः एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

## भारत निर्माण परियोजना

स्वतंत्र भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु बहुत सारे कार्यक्रम एवं परियोजनाएं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में संचालित हुई हैं। किंतु भारत निर्माण परियोजना एक ऐसी अनूठी तथा महत्वाकांक्षी परियोजना है जो समयबद्ध ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु अभिकल्पित की गई है। 16 दिसंबर , 2005 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया था।

**प्रमुख राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक और उपभोग व्यय**

| राज्य | ग्रामीण (रु.) | शहरी (रु.) |
|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 429 | 1214 |
| बिहार | 465 | 684 |
| उत्तर प्रदेश | 570 | 908 |
| उड़ीसा | 460 | 900 |
| झारखण्ड | 469 | 109.3 |
| मध्य प्रदेश | 487 | 982 |
| कर्नाटक | 573 | 1154 |
| अखिल भारतीय | 625 | 1171 |

**भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता**

| वर्ष | उपलब्ध खाद्यान्न (कि.ग्रा. प्रतिवर्ष) |
|---|---|
| 1995 | 180.8 |
| 1996 | 173.5 |
| 1997 | 183.6 |
| 1998 | 163.2 |
| 1999 | 170.0 |
| 2000 | 165.9 |
| 2001 | 151.9 |
| 2002 | 180.4 |
| 2003 | 159.7 |
| 2004 | 168.9 |
| 2005 (अंतिम) | 154.2 |

केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की तीन बड़ी उपलब्धियों में एक यह परियोजना भी है। सूचना का अधिकार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून दो अन्य बड़ी उपलब्धियां हैं।

16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 1,74,000 करोड़ रुपयों की इस विशाल परियोजना का उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से संचालित होने वाली इस परियोजना में सन् 2005–2009 के बीच की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निम्नांकित छः क्षेत्रों से संबंधित हैं–

- सिंचाई
- ग्रामीण पेयजल
- ग्रामीण आवासन
- ग्रामीण सड़क
- ग्रामीण टेलीफोन
- ग्रामीण विद्युतीकरण

"इण्डिया–भारत" के मध्य के भेद को सन् 2009 तक समाप्त करने हेतु लक्षित भारत निर्माण परियोजना के मुख्य ध्येय इस प्रकार रखे गए हैं–

- सन् 2009 तक बचे हुए 1.25 लाख गांवों का विद्युतीकरण तथा 2.3 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाना।
- सन् 2009 तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500 की जनसंख्या) तक जिनकी संख्या 66802 है, सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें पहुंचाना।
- सन् 2009 तक बची हुई 55067 बस्तियों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना।
- नवंबर, 2007 तक बचे हुए 66822 गांवों तक टेलिफोन सुविधा पहुंचाना।
- सन् 2009 तक एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना।
- सन् 2009 तक ग्रामीण निर्धनों हेतु 60 लाख आवासों का निर्माण करना।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अहम बनायी गयी है।

## विकास प्रशासन और पंचायती राज

वस्तुतः पंचायती राज का मूलभूत लक्ष्य ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर एक सुखद भारत का निर्माण करना है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रजनी कोठारी कहते हैं–"हमने पंचायती राज को विकास का संवाहक बनाने के बजाय विकास को पंचायती राज का अभिकर्ता (एजेंट) मान लिया है।"

ब्रिटिश शासन की विरासत के रूप में मिला भारतीय प्रशासन मूलतः एक नियामकीय प्रशासन था जो कि राजस्व एकत्रण, शांति, कानून एवं व्यवस्था के निर्धारण सहित स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से संतुलित विकास करने, आम व्यक्ति का जीवन सुधारने तथा समता, न्याय एवं भाईचारे के लक्ष्य पाने हेतु ऐसे लोक प्रशासन की जरूरत थी जो कि संवेदनशील, विशेषज्ञतायुक्त तथा जनोन्मुख हो। इसी संदर्भ में भारतीय प्रशासन को "विकास प्रशासन" के स्वरूप में ढाला गया। 2 अक्तूबर, 1952 से शुरू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास खण्डों का निर्माण तथा विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) पद का सृजन इसी दिशा में ठोस कदम थे। कालांतर में योजना आयोग द्वारा समग्र राष्ट्रीय विकास के अनेक कार्यक्रम, योजनाएं तथा परियोजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित की गई तथा उसी के अनुरूप प्रशासनिक संरचनाएं (जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) निर्मित करनी पड़ी। स्वाभाविक रूप से सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, ग्राम विकास, संचार तथा भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई तथा पुलिस प्रशासन विषय गौण बना रहा। चीन तथा पाकिस्तान से हुए युद्धों के कारण रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त राशि व्यय की गई क्योंकि सुदृढ़ एवं सुरक्षित सीमाओं के बिना राष्ट्रीय विकास अधूरा है। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु लगभग 250 राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सामाजिक कल्याण तथा आधारभूत संरचना का विकास करना है।

*ग्राम विकास योजनाओं पर बातचीत करते हुए ग्रामीण*

## मानव संसाधन विकास

समस्त प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक प्रणालियों में "मानव विकास" को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिंतन तथा प्रयास, पूर्णतः मानव संसाधन विकास को समर्पित है क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ है।

जहां तक सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन को विकसित करने का प्रश्न है, उसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, आवास, रोजगार, शुद्ध पेयजल, परिवहन, समता, न्याय, मानवाधिकार, सुरक्षा सहित जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की सुनिश्चितता सम्मिलित है। आधुनिक लोक प्रशासन जो कि प्रशासकीय राज्य के रूप में कार्य कर रहा है, का मूल उद्देश्य मानव संसाधन विकास ही है। समाज कल्याण के रूप में दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जो कि वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, असहायों, निःशक्तजनों, निर्धनों, श्रमिकों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य भेदभावग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित हैं, का प्रत्यक्ष प्रभाव किसी भी समाज के समग्र मानव संसाधन सूचकांक पर पड़ता है। हाल ही के वर्षों में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए किए गए लैंगिक संवेदनशीलता प्रयासों को भी मानव संसाधन विकास के मूलभूत आधारों में गिना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, योजना आयोग द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2002 को जारी की गई, जिसे भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा जा रहा है कि इसके आधार पर राज्यों की योजना का आकार निश्चित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश में उदारीकरण के दस वर्षों (1991–2001) में समग्र मानव विकास सूचकांक में बेहतर सुधार हुआ है। सन् 1983–93 के दौरान मानव विकास सूचकांक में 2.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनी हुई थी जबकि सन् 1993–94 से सन् 2000–01 की अवधि में यह दर 3 प्रतिशत से भी अधिक रही। सन् 1981 से सन् 2001 तक के दो दशकों केरल (प्रथम), पंजाब (द्वितीय), हरियाणा (पांचवें), पश्चिम बंगाल (आठवें) तथा बिहार (पंद्रहवें) के स्थान में कोई अंतर नहीं आया जबकि तमिलनाडु ने सातवें से तीसरे तथा राजस्थान ने बारहवें से नवें स्थान पर आकर अपनी स्थिति सुधारी है। सर्वाधिक पतन असम राज्य का

हुआ है जिसकी स्थिति दसवें स्थान से खिसककर चौदहवें स्थान तक चली गई है। मानव संसाधन के विकास के लक्ष्य जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सन् 2000 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स) के नाम से परिभाषित किया है, के अनुसार सन् 2015 तक विश्व से निर्धनता, भुखमरी, निरक्षरता तथा स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाना है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं निर्णायक भूमिका निर्वाहित करेंगी।

## जनसहभागिता में वृद्धि

सामुदायिक विकास कार्यों को गति एवं सफलता प्रदान करने के लिए स्थानीय जनसमूह का समर्थन तथा सहयोग नितान्त आवश्यक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अद्यतन निर्मित सभी कार्यक्रमों में जनसहभागिता बढ़ाने की ओर ध्यान देने का आग्रह किया जा रहा है। किंतु वास्तविकता यह है कि शासन के कार्यों में जनता की भागीदारी लगभग नगण्य रहती है और परिणामस्वरूप वह कार्यक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। परिवार नियोजन की अवधारणा का प्रसार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना, बाल–विवाह की रोकथाम, दहेज पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार–नियंत्रण तथा अन्य बहुत से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता व्यापक रूप से सुनिश्चित न होने के कारण ही इन कार्यक्रमों को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणों से जनता तथा शासन के मध्य एक खाई खुदी रहती है। एक ओर शासन अपने कार्यों में गोपनीयता, कठोरता तथा संकीर्णता की प्रवृत्तियां अपनाता है वहीं दूसरी ओर जन साधारण अपने को स्वतंत्र देश का नागरिक समझते हुए प्रत्येक कल्याणकारी कार्य का दायित्व केवल सरकार के कंधों पर रखना चाहता है।

शासन सत्ता में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना पंचायती राज संस्थाओं का एक उद्देश्य है। इसी क्रम में महिलाओं को एक तिहाई स्थानों पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया गया है। महिलाओं तथा आर्थिक–सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को पंचायती राज संस्थाओं में मिले प्रतिनिधित्व के पश्चात् जनसहभागिता में निस्संदेह अभिवृद्धि होनी अपेक्षित है किंतु हाल ही के दिनों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षा की कमी के कारण न तो ये प्रतिनिधि स्वयं को सक्षम सिद्ध कर पा रहे हैं और न ही समाज इन्हें सहज रूप में स्वीकार कर पाया है। इस विचित्र स्थिति का सामना यद्यपि कुछ ही समय तक करना पड़ेगा तथापि इस संबंध में अनुभूत न्यूनताओं का निवारण यथाशीघ्र कर देना ही अभीष्ट है।

देश में सूचना का अधिकार लागू हो चुका है। इस संबंध में मुख्य समस्या यह है कि इच्छुक व्यक्ति को शीघ्र तथा वास्तविक सूचना या कागज उपलब्ध करवाने का तंत्र क्या हमारे पास उपलब्ध है? इसी प्रकार जो अनियमितताएं कागज से बाहर निर्धारित होती रहती हैं उनको कैसे उजागर किया जा सकेगा? निस्संदेह सूचना के अधिकार की प्राप्ति के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं के कार्य पर निगरानी रखने का तंत्र कुछ मजबूत अवश्य हो जाएगा।

ग्रामीण विकास के अधिसंख्य कार्यक्रमों में सहभागिता पर बल दिया जाता है। यह जनसहभागिता श्रम, सामग्री या धन के रूप में हो सकती है। आज यह प्रश्न प्रासंगिक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु जनसहभागिता की शर्त लगाई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में सड़क, पार्क, पेयजल, बिजली, परिवहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित सभी मूलभूत सेवाओं का विस्तार बिना किसी नागरिक सहभागिता के सरकार द्वारा स्वतः ही कर दिया जाता है। सरकारी स्तर पर यह भेदभाव ग्रामीणजनों के गले नहीं उतर रहा है। बहुत से विश्लेषकों का यह भी मानना है कि गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन करने वालों के लिए सैकड़ों रियायती योजनाएं देश में प्रवर्तित हैं। बहुत से परिश्रमी निर्धन व्यक्तियों ने इनका लाभ उठाकर जीवन संवारा भी है लेकिन बहुत से गरीब व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बार सरकारी अनुदान एवं रियायतों का लाभ तो उठाया है किंतु ऋणों की अदायगी नहीं की है।

अब यह प्रश्न विचारणीय है कि गरीब किस कारण से गरीब है तथा सरकार गरीबी के निवारण हेतु किस सीमा तक सहयोग करे? अकर्मण्य, शराबी, नशेड़ी, स्वयं की जमीन बेच चुके तथा धोखे से सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले तथाकथित गरीब को कब तक सरकार सहयोग करे? ग्रामीण विकास की राह में पंचायती राज को सशक्त माध्यम माना जाता है लेकिन गांवों में पनप रही राजनीतिक गुटबाजियों तथा संकीर्ण प्रवृत्तियों ने विकास कार्यक्रमों की सफलता को भी लील लिया है। बहुत से विद्वान् यह भी मानते हैं कि यदि गांवों में अशिक्षा को समाप्त कर दिया जाए, सभी गांवों में सड़क तथा बिजली की सुविधा दे दी जाए तथा जनसंख्या पर कठोरता से नियंत्रण किया जाए तो ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम जैसे – शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि भी सफल हो सकते हैं। यदि भारत को आर्थिक क्षेत्र में महाशक्ति बनना है तो सर्वप्रथम ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी होगी तथा इसके लिए तत्काल व्यावहारिक एवं नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता है।

**(लेखक राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में व्याख्याता हैं।)**

ई–मेल : skkataria64@rediffmail.com

# लोकतंत्र की नींव है पंचायती राज

**गिरीश चंद्र पांडे**

अभी हाल में राजधानी दिल्ली में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू होने की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला तथा मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इस आह्वान के साथ सम्पन्न हो गया कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक गति प्रदान करने हेतु उन्हें अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है। निःसंदेह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन से अभी तक आशानुरूप सफलता नहीं मिली। यह तथ्य है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारियां काफी हैं लेकिन उनकी जेब खाली है। फलस्वरूप गांवों का चहुंमुखी विकास बाधित हुआ है। इसलिए जब तक पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय असुरक्षा से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वे लोगों की अपेक्षानुसार सहायता करने में असमर्थ रहेंगी।

पंचायती राज व्यवस्था में निहित मूल धारणा गांवों में निचले स्तर पर विकास से जुड़ी योजनाओं को मूर्तरूप देकर ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जिला प्रशासन, राज्य या केन्द्र सरकार का मुंह ताकने की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्वराज की कल्पना को मूर्त रूप देने के हिमायती थे लेकिन उनकी यह कल्पना अभी साकार रूप ग्रहण नहीं कर पायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का हस्तांतरण ही नहीं किया गया। जबकि संविधान की 11वीं अनुसूची में कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, कुटीर उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 29 विषयों को पंचायतों को हस्तान्तरित करने की स्पष्ट व्यवस्था है। यदि कहीं कुछ कार्यक्रम हस्तान्तरित भी किए गए तो वहां जिला प्रशासन के अनुचित हस्तक्षेप से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यह एक विडम्बना है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने पंचायत/ब्लाक स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों की अपेक्षा जिले में कार्यरत अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा किया जबकि स्थिति ठीक इसके उलट होनी चाहिए थी। इसलिए पंचायतों के लिए नौकरशाही एक बाधक के रूप में सामने आयी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने में भी आनाकानी करती रही हैं।

> अब तक का अनुभव है कि पंचायतें अपनी भूमिकाओं का आशानुरूप निर्वहन नहीं कर पाई हैं और इसका मूल कारण यही है कि राज्य, पंचायतों के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो की स्पष्ट पहचान कर उन्हें इस हेतु जवाबदेह नहीं बना पाए, पंचायतों पर मॉनीटरिंग का अभाव रहा और कहीं पर स्वयं पंचायतें भी उन्हें आवंटित धनराशि का सही उपयोग नहीं कर पायीं और कहीं इसका दुरुपयोग भी देखा गया। कई मामलों में सरपंच तथा ग्राम प्रधान की निर्माण कार्यों में एकाधिकार की प्रवृति रही है और इसलिए आवंटित धनराशि का उपयोग उन्होंने अपनी सुविधानुसार किया। इसके साथ ही गांवों में व्याप्त जातिगत व लिंग भेद की भावना ने भी गांव पंचायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और ग्रामीण लोगों का पंचायतों से विश्वास डगमगाया है।

यह गौरतलब है कि भारत की संघीय व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्यों का विषय है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर पंचायती राज की सफलता पूर्णतः राज्यों पर निर्भर करती है।

लोकसभा तथा विधानसभा की भांति हर पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव की भी सांविधिक व्यवस्था है और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में 5 साल बाद चुनाव भी हो रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है और बिहार जैसे राज्य में महिलाओं के इस निर्धारित आरक्षण में बढ़ोतरी होकर यह 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। साथ ही कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 36–37 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस प्रकार भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 9 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं हैं जो दुनिया की कुल निर्वाचित महिलाओं से कहीं अधिक हैं। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और है। अधिकांश मामलों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाकर चुनी गयी जिस किसी महिला ग्राम प्रधान/सरपंच ने पुरुष की छवि से अपने को मुक्त कर स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रयास किया और पंचायत के अंतर्गत निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया, उसे तत्क्षण उसकी सजा मिली। यह सजा तिरस्कार, अपमान, भ्रष्टाचार में फंसाने से लेकर बलात्कार और फिर हत्या करने जैसे कुत्सित प्रयास के रूप में सामने आयी। इसलिए पंचायती राज संस्था में महिला ग्राम प्रधान/सरपंच की स्थिति मात्र रबर स्टाम्प की रही है। यही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण के तभी मायने हैं जबकि यहां महिलाओं के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का माहौल बनाया जाए। उसके अन्दर इतनी हिम्मत और सुरक्षा भाव आए कि वह ब्लाक आफिस से लेकर जिला

*खेतों के साथ–साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता*

कार्यालय तक बेरोकटोक जा सके और वहां अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखकर उनका समाधान करने की दिशा में ठोस कदम उठाने में सक्षम हो। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना भी एक अनिवार्य शर्त है। स्मरण रहे कि पंचायत स्तर पर शिक्षा की दृष्टि से महिलाएं पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। कारण चाहे जो भी हो। समग्र तौर पर महिला ग्राम प्रधानों में 11 प्रतिशत अनपढ़ हैं जबकि 2.6 प्रतिशत पुरुष ग्राम प्रधान स्कूल नहीं गए। इस सम्बंध में सबसे अच्छी स्थिति मणिपुर की है जबकि सबसे खराब स्थिति कर्नाटक की है। यहां 34 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान और करीब 13 प्रतिशत पुरुष ग्राम प्रधान कभी स्कूल नहीं गए। कारण चाहे पुरुष मानसिकता हो, अशिक्षा या नौकरशाही का उन्हें उचित तबज्जो न देना अथवा उनकी क्षमता पर संदेह व्यक्त करना हो। यह स्थिति किसी भी मायने में उचित नहीं कही जा सकती।

इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक अर्थों में भागीदारी तभी संभव है जबकि उन्हें शिक्षित बनाया जाए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर अपने इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से उनके कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप पड़ने की संभावना है। उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब महिला घर में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ परिवार चलाती है और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह सफलता की बुलंदियां छू रही है तो फिर कोई कारण नहीं कि वे राजनीति में आकर अपना परचम न लहराएं। इसमें दो राय नहीं कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर शुचिता आएगी और अनुशासित व्यवहार को भी बढ़ावा मिलेगा।

पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार सम्पन्न बनाने से पहले इस बात का सुनिश्चय करना जरूरी है कि राज्य विशेष में ढांचागत सुविधाओं की स्थिति क्या है क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे बीमारू राज्यों की तुलना में शेष राज्यों की स्थिति बेहतर है। जहां एक ओर देश के उत्तरी तथा पश्चिम भाग में जलाभाव, चारा, मवेशी पालन की समस्या विकट है, कालाहांडी, पलामू, सरगुजा जैसे क्षेत्रों के गरीब आदिवासी दाने–दाने को मोहताज हैं तो वहीं दूसरी ओर पंजाब तथा हरियाणा राज्य बम्पर फसल के लिए विख्यात हैं। इसलिए केन्द्र को वित्तीय आवंटन के समय राज्यों की भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति का विशेष ख्याल करते हुए उसके पश्चात पंचायतों की वित्तीय तथा प्रशासनिक मशीनरी में पारदर्शिता लानी चाहिए। यहां एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि स्थानीय

अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ–साथ बुद्धिजीवियों को भी शामिल करते हुए यदि निर्माण कार्यों की नियमित अन्तराल में मॉनीटरिंग की जाए तो काफी हद तक कार्यान्वयन में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार की घटनाएं भी रुकेंगी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को दो माध्यमों से धन आवंटन किया जाता है—पहला, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों को धन आवंटित करता है। 12वें वित्त आयोग में 4 हजार करोड़ वार्षिक तौर पर पंचायतों को धन आवंटित किया गया। दूसरा, केन्द्र प्रायोजित योजनाएं—जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। उल्लेखनीय है कि केन्द्र प्रायोजित देश के समस्त 596 जिलों में लागू 16,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व पूर्णतः पंचायतों में निहित है जिन्हें गांवों में मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण तथा जंगलों की हिफाजत जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।

यह भी जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं राज्य और केन्द्र की निधियों पर पूर्णतः आश्रित रहने के बजाय धीरे–धीरे अपने बलबूते पर खड़ी हों। इस हेतु उन्हें कर, शुल्क, अधिभार और फीस वसूलने तथा उनका समुचित उपयोग करने के अधिकार दिए जाएं और वे सामान्य सम्पत्ति संसाधनों जैसे – सामुदायिक वानिकी, वाटरलैंड, जल संभरण, जल निकासी, गांवों में स्थित तालाब, नदी आदि का भी उपयोग करें। गांवों में स्थित सामान्य सम्पत्ति संसाधनों के आउटपुट बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। परंतु यह स्थानीय आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप हो। यदि ऐसा होता है तो पंचायतों की भूमिका विस्तीर्ण होगी और वे अपने को सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, कृषि, पशु पालन, मत्स्य, वानिकी, घरेलू ग्रामीण उद्योग, पर्यटन, परिवहन और अन्य कल्याणकारी कार्यों से नियोजित कर पाने में भी समर्थ होंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला, गांवों की तस्वीर बदलेगी, गांव आबाद होंगे और साथ ही ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, फलतः गांवों में बेरोजगारी की समस्या का हल होगा। पंचायतों की स्थानीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र में ग्रामीणों की जरूरतों का आकलन कर उस आधार पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सामान्य सम्पत्ति संसाधनों में पंचायतों की हकदारी उनके लिए आय बढ़ाने का सर्वाधिक विश्वस्त और स्थायी स्रोत हो सकती है। इस संबंध में केरल के पालाकाड़ जिले के भाल्लमपुझा दाम की ग्राम पंचायत का उल्लेख करना समीचीन होगा जो काल्लपुजा नदी पर स्वयं ही एक बिजली स्टेशन बना रही है। यहीं नहीं, ग्राम पंचायतें बिजली बनाने से लेकर खानों, जंगलों, खेत और अनाज भंडारण तथा शिक्षकों, चिकित्सकों को वेतन देने आदि का प्रबंधन करने के लिए भी तैयार हैं।

इसी प्रकार गुजरात में जल प्रबन्धन के क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था ने 'पानी समिति' के सहयोग से काफी हद तक जल समस्या का निदान किया है। यदि पंचायतों के लिए एक प्रोत्साहन निधि का गठन किया जाए और अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप इस निधि से सीधे धन उपलब्ध कराया जाए तो इससे भी पंचायतों की सक्रियता बढ़ेगी। यदि विश्व में नजर दौड़ाएं तो चीन की विकेन्द्रीयकृत आर्थिक संस्कृति इसका आदर्श उदाहरण है जहां स्थानीय सरकारों ने राजस्व उगाहने के साथ–साथ छोटे–छोटे कारखानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत हर पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देना भी एक स्वागत योग्य कदम है। गौरतलब है कि इस योजना को समयबद्ध आधार पर पूरा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी जिसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इस सुविधा से गांववासी देश तथा विदेश की अद्यतन जानकारी से अवगत रहेंगे। यहां वर्ष 2007 से आरम्भ कम्प्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम 'ताराक्षर' का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा 4 सप्ताह में पूर्णतः निरक्षर को हिन्दी पढ़ना और लिखना आ जाता है। इससे पिछले एक साल में 44 हजार से ज्यादा ग्रामीण गरीब महिलाओं को साक्षर बनाने में सहायता मिली है। विशेष रूप से बीमारु राज्यों की श्रेणी में आने वाले राज्यों में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि गांवों में आज भी अधिकांश महिलाएं निरक्षर हैं, इसलिए यह कार्यक्रम उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद करें कि इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण देश में विस्तार हो।

निश्चित तौर पर पंचायती राज एक जनक्रान्ति का रूप ले सकता है बशर्ते देश की 2.40 लाख ग्राम पंचायतों की सही अर्थों में विकास प्रक्रिया में भागीदारी हो। इसके लिए पंचायतों को जहां पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से लैस किया जाए वहीं पंचायत तथा ब्लाक स्तर के अधिकारी भी आवंटित धनराशि के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरतें।

इसके अलावा, पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु ग्रामीणों में जागृति, शिक्षा और साक्षरता लाना भी जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि निचले स्तर पर स्वशासन हेतु तथा बेहतर आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए विकेन्द्रीयकरण और अधिकारों का हस्तान्तरण करना नितान्त आवश्यक है। केन्द्र का भी यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यों को एकदम निचले स्तर पर मजबूत और गतिशील लोकतांत्रिक परम्पराओं को और शक्तिशाली बनाने में हर संभव मदद दे। ऐसा होने पर ही समावेशी विकास की अवधारणा मूर्तरूप ग्रहण कर सकती है और लोकतंत्र की नींव का पंचायती राज व्यवस्था का यह पत्थर सुरक्षित रह सकता है।

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)**

ई–मेलः **girishchpande @yahoo.com**

# ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायती राज

**डॉ. एस. के. मिश्रा**

भारत की आत्मा गांवों में बसती है; इसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में दखल रखने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा भी ग्रामीण विकास को भारत के विकास की आधारशिला कहा जाता है। गांवों के विकास के लिए कैसी और कितनी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, इसे लेकर भी स्वतंत्रता से पूर्व चिंतन बैठकों का दौर चलता रहा है। पंचायतों को शक्ति प्रदान कर गांवों का विकास सुनिश्चित करने में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे। गांवों तक योजनाओं को पहुंचाने एवं उसे उचित समय में क्रियान्वित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करना वास्तव में एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भी यहां जनसंख्या का लगभग 73 प्रतिशत गांवों में निवास करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी जड़ें गांवों के दम पर ही मजबूत कर पाती है। उद्योग–धंधों के रगों में दौड़ने वाला खून उन्हें किसान रूपी नस के द्वारा ही प्राप्त होता है। यदि हम यह कहें कि खेती–किसानी भारत के संदर्भ में ऐसा उद्योग है जो अन्य व्यावसायिक उद्योगों को जीवित रखता है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। सच्चे मायनों में देखा जाए तो देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे सुदूर गांव विकास के मार्ग पर प्रशस्त हों।

> पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से त्वरित और गतिशील ग्रामीण विकास को सुनिश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल,1993 को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा विकास की एक नई धारा को प्रवाहित किया गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से देश में शक्तिशाली स्वायत्त प्रशासन की स्थापना के लिए इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। यहीं से ग्रामीण विकास के स्वर्णिम युग का सूत्रपात भी माना जा सकता है।

संविधान प्रशासन को नये ढंग से चलाने का अधिकार और शक्ति भी मिल चुकी है। पंचायतों के गठन में एकरूपता, निश्चित समय के उपरांत चुनाव की बाध्यता, वित्तीय व्यवस्था का निर्माण, राज्यों की धनराशि का आवंटन, राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास को समुचित अवसर प्रदान करना जैसी शक्तियों से परिपूर्ण किया गया है।

प्राचीन भारत में हमारे देश की पंचायतें काफी उन्नतशील स्थिति में थी। प्रजातांत्रिक रूप से गठित इन पंचायतों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पंचायतों में भेदभाव के लिए स्थान नहीं था। पंचायतों के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने वाले पंच–गणों को परमेश्वर की संज्ञा दी जाती थी। ग्रामीण परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों में उठे विवाद पंचायतों में रखे जाते थे। न्यायालयों एवं जज का रूप अख्तियार किए पंचायतें एवं पंचगण आपसी समझबूझ से विवादों का निपटारा कर दूध का दूध पानी का पानी कर लोगों को सांत्वना दिया करते थे। समय परिवर्तन के साथ ही साथ पंचायतों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और समाप्त हो गया। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। अंग्रेज शासकों ने पंचायती राज व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों से सन् 1947 में देश स्वतंत्र हो पाया। इसके साथ ही पुनः पंचायती राज की दिशा में सार्थक पहल की गई और इसके साथ ही पंचायती राज कानून की स्थापना भी की गई। गांवों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होने के साथ एक हजार या इससे अधिक आबादी वाले गावों में ग्राम सभा की स्थापना की गई। कम आबादी वाले अनेक गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया गया।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् अस्तित्व में आये पंचायती राज अधिनियम को एक ऐतिहासिक घटना और मौन क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। स्वशासन की इस नई व्यवस्था में कठिन सामाजिक, राजनैतिक दबाव, सामाजिक विषमता, जाति प्रथा, सामंती ढांचा, निरक्षरता और असमान विकास के बीच प्रारंभिक चरण में कार्य करने पड़े। कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमें गर्व है कि आज हर पांच साल बाद स्थानीय स्वशासन के रूप में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इस स्थानीय लोकतंत्र को पुख्ता आधार मुहैया कराने में ग्रामीण जनों की भूमिका एवं उनकी सहभागिता जबर्दस्त रूप से मजबूती प्रदान करने में कामयाब रही है। देश भर में स्वशासनिक संस्थाओं के अस्तित्व में आने से इनके कामकाज के तरीकों पर नजर रखी जा रही है। परिणामस्वरूप शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के पक्ष में सकारात्मक माहौल धीरे –धीरे ही सही लेकिन स्वर्णिम दिनों की ओर बढ़ रहा है। देश भर में लगभग 3 लाख ग्राम पंचायतें, 6 हजार ग्राम पंचायत समितियां और 6 सौ जिला पंचायतों को मार्गदर्शन देने और उनके काम काज में निगरानी रखने के लिए शासन स्तर पर बनाई गई योजनाएं कारगर रूप ले रही हैं।

पंचायती राज अधिनियम पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रशासन व्यवस्था का प्रावधान देता है। जिसके आधार पर –1, ग्राम स्तर पर ग्राम

पंचायतें, 2. जिला पंचायत – जिला परिषदें, 3. अंतरवर्ती पंचायत (पंचायत समितियां) यह व्यवस्था उन राज्यों में ग्राम व जिला पंचायत के साथ काम करती है, जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करें जो स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करने की नजर में उन्हें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसके साथ ही पंचायतों को प्रदान किए गए कर्त्तव्य एवं दायित्व भी सूचीबद्ध किए गए हैं जिसके अंतर्गत –

- आर्थिक विकास और न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन तथा
- 11वीं अनुसूची में उल्लिखित मुद्दों के संबंध में इनका दायित्व 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। उक्त सूची में 29 बिंदु शामिल किए गए हैं। भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशु पालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला और बाल विकास आदि शामिल हैं।

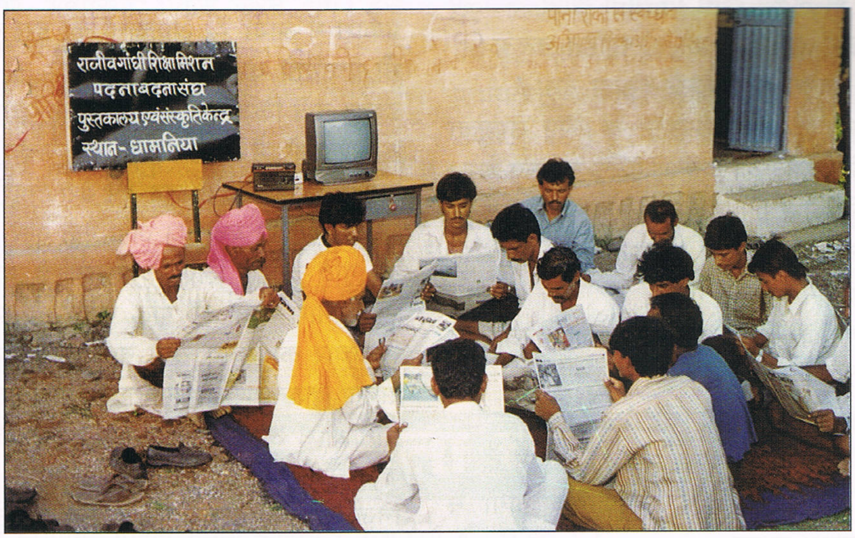

*हर चौपाल और चबूतरे पर दस्तक देता पंचायती राज*

पंचायती राज के लिए खोले गए विकास के दरवाजे इतना कुछ होने के बाद भी प्रगति के लिए प्रयासरत ही दिखाई पड़ रहे थे। परंपरागत ग्रामीण समाज में नेतृत्व प्रतिमान मुख्यतः जातियों का नातेदारी तथा भूस्वामित्व पर आधारित रहा है जिसके तहत ग्रामीण संरचना में उच्च जातियों का बोलबाला रहा है। सैकड़ों सालों से पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर दबाव बनाया जाता रहा है। निर्धनता और बेकारी के बोझ तले दबी इन जातियों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शक्ति और साहस का पूर्णतः अभाव रहा है। सामंती समाज ने इन दबी कुचली जातियों को भूखा–नंगा और बेघर बनाकर रखा था। इन पिछड़ी जातियों का पूरा समय पेट भरने के जतन में ही बीत जाया करता था, यही कारण था कि इनके बीच राजनैतिक चेतना से लेकर हर प्रकार की सामाजिक सूझबूझ का दायरा शून्य ही रहा। इन्हीं सामाजिक गतिरोध के चलते 80 के दशक में युवा एवं ऊर्जावान प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा सबसे पहले 27 से 30 जनवरी 1989 तक पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जरूरी है कि हम शक्ति लोगों के हाथ में दें, साथ ही राजीव गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि निम्न तबका और नीचे न आने पाये। अत्याचार में पर्याप्त कमी भी लायी जा सके।

राज्यसभा में 13 अक्टूबर 1989 को विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए स्व. राजीव गांधी ने कहा कि 'पंचायती राज और नगर पालिका विधेयक हर चौपाल और हर चबूतरे, हर आंगन दालान तक जनतंत्र को पहुंचाने वाला उपकरण ही नहीं वरन् यह नौकरशाही के उत्पीड़न को, टेक्नालॉजी की तानाशाही को, निपट निकम्मेपन को, घूसखोरी, लालफीताशाही, भाई–भतीजावाद और धांधली जैसी लाखों दुखदायक तकलीफों के निवारण का मेनिफेस्टो भी है। यह फरमान है सत्ता के दलालों के राज के अंत का, उन बिचौलियों के कारोबार का अंत जिन्हें 'शेक्सपीयर' ने जन शासन की 'सुडिया' कहा था। स्व. गांधी की जन–जन को सत्ता देने की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि यह विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में कानून का अंग नहीं बन पाया, परिणामस्वरूप जन–जन की सत्ता के रूप में स्वप्नदृष्टा द्वारा रखा गया विधेयक अकाल मौत मार डाला गया। राजीव गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक पंचायती राज को उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव ने संविधान संशोधन विधेयक द्वारा कानूनी रूप प्रदान करवाकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इतना अवश्य है कि यदि राजीव गांधी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति न दिखाई होती तो संभवतः आज भी पंचायती राज व्यवस्था का पुराना कागजी ढर्रा ही चल रहा होता। सत्ता के विकेंद्रीकरण की नई सोच और एक नई पहल से ही पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संभव हो पाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई पंचायतों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षा से जोड़ना, उनके लिए हर प्रकार की शैक्षणिक सुविधा मुहैया कराना, उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सांस्कृतिक

कार्यक्रमों का आयोजन, आदि पंचायतों के कर्त्तव्य में शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यक़ताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन से लेकर केंद्रीय सरकार तक ध्यान खींचना भी पंचायतों के माध्यम से संभव हो पा रहा है। पेयजल की पर्याप्त पूर्ति अथवा इस क्षेत्र में कुआं खनन से लेकर ट्यूबवेल आदि की उपलब्धता भी पंचायतों की ही देन है। प्रदेश शासन के संयुक्त योगदान से विकास कार्यों की गंगा बहाने, फंड की उपलब्धता लाखों करोड़ों में गांव की जनसंख्या के आधार पर कराई जा रही है। निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुने गए पंच सरपंच गांव में कानून व्यवस्था बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विवादों का निपटारा भी स्वच्छ वातावरण में स्वच्छंद प्रक्रिया द्वारा पूरा किया जाना पंचायतों का अधिकार एवं कर्त्तव्य है। यातायात के सुलभ आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण भी पंचायत का मुख्य कार्य है। संविधान की 21वीं सूची में ग्राम पंचायत के अधोलिखित कार्य बताए गए हैं :

- बंजर भूमि के विकास से लेकर खेती किसानी आदि के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने एवं बागवानी को प्रोत्साहित करना।
- मत्स्य पालन एवं पशु पालन उद्योग को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ वनोपज के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हुए हरित क्रांति को जन आंदोलन का रूप देना।
- भूमि संरक्षण एवं लघु किसानों की जमीनों की चकबंदी करना।
- खेती एवं व्यापार से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए छोटे उद्योगों को सहायता प्रदान करना।
- निम्न तबके के ग्रामीणों की आवास योजना को कार्यान्वित करना।
- निस्तारी तालाब, कुआं, पोखरों आदि की देखभाल एवं ईंधन तथा चारागाह भूमि के विकास की योजनाओं को अंजाम देना।
- सड़क, पुलिया आदि का निर्माण एवं सार्वजनिक मार्गों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना।
- गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता दूर करने का प्रयास करना।
- ग्रामीण शिल्प एवं शिल्पकारों के उत्साहवर्धन के लिए विभिन्न आयोजन गांव के परिवेश में तैयार करना।
- शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के क्षेत्र में गांव में ही पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी टीकाकरण अभियान को सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए पोषण आहारों पर कार्यशाला के माध्यम से जन जागृति लाना।
- विकलांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के साथ साथ ही कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण विकास की योजना कहा जा सकता हैं। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानूनी सलाह जैसी कारगर योजनाएं प्रकाश में आयी हैं। आमजनों को इस संबंध में हो रही असुविधाएं भी पंचायतों के माध्यम से ही दूर की जा रही हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायती राज के माध्यम से ही ग्रामीणजनों में जागरुकता का उदय हुआ है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खुद की बेरोजगारी को दूर करने का जरिया भी पंचायतें ही बनी हैं। जहां एक ओर पंचायतों का गठन विकास को गति देने के लिए किया गया है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसारे हैं, यदि पंचायतों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समय रहते नहीं रोका गया तो गांव के विकास का सपना चकनाचूर हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में उपज रही लाभान्वित होने की भावना को सहभागी होने की भावना में तब्दील करना नितांत आवश्यक है। ग्रामीणों में निजी हित की तलाश को बढ़ावा न मिले इस हेतु सार्वजनिक हित के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना होगा। जब तक ग्राम पंचायतों में चुने जाने वाले प्रधानों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड तय नहीं किए जाएंगे तब तक अनेक मीठे कडुवे अनुभव आते ही रहेंगे।

## जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा

राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती परियोजना (एनपीओएफ) के अधीन प्रशिक्षण पाठयक्रमों, फील्ड प्रदर्शनों, किसान मेलों, प्रदशर्नियों, संगोष्ठियों तथा प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रचार के माध्यम से जैव–उर्वरकों सहित आर्गेनिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एमपीओएफ के अधीन, जैव–उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से प्रति इकाई 20. लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर ऋण संबद्ध और पार्श्वांत राजसहायता मुहैया कराई जा रही है। जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकार की एजेंसियों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय सहायता सीधे मुहैया कराई जा रही है। (पसूका)

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका लगभग डेढ़ दशकों से क्रियाशील रूप में अवश्य ही देखी जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के साथ ग्रामीण विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। गांव में मूलभूत सुविधा मुहैया करा पाना टेढ़ी खीर लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भी विकास के नाम के शब्द से परिचित नहीं हो पा रही है। वर्तमान में विकास कार्य की गति जिस कछुआ चाल को अख्तियार किए हुए है उससे आने वाले 20 साल में भी विकास का सपना पूरा हो पायेगा, इसमें संदेह है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रामीण जनता की बेरोजगारीं, गांव में व्याप्त अशिक्षा, गांव के लोगों के सादा जीवन के साथ ही जागरुकता की कमी एवं रसूखदारों का दबंगपूर्ण रवैया ही समझ में आ रहा है। कमजोर वर्ग का शोषण भी ग्रामीण विकास कार्य में रोड़े अटका रहा है।

पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए शासकीय स्तर पर "भागीरथी" प्रयास करने होंगे। इस परिपेक्ष्य में कुछ सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं–

- सबसे पहले पंचायत के कार्य को पूर्व की भांति तीन स्तरों में विभाजित कर देना चाहिए।
- ग्राम पंचायत सभा में चुने गए सदस्यों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ग्राम सभा के माध्यम से कराये जा सकने वाले विकास कार्यों की सूची पंचायत सभा में लगाकर ग्रामीणों को परिचित कराया जाना चाहिए।
- ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले करों की सूची से ग्रामीणजनों को अवगत कराने की उचित व्यवस्था की जाए।
- ग्राम सभा की बैठक की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को मुनादी के द्वारा दी जाए।
- ग्राम सभा की बैठक का समय खेती किसानी अथवा अन्य व्यस्तता वाले दिनों में न कराकर ऐसे समय पर हो जब गांव के लोग खाली हों।
- सालाना बैठक के माध्यम से समस्याओं के अंबार को खत्म करने के लिए तिमाही बैठक की व्यवस्था हो।
- जनप्रतिनिधियों की भांति पंचायती राज में शामिल पंच, सरपंच आदि को भी वेतन एवं भत्ते उचित रूप में प्रदान किए जायें।

ग्रामीण विकास के फलीभूत होने के लिए जरूरी है कि गांव में निवास कर रहे लोगों को अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाए। ग्रामीणजनों की जनभागीदारी इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण हो सकती है। समाज के सभी वर्गों का सकारात्मक सहयोग पंचायती राज की सफलता के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों एवं अधिकारों को सही रूप से उपयोग करते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भय, अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि का उन्मूलन ही पंचायती राज के द्वारा विकास का मार्ग खोल सकता है।

**(लेखक वाणिज्य संकाय में व्याख्याता हैं।)**
**ई–मेल: drskmisra_rjn@yahoo.com**


# सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ........................................ दिनांक ................................ संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) ............................................................

पता ............................................................

............................................................ पिन ..........................

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

**विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक**

**प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,**
**नई दिल्ली–110 066**

# एगमार्क

खाद्य उत्पादों की शुद्धता एवं गुणवत्ता का प्रतीक

भारत सरकार द्वारा

कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन योजना

**एगमार्क उत्पादों को निम्न प्रक्रियाओं के पश्चात् पैक किया जाता है।**

कच्ची सामग्री को साफ करना, साफ की गई कच्ची सामग्री का सावधानीपूर्वक निरीक्षण, स्वच्छ वातावरण में वैज्ञानिक तरीके से कच्ची सामग्री का प्रसंस्करण, सुसज्जित प्रयोगशाला में रसायनज्ञों द्वारा प्रत्येक लॉट की जांच, भारत सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग।

**एगमार्क के अंतर्गत उपलब्ध उत्पाद**

**दालें**

उड़द, मूंग, अरहर, चना, रोस्टेड चना।

**साबुत मसाले**

काली मिर्च, मेथी, सरसों, सौंफ, जीरा, हल्दी फिंगर एवं बल्ब, पोस्त

**पिसे मसाले**

मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, करी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सांभर पाउडर, रसम पाउडर, मटन मसाला, सब्जी मसाला, चिकन मसाला, फिश मसाला, गर्म मसाला, अचार मसाला, मिक्स मसाला इत्यादि।

**वनस्पति तेल**

सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल इत्यादि।

**आटा उत्पाद**

गेहूं का आटा, मैदा, सूजी

**दुग्ध उत्पाद**

घी, क्रीमरी मक्खन

**कृपया खरीदते समय ध्यान रखें**

1. एगमार्क लोगो/रेप्लिका।
2. लॉट/बैच नं.
3. एगमार्क लेबल/रेप्लिका क्रम संख्या
4. ग्रेड
5. पैकिंग की तारीख
6. निवल भार
7. बेहतर उपयोग की अंतिम तारीख
8. पैकर का नाम और पता, इत्यादि

इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :-
संबंधित क्षेत्रीय/उप कार्यालय का पता

**सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय**
4/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 011-23272348, फैक्स : 23264635

**कृपया रसीद/कैश मीमो/बिल के लिए आग्रह करें।**

**कृषकों/उपभोक्ताओं के हित में जारी द्वारा :**

कृषि विपणन सलाहकार
भारत सरकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV
फरीदाबाद-121001

अधिक जानकारी के लिए देखें
वेबसाइट www.agmarknet.nic.in

davp 01123/13/0020/0809

KH-8/08/2

# सामुदायिक स्वास्थ्य में पंचायती राज का कामकाज

डॉ. सुखपाल श्रीवास्तव

> सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर की सफाई व घर की सफाई के द्वारा खुद को और परिवार को स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वास्थ्य को बनाये रखने में मदद करते हैं, वैसे ही ग्रामीण सामुदायिक स्वच्छता को अपनाकर व सहयोग करके सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इस कार्य में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत बनायी गयी ग्राम स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्वास्थ्य जीवन की अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य पर मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं अबाध दिनचर्या निर्भर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, "स्वास्थ्य केवल रोग अथवा अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक चंगेपन की स्थिति है।" व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वास्थ्य इसके सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य आज भी सर्वाधिक उपेक्षित है। आशा की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाकर उनके माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने में सफलता मिलेगी लेकिन इस सपने को साकार रूप देना अभी भी बाकी है।

हमारे गांव आज भी 'घूरे के ढेर' बने हुए हैं। बहुत से गांवों में आज भी प्रवेश के समय जो अनुभव होता है वह बहुत ही हृदय को कचोटने वाला होता है। अगर यह कहें कि गांवों की सूरत में पंचायती राज के अस्तित्व में आने के बाद भी खासा बदलाव नहीं आया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सफाई प्रबंध की स्थिति हमारे यहां बेहद निराशाजनक है। ज्यादा आंकने के बावजूद ग्रामीण भारत में सफाई प्रबंध का विस्तार निराशाजनक रूप से 14 प्रतिशत है। हम विश्व में सफाई प्रबंध के क्षेत्र में निम्नतम उपलब्धि हासिल करने वालों में से एक है। उप–सहारा के अफ्रीका जैसे गरीब देशों, जैसे केन्या में 81 प्रतिशत, तन्जानिया में 86 प्रतिशत, नाइजीरिया में 41 प्रतिशत और युगाण्डा में भी सफाई प्रबंध का विस्तार 57 प्रतिशत है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका व पाकिस्तान में यह विस्तार क्रमशः 53 प्रतिशत व 56 प्रतिशत है।

ग्राम स्वास्थ्य समिति का मुख्य कार्य है–परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण, विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन व सहयोग करना। इस समिति में ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति सभापति एवं छः अन्य सदस्य (अनु.जा./अनु.ज.जा. महिला और पिछड़े वर्ग के सदस्य अवश्य) होते हैं। ग्राम स्वास्थ्य समिति, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों के साथ मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य व प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करती है :

- लोगों को चिकित्सकीय सहायता दिलवाने में मदद करके।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम व बचाव में सहयोग करके।
- साफ–सुथरे पानी की व्यवस्था व मानव–मल के निस्तारण की व्यवस्था करके और स्वास्थ्य शिक्षा व जागरुकता के द्वारा।

वर्तमान समय में गांवों में सार्वजनिक तालाबों व अन्य जल स्रोतों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग जिन तालाबों से पीने का पानी लेते हैं, उन्हीं में कपड़े धोने व स्नान करने का काम भी लिया करते हैं। हम गांवों में बच्चों व पशुओं को एक साथ नहाते देख सकते हैं। आश्चर्य है कि जल स्रोतों का इतना दुरुपयोग होते रहने पर भी महामारियों से गांवों का नाश अब तक क्यों नहीं हो पाया है? पानी व जल स्रोतों की सफाई के संबंध में ग्रामीण समुदाय में उपेक्षावृत्ति ही बहुत सी बीमारियों का कारण है। पंचायत की स्वास्थ्य समिति व जल प्रबंधन समितियां इसमें लोगों के सहयोग से बहुत कुछ कर सकती हैं। कुंओं, तालाबों, पोखरों व अन्य जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें नवजीवन देने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है और ग्रामीण समुदाय को पानी की गंदगी से होने वाले अनेक रोगों में बचाया जा सकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए परेशानी खड़ी करने वाली दूसरी समस्या है जल निकासी व कूड़ा निस्तारण की। इस बारे में अभी भी लोगों में बहुत ही उपेक्षा का भाव है। गांवों में घरों के आसपास कूड़े के ढेर पड़े होते हैं और अधिकतर जगहों पर जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि कहीं पर नाली है तो वह गंदगी से बजबजाती रहती है। सामुदायिक सहयोग व भागीदारी में ग्राम स्वास्थ्य समिति विशेष प्रयास कर लोगों को सामुदायिक स्वच्छता के फायदे से अवगत कराकर गांवों को साफ–सुथरा बना सकती है। हर किसी को अपने कूड़े बस्ती से दूर खेतों में गड्ढ़े बनाकर डालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस पवित्र कार्य में कुछ खास खर्च की भी जरूरत नहीं है, जिसका अक्सर रोना रोया जाता है। इस कार्य में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वह सब हमारे पास में ही होती हैं। कीटाणुनाशक दवाइयों की जगह हम राख (नीम की पत्तियों व जले हुए गोबर की उपले का मिश्रण) का प्रयोग कर सकते हैं। सफाई का यह कार्य हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होने के साथ–साथ आनंददायक भी है, जिसका अनुभव हम इसमें भागीदार बनकर ही उठा सकते हैं।

*निशुल्क स्वास्थ्य मेले में दवा लेने के लिए एकत्रित ग्रामीण महिलाएं*

सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पंचायतें जो एक और महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं, वह है हमारी परंपरागत स्वास्थ्य की परंपराओं का संवर्धन व संरक्षण का कार्य। आज यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि गांव के आस–पास पायी जाने वाली जड़ी–बूटियां व घरेलू नुस्खे हमारी अधिकतर बीमारियों का ईलाज करने में समर्थ हैं। लेकिन लोगों का विश्वास इन पर से कम हो गया है और इसका परंपरागत ज्ञान धीरे–धीरे गायब होता जा रहा है। इसे पुनर्जीवित करके हम लोगों को दुष्प्रभाव मुक्त चिकित्सा उपलब्ध करा सकते हैं। पंचायतें गांव के जंगलों में समाप्त हो रही औषधियों के संरक्षण का काम कर सकती हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पंचायतें अपनी ग्राम सभा में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवायें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध करके हमारे सामुदायिक जीवन को स्वास्थ्यप्रद बनाते हैं। साथ ही फल व अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतें गांव में किसानों को रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद व वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताएं और इस बारे में जागरुकता लायें। रासायनिक कीटनाशक दवाओं की जगह नीम की पत्तियों, नीम की खली तथा गौमूत्र से तैयार किये जाने वाले कीटाणुनाशक का प्रयोग कर हम अपने खेतों को जहरीला व बंजर बनाने से रोक सकते हैं। ऐसा करके अप्रत्यक्ष रूप से हम सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे।

आज जिस तेजी से पक्के मकान गांवों में बन रहे हैं, उस गति से घरों में शौचालय नहीं बन रहे हैं। गांवों की आबादी काफी घनी हो चुकी है, जंगल व बगीचे भी नहीं रहे, ऐसे में शौचालयों की कमी से गांव की महिलाओं को बहुत संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। वे इस कारण अनेक रोगों की शिकार होती हैं। पंचायतें शौचालयों के निर्माण व इसके बारे में लोगों को जागरुक करने का बड़ा कार्य कर सकती हैं।

आइये, हम सब मिलकर संकल्प करें कि अपने–अपने गांवों को साफ सुथरा रखेंगे। इससे न केवल हमारा स्वयं अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य भी उच्च गुणवत्ता वाला होगा। हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता के आधार पर ही दूसरे हमारे बारे में आकलन करते हैं कि हमारा जीवन स्तर कैसा है। गांधी जी तो सामुदायिक स्वच्छता के कार्य को ईश्वर पूजा जैसा पवित्र मानते थे। कहते हैं कि प्रगति की देवी लक्ष्मीजी को स्वच्छता सर्वाधिक पसंद है और वह स्वच्छ घर व समाज में रहना पसंद करती हैं।

**(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)**
**ई–मेल :** sukhpal_ji@yahoo.com

# पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज

**डॉ. सुधा काला**

विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनकी 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हो और ग्रामीण ही उस देश की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के आधार हों। भारत में एक ओर जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है तो दूसरी ओर 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करती है। देश की राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत अंशदान ग्रामीण समुदाय द्वारा किये जाने के बाद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना बहुत बड़ी आवश्यकता है।

**ग्रामीण विकास की अवधारणा** — ग्रामीण विकास एक लचीली अवधारणा है, जिसका अर्थ लोग अपने-अपने ढंग से लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, ग्रामीण विकास है। इसके अंतर्गत कृषि, विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं।

ग्रामीण विकास शब्द का अर्थ किसी अल्प संकीर्ण आर्थिक वृद्धि की स्थिति से नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि ग्रामीण विकास एक सेवा आन्दोलन है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र, समाज और देश की सम्पूर्ण व्यवस्था विकास कार्य से जुड़ती है अर्थात् विपुल जनशक्ति का विभिन्न विकास कार्यों में व्यापक उपयोग होता है जिससे स्वयं जनता अपने भविष्य के निर्माण में सहभागी बनती है। इसके फलस्वरूप ऊंची उत्पादन दर को प्राप्त करने के साथ-साथ समान आय वितरण व्यवस्था की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार, "ग्रामीण विकास एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के सभी पहलू शामिल हैं। यह लोगों की उन्नति और प्रभावी सामाजिक परिवर्तन दोनों पर लागू होता है लेकिन इसके सीमित दायरे में ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण गरीबी पर विशेष रोजगार कार्यक्रमों, भूमि सुधार, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों और स्वच्छ पेयजल की पूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता के उपायों के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं पर सीधा प्रहार करता है।"

**भारत में ग्रामीण विकास से अभिप्राय है**—ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रामीण के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाई गयी है। इस तरह ग्रामीण विकास त्रि-दिशायी कार्यक्रम है—

- यह एक विधि है जिसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को सम्मिलित किया जाता है।
- यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।
- यह एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किये जाते हैं।

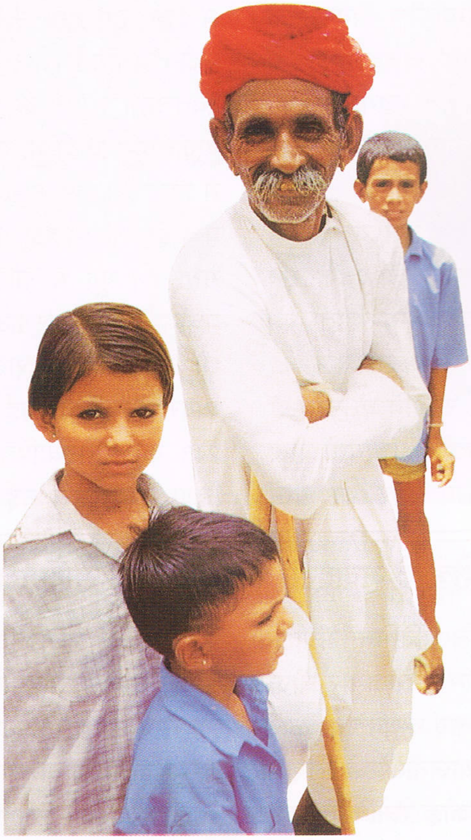

*गांव का विकास—सबका विकास*

**पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास**— पंचायती राज लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आधार रहा है। लेकिन मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन के उच्च स्तरों पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतान्त्रिक मान्यताएं एवं मूल्य सशक्त नहीं हों, लोकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्यजन के दरवाजे तक लाता है। लोकतन्त्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ है। भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ परम्परा रही है। गांव के समस्त वैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामुदायिक व राजस्व सम्बंधी कार्यों का सम्पादन इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से ग्राम स्वतन्त्र थे तथा

मुगल काल आते–आते पंचायतें अपनी पहचान खो बैठी तथा ब्रिटिश शासन के अधीन लुप्तप्राय हो गयीं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों की स्थापना हेतु भारतीय संविधान में धारा 40 का प्रावधान किया गया। इस धारा के अनुसार पंचायतों को राज्य का विषय माना गया तथा राज्यों को यह छूट दी गयी कि वे अपने राज्य में पंचायतों की स्थापना एवं उनके संचालन से संबंधित नियमों का निर्माण करें और उन्हें ग्रामीण विकास के कार्यों में भागीदारी बनाते हुए, राष्ट्रीय प्रगति के लिए अधिकाधिक जनसहयोग से ग्रामीण समुदाय को इस पुनीत कार्य में संलग्न करें।

तत्पश्चात् भारत में ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' तथा 1953 में 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना' चलाई गयी। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता तथा जनसहभागिता को बढ़ाना था लेकिन सरकार को इस कार्य में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। इसका मुख्य कारण इस योजना में कार्यरत कर्मचारियों में ग्रामीण जीवन के ज्ञान की कमी एवं प्रशिक्षण का अभाव था। अतः 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में गांवों के विकास के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया जिसे 'बलवन्त राय मेहता' समिति के नाम से जाना जाता है। 1959 में इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर मध्यस्तरीय पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर 'जिला परिषद' के गठन पर बल दिया गया था। समिति की सिफारिश के मुताबिक देश की कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू किया, किन्तु 1965 के बाद पंचायती राज प्रणाली में गिरावट आने लगी।

पुनः पंचायती राज संस्थाओं को नवजीवन प्रदान करने व ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अशोक मेहता समिति (1977), जी०वी०के० राव समिति (1985), लक्ष्मी मल सिंधवी समिति (1986), पी०के० थुगन समिति (1988) तथा 64वां संविधान संशोधन विधेयक (पारित नहीं हुआ) जैसे अनेक प्रयास किये गये। अन्ततः इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन के रूप में 23 अप्रैल, 1993 से नवीन पंचायती राज सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान ग्रामीण स्वराज्य की जिस धारणा का बीजारोपण किया था उसका फलन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में होता है। इस संशोधन द्वारा पंचायत को एक संवैधानिक संस्था बनाकर शासन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पूर्व में संविधान के अनुच्छेद 40 में मात्र राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी थी तथा पंचायती राज के स्वरूप आदि के संदर्भ में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी गई थी। 73वें संशोधन द्वारा संविधान की धारा 243 को प्रतिस्थापित करते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस नई धारा को जोड़ते समय राज्यों के पंचायती

## असंगठित क्षेत्र के मजदूरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जैसे–स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजनाएं, हथकरघा कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजनाएं, जनश्री बीमा योजना आदि। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के तहत संबंधित योजनाओं के लिए अलग से आवंटन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों हेतु निधियों का कोई समेकित आवंटन नहीं होता। वर्ष 2007–2008 के दौरान, सरकार ने तीन और योजनाओं की घोषणा अक्तूबर, 2008 से शुरू राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, गरीबी रेखा से नीचे के श्रमिकों और उनके परिवारों (पांच की इकाई) को 30 हजार रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना के लाभ 2008–2009 के दौरान जुड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे जाते हैं। आम आदमी बीमा योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के ग्रामीण भूमिहीन परिवार मृत्यु और अशक्तता कवर पाने के पात्र हैं। योजना में, लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को प्रति तिमाही 300 रुपये की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक उम्र के तथा गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे केन्द्र सरकार के 200 रुपये प्रति व्यक्ति के अनुदान का पूरा इस्तेमाल करें। (पसूका)

राज विषय पर कानून बनाने के अधिकार को समाप्त तो नहीं किया गया परन्तु उसे इस धारा की व्यवस्थाओं द्वारा परिमार्जित अवश्य कर दिया गया। इस संवैधानिक व्यवस्था ने पंचायती राज संस्थाओं की पिछले लगभग चार दशकों की अस्थिरता को समाप्त किया।

73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताओं में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सम्बन्धित पंचायत के सभी वयस्क मताधिकारियों द्वारा ग्राम सभा का गठन, प्रत्येक पंचायत की पांच वर्ष की कार्यावधि तथा विघटन की दशा में पुनः निर्वाचन की व्यवस्था, पंचायतों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने के अधिकार, नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, पृथक राज्य वित्त आयोग आदि सम्मिलित हैं।

*गांवों में विकास कार्य प्रगति पर*

अनुच्छेद 243 (छ) के द्वारा व्यवस्था की गयी कि पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और लागू करेंगी। इस उद्देश्य से संविधान में 11वीं अनुसूची प्रतिस्थापित की गयी है, जिसमें कृषि, लघु उद्योग, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण और परिवार कल्याण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवास, पेयजल कार्यक्रम, ग्रामीण संचार, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, स्वच्छता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित कुल 20 विषय सम्मिलित हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित लगभग समस्त कार्य विभिन्न स्तर की पंचायतों को सौंपे गए हैं।

**पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव –** वर्तमान में अपने नवीन अवतार में पंचायती राज संस्थायें हमारे सम्मुख हैं। ये संस्थायें ग्रामीण विकास को उद्वेलित करने में कितनी सफल हो पाई हैं, यह पड़ताल का विषय है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण स्तर पर राजनीतिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। इससे ग्रामीण लोगों में पहले की तुलना में राजनीतिक चेतना बढ़ी है, विकेन्द्रीकृत लोकतान्त्रिक प्रणाली से सामान्य वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान तथा राजनीतिक दलगत गतिविधियों के कारण ग्रामीण लोगों में नयी जागृति आयी है। इन संस्थाओं के माध्यम से सम्पर्क सूत्र की राजनीति का विकास सम्भव हो पाया है। आज गांव, जिले व राज्यों के मुख्यालयों से जुड़ पाये हैं। गांव की राजनीतिक संरचना आज नवीन परिवेश ग्रहण कर रही है। गांव की शक्ति संरचना अब आनुवांशिक मुखिया या वृद्ध व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं है बल्कि उसमें जन साधारण की सहभागिता बढ़ रही है। अब ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः उन व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने लगा है जो मध्यम वर्ग के हैं। गांवों में शिक्षा का प्रसार होने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी से संक्रमण रोगों की समस्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक सत्ता व प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को प्राप्त करने के संदर्भ में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखना प्रशंसनीय है। यह ग्रामीण महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में प्रारम्भिक एवं संक्रमणकालीन स्थिति है। वह समय अब दूर नहीं है जब महिलाएं स्वयं अपने दायित्व को पूरी तरह समझकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी।

उपरोक्त लाभकारी प्रभावों के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जो ग्रामीण जीवन के विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। आज गांवों में व्याप्त जातिवाद, दलबंदी की भावना, अकुशल राजनैतिक नेतृत्व, नौकरशाही की उदासीनता, अशिक्षा, धन और साधनों की कमी, पंचायतों के कार्यों की लम्बी सूची,

पंचायतों की निम्न आर्थिक स्थिति, चुनावों की दोषपूर्ण प्रक्रिया, भ्रष्टाचार व निजी स्वार्थों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं एक टिकाऊ व जबावदेह जन निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं कर पायी है। अतः यह कहना की 73वां संविधान संशोधन गांव की दशा सुधारने में बहुत अधिक सफल नहीं रहा, तो गलत न होगा।

भारत को आजाद हुए 60 वर्ष बीत गये हैं। इन 60 वर्षों में सरकार ने विकास के नाम पर अनेक कार्यक्रम शुरू किये किन्तु ग्रामीणों को इन कार्यक्रमों का वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। आज विकास रूपी बांध का पानी शहरों में ही केन्द्रित हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बहुत कम हिस्सा पहुंच रहा है। देखा जाए तो भारत में जहां शहरी जीवन विलासमय है वहीं ग्राम्य जीवन कठोर श्रम प्रधान। ग्रामीण विकास एवं शहरी क्षेत्र दोनों परस्पर पूरक हैं किन्तु शहरों में विकास की दर अत्यधिक देखने को मिलती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न्यून है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत चार वर्षों यानी वित्त वर्ष 2005–06 से लेकर वित्त वर्ष 2008–09 तक 1 लाख 6 हजार 205 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के सिंचाई, सड़क, पेयजल, आवास, बिजली और दूरसंचार प्रमुख क्षेत्र हैं। चार वर्ष की अवधि में भारत के हर गांव में अच्छी पक्की बारहमासी सड़कें बनाकर उन्हें शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है, हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाए जा रहे हैं और गांव में बिजली और दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। भारत निर्माण योजना की शुरूआत में यह सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि शहरों की ओर पलायन रुकेगा, गरीबी की दशा में सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से योजना का क्रियान्वयन हो रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत के गांवों के विकास में अभी समय लगेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों का ईमानदारी से पालन करें तभी गांवों की स्थिति में सुधार संभव है।

यह सच है कि संविधान संशोधन के पश्चात् भी पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में आशानुरूप सफलता नहीं मिल पायी। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्रामीण विकास के प्रति उसे और उत्तरदायी बनाये जाने हेतु कुछ सुझाव निम्न हैं–

- पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मानक हो जिससे निर्वाचित होने के बाद वह अपने पद से संबंधित दायित्व को ठीक तरह से निभा सकें।
- पंचायती राज व्यवस्था को राजनीतिक दलबंदी से पृथक रखना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि व्यवस्था के किसी भी स्तर पर कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल से चुनाव न लड़े।
- पंचायतों की कार्य पद्धति समझने हेतु ग्रामीणों के लिए कार्य प्रशिक्षण शिविर लगाना चाहिए।
- पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यकाल में आजीविका के लिए सम्मानजनक वेतन और भत्ते दिए जाएं जिससे वे अनैतिक साधनों से विमुख हों।
- किसी भी व्यवस्था की सफलता में वित्त एवं संसाधन की मुख्य भूमिका होती है। पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
- सरकारी अधिकारियों का पंचायतों के प्रति उदार एवं पथ प्रदर्शक दृष्टिकोण होना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयां केवल शासन की इकाई के रूप में ही कार्य न करें बल्कि उन्हें मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास से भी सम्बन्धित होना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था के पदाधिकारियों के कार्यों की देखभाल हेतु पृथक मूल्यांकन दल नियुक्त किया जाना चाहिए तथा उसकी संस्तुति के आधार पर विभिन्न स्तरों पर पंचायती संस्थाओं को अनुदान दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थायें नवीन परिवेश ग्रहण करने के बाद भी लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पायी हैं, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज सही दिशा में एक प्रयास है। आज इन संस्थाओं को और सुदृढ़ता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सरकार की भारत निर्माण योजना द्वारा गांवों के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन का लक्ष्य भी पंचायतों की सक्रियता पर ही निर्भर करेगा।

**(लेखिका हे. न. ब. ग. विश्वविद्यालय, पौढ़ी, उत्तराखंड में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रवक्ता हैं।)**

**ई–मेल : dr sudha kala @gmail.com.**

# पंचायती राज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता

**कुंवर पाल सिंह**

ग्राम पंचायत से संसद (राष्ट्रीय पंचायत) तक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार इसमें शोधन तथा संशोधन होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। सम्भवतः हमारे भारी– भरकम संविधान तथा भीमकाय लोकतंत्र का बोझ वहन करने में राष्ट्र कठिनाई, निराशा तथा विक्षोभ का अनुभव करने लगा हैं। राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमारा लोकतंत्र अनेक विसंगतियों, चुनौतियों तथा समस्याओं से घिर गया है। हमें इन समस्याओं को लोकतन्त्र के माध्यम से ही हल करना है। ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय पंचायत तक लोकतंत्र को राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल राष्ट्रीय स्वरूप देकर ही हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का महायज्ञ पूरा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से संसद तक, मजदूर की झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक लोकतंत्र का प्रकाश समान वेग से पहुंचाया जाना चाहिये ।

*समस्याओं का लोकतांत्रिक माध्यम से हल खोजते हुए लोग*

## हमारा पंचायती राज

पंचायती राज लोकतन्त्र के प्रशिक्षण का प्राथमिक विद्यालय है। पंचायती राज की सुदृढ़ नींव पर ही लोकतंत्र के राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया जा सकता है। इसके माध्यम से ही ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार किया जा सकता है। ऊंच–नीच, जात–पात, अगड़े–पिछड़े के भेदभाव पंचायती राज के स्वस्थ विकास में सर्वाधिक बाधक हैं। जातिवाद, साम्प्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता पंचायती राज को राष्ट्रीय स्वरूप देने के मार्ग में नये–नये अवरोध उत्पन्न करते हैं। इन अवरोधों को दूर करने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्रान्ति की आवश्यकता है। सभी जातियों तथा सम्प्रदायों का समग्र उत्थान करके ही हम ऊंच–नीच, जात–पात के भेदभाव की दीवारों को दूर कर सकते हैं। किसी जाति या सम्प्रदाय के समग्र उत्थान के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, परिवार नियोजन, समाज सुधार तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता होती है। आरक्षण मात्र से किसी जाति या समुदाय का समग्र उत्थान सम्भव नहीं।

## त्रिस्तरीय पंचायती राज

त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत तथा जिला पंचायत आधार स्तम्भ हैं जिनके ऊपर राष्ट्र के सुदृढ़ लोकतांत्रिक भवन का निर्माण किया जा सकता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र के द्वारा ही भारत की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 5 हजार ब्लॉक पंचायत (विकासखण्ड समिति) तथा 500 जनपद पंचायत (जिला परिषद) हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत तथा जिला पंचायत में ऐसा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय विकास, सुरक्षा तथा एकता के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। गांव तथा नगर के बीच की खाई पाटी जा सके।

## प्रथम स्तर

ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है। ग्राम प्रधान का चुनाव क्षेत्र की समस्त जनता द्वारा पृथक मतदान द्वारा करना सुविधाजनक होता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ही कर्मचारी को लेखपाल तथा पंचायत सचिव का कार्यभार दिया जा सके तो कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये जा सकें तो पंचायत क्षेत्र के छोटे–छोटे विवाद आसानी से निपटाये जा सकेंगे। जहां तक सम्भव हो दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्णय लिये जाने चाहिये।

उपरोक्त न्यायालय को "समझौता न्यायालय" का दर्जा दिया जा सके तो उपयुक्त होगा। इस न्याय पंचायत में ग्राम प्रधान, लेखपाल/पंचायत सचिव, दो पंचायत सदस्य तथा दो अवकाश प्राप्त ग्राम प्रधान सम्मिलित किये जा सकते हैं।

## द्वितीय स्तर

विकास खण्ड समिति (बी.डी.सी.) के सदस्यों के चुनाव हेतु विकासखण्ड क्षेत्र को लगभग 8–10 उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक उपक्षेत्र से एक बी.डी.सी. सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ ही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जा सकता है।

ब्लाक पंचायत के अध्यक्ष (ब्लाक प्रमुख) का चुनाव भी ग्राम पंचायत के साथ ही विकासखण्ड क्षेत्र की समस्त जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जा सके तो भ्रष्टाचार, धन की परांधीनता, राजनीतिक गुटबन्दी तथा अस्थायित्व का प्रकोप काफी कम होता जायेगा। दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि ब्लाक प्रमुख का चुनाव विकास खण्ड के समस्त ग्राम प्रधानों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाये। क्षेत्रीय पंचायत को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये जा सकें तो ग्रामीण जनता को पर्याप्त राहत मिल सकेगी।

## तृतीय स्तर

पंचायती राज के क्रमिक विकास में तृतीय स्तर पर जनपद पंचायत (जिला परिषद) का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि पंचायती राज को पर्याप्त सीमा तक भ्रष्टाचार, धन की पराधीनता, राजनीतिक दलबन्दी, जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता की बेड़ियों से मुक्त रखा जा सके। जनपद पंचायत के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव ग्राम प्रधानों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाये तो भ्रष्टाचार पर पर्याप्त नियन्त्रण किया जा सकेगा। प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र से एक सदस्य चुना जा सकता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जनपद के सभी ग्राम प्रधान मतदान में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार सदस्यों के क्रय–विक्रय पर तथा राजनीतिक अस्थायित्व पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

जनपद से सम्बद्ध सभी सांसद, विधायक तथा मेयर (अथवा जनपद मुख्यालय पर स्थित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष) जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होने चाहिए। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जा सकते हैं। पंचायती राज में अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिये। यदि उसके ऊपर कोई आरोप हो तो न्यायालय में ले जाया जाना चाहिए।

जिलाधीश का कोई प्रतिनिधि स्थायी रूप से जनपद पंचायत के सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सके तो जनपद पंचायत का जनपद के विकास, नियोजन तथा प्रशासन के साथ सीधा सम्पर्क बना रहेगा ।

इस प्रकार जनपद पंचायत के माध्यम से पंचायती राज की आवाज केन्द्र तथा राज्य सरकारों तक पहुंचायी जा सकती है। जनपद पंचायत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य एक सेतु का कार्य कर सकती है। ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद से संसद (राष्ट्रीय पंचायत) तक भारतीय लोकतन्त्र राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन सकता है ।

## पंचायती राज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता

पंचायती राज को राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए उसका सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। सभी पंचायती राज संस्थाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान से जनपद पंचायत के अध्यक्ष तक सभी जन प्रतिनिधि न्यूनतम हाईस्कूल तक शिक्षित होने चाहिए। उनके दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। वह किसी आर्थिक घोटाले अथवा अपराध में आरोपित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार पंचायती राज के माध्यम से भारतीय जनता को शिक्षा, परिवार नियोजन तथा नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए आधार निर्मित होगा। जनता में पंचायती राज के प्रति नवीन विश्वास उत्पन्न होगा।

ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्दलीय आधार पर आयोजित किये जायें तो पंचायती राज को राजनीतिक दलबन्दी की बेड़ियों से मुक्त रखा जा सकेगा। जनपद स्तर तक के चुनावों में राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इन चुनावों से पृथक रखना उचित होगा। गांव तथा नगर को राजनीतिक दलबन्दी का केन्द्र न बनने दें तो राष्ट्रीय एकता के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। सभी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव से पूर्व तथा पश्चात् प्रत्येक मतदाता के लिए अपना वोट गुप्त रखना पंचायती राज के स्वस्थ विकास में सहायक होगा। जनपद स्तर तक के चुनावों में प्रत्येक गांव तथा नगर में ऐसा नैतिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए जिससे कि मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी के विचार सुन सकें किन्तु किसी प्रकार का आश्वासन न दें।

प्रत्येक मतदाता अपनी आत्मा की आवाज पर अपने मत का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सके। किसी भी प्रकार का प्रलोभन तथा भय का प्रदर्शन करने वाले प्रत्याशी को वोट देना भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। जनपद स्तर तक के चुनावों में किसी भी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन, रैली तथा जुलूस तथा प्रलोभन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। जिन ग्रामों में ग्राम प्रधान के चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न किये जा सकें उन्हें विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाना चाहिए।

सभी प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र भरते समय निम्न प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होना चाहिए —

''मैं परिबार, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय तथा राजनीतिक गुटबन्दी की भावना से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के आधार पर ईमानदारी से कार्य करूंगा। चुनाव में फिजूलखर्ची, शक्ति प्रदर्शन तथा अनुचित साधनों से बचने का प्रयास करूंगा।''

पंचायती राज में भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करने के लिए प्रत्येक जनपद में **'विजीलेन्स बोर्ड'** का गठन किया जाना चाहिए जो स्थान–स्थान पर जाकर किसी भी पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद क्षेत्र में किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सकें तथा आय–व्यय की जांच कर सकें।

> सबसे पहले हाईस्कूल तक एक सुलभ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र को शिक्षित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के तीव्र प्रसार के लिए सरकारी, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में अधिकतम सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता है। भारत के प्रत्येक परिवार के जीवन स्तर की श्रेणी के आधार पर वार्षिक उपभोग कर लगाने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध किया जा सकेगा। शिक्षा के द्वारा युवकों–युवतियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय चरित्र की भावना का विकास किया जा सकेगा। राष्ट्रीय चरित्र के द्वारा ही हमारे पंचायती राज तथा लोकतंत्र को राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सकेगा।

पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान आरक्षण नीति राष्ट्र के विशाल हितों को ध्यान में रखकर निर्मित की गयी है। यह नीति तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलायें सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन से त्रस्त हैं। राष्ट्र के उपेक्षित वर्गों के हमारे भाई–बहिन एक लम्बे अरसे से निराशा, कुंठा, अभाव, अशिक्षा तथा हीनता का जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। उन्हें गले लगाकर, उनके आंसू पोंछकर ही हम भारत की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बना सकते हैं।

हमें विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर देश भक्ति की भावना से काम करें, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं परिश्रम से पूरा करें, दिखावटी ऐश्वर्य, अनावश्यक उपभोग, फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार तथा अकर्मण्यता पर नियन्त्रण करें तो निकट भविष्य में भारत के सभी समुदाय तथा जातियां राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में समाहित होकर एक स्वस्थ, समृद्ध, शिक्षित समांगी राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि समाज के उपेक्षित, पिछड़े तथा कमजोर वर्ग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों में विकास के राष्ट्रीय मध्यमान स्पर्श कर जायें। जब राष्ट्रीय जीवन से सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर भेदभाव दूर हो जायेंगे तो फिर जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर, स्त्री तथा पुरुष के आधार पर आरक्षण तथा विशेष सुविधायें देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तदोपरान्त राष्ट्र के सभी धर्मों तथा सभी जातियों के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े परिवारों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में आरक्षण के स्थान पर राष्ट्र का आर्थिक संरक्षण देना न्यायसंगत होगा।

सभी आर्थिक सुविधायें आर्थिक आधार पर दी जा सकेंगी। उस स्थिति में प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक किसी भी छात्र अथवा छात्रा की जाति अंकित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भारतीय संविधान की निम्न आकांक्षा तभी पूरी होगी —

''भारतीय गणराज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग अथवा पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।''

वास्तविक रूप में प्रजातांत्रिक समाज तथा पंथ निरपेक्ष भारत का निर्माण तभी होगा। विभिन्न धर्मों, जातियों तथा सम्प्रदायों के लोग एकता, समता, प्रेम और विश्वास के वातावरण में रह सकेंगे। प्रत्येक की पहचान जन्म तथा जाति के आधार पर नहीं अपितु कर्म, चरित्र और योग्यता के आधार पर की जा सकेगी। पंचायती राज को, भारतीय लोकतंत्र को राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सकेगा। राष्ट्र की एकता का महायज्ञ लोकतन्त्र के माध्यम से ही पूरा होगा। पंचायती राज में सुधार के लिए तथा उसे राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की नितान्त आवश्यकता है।

**(लेखक एच.ए.वी. इंटर कालेज सहारनपुर में अवकाश प्राप्त प्रवक्ता हैं।)**

# ग्रामीण न्याय की नई आस-ग्राम कचहरी

डॉ. निर्मल कुमार आनंद

ग्राम कचहरी के माध्यम से न्याय प्रणाली का विकेन्द्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के निम्न स्तर पर बिना खर्च के विवादों का समाधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अहम हिस्सा है। वस्तुतः न्याय के ऊपरी स्तरों पर कोई भी न्याय प्रशासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तरों पर न्यायिक मान्यताएं एवं मूल्य शक्तिशाली न हो। हमारे देश में न्यायिक सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा तथा जितना अधिक न्याय की प्रकृति विकेन्द्रित होगी, स्थानीय स्तर पर नागरिकों में आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश उतना ही होगा। आपराधिक घटनाओं में कमी होने से सांमाजिक पूंजी का निर्माण होगा, जिससे गांवों का सर्वांगीण विकास संभव है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत के साथ –साथ ग्राम कचहरी की भी व्यवस्था की गई है। यह समय की मांग भी है। जिस देश में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा जो भोले–भाले एवं कम पढ़े–लिखे हैं, उनके बीच आपसी संबंधों में कटुता एवं द्वेष का पनपना स्वाभाविक है।

> ग्राम्य संस्कृति की मुख्य विशेषता गांव के लोगों में एक–दूसरे के दुःख दर्द में शरीक होकर आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। वहीं मानव स्वभाव इतना पेंचीदा होता है कि लोग छोटी–छोटी बातों को लेकर काफी विवादित हो उठते हैं, जिससे धन और जन की हानि उठानी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि जहां समाज के लक्षण अधिक दिखाई पड़ते हैं वहां नित्य नयी समस्याएं भी पनपती दिखाई पड़ती हैं। अतः ग्राम्य व्यवस्था में एक ऐसे मंच अथवा संगठन की आवशकता महसूस की जाती रही है, जहां इस तरह की उत्पन्न नवीन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ा जा सके। ग्राम कचहरी की व्यवस्था इन्हीं उत्पन्न समस्याओं के समाधान का क्रमिक विकास है।

इस प्रकार पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने आचरण को न्याय के अनुसार संचालित करने को बाध्य होता है। वस्तुतः कानून और नैतिकता ये दो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के प्रमुख साधन हैं। जहां नैतिकता व्यक्ति की आत्मा में प्रस्फुटित होकर व्यक्ति के मानवीय व्यवहार को निर्देशित करती है वहीं कानून उसके गलत कार्यों पर अंकुश लगाकर उसके आचरण को नियंत्रित करता है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था इन दोनों तत्वों को अपने में समाहित कर मानव को सदाचारी बनने को प्रेरित करती है। अतः यह स्थानीय स्तर पर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का अनोखा प्रयास है।

आरंभ में 'महाभारत' और 'रामायण' काल से भी पहले, पंचायत किसी निश्चित क्षेत्र से चुने हुए पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय होती थी। इसका निश्चित क्षेत्र एक गांव हुआ करता था। इसका कारण यह था कि देश और राज्य की सीमाएं प्रायः बदलती रहती थी तथा भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता था, किन्तु गांव एक स्थिर इकाई के रूप मे कार्य करता रहता था। भौगोलिक एवं सामाजिक परिवर्तन इस पर बाध्यकारी नहीं था। पंचायत की यह गांव–स्तरीय व्यवस्था मुगलों के शासनकाल तक अनवरत चलती रही। परन्तु अंग्रेजों के आते ही इसमें रुकावट आने लगी। उन्हें इसके स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करना साम्राज्यवादी नीति के विपरीत जान पड़ा। अतः अंग्रेजों ने अनेक कानूनों का निर्माण कर इसके पृथक एवं स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते रहे, किन्तु पूर्णरूपेण वे सफल नहीं हो सके और इनका स्वरूप किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य रहा। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत अर्थात अनुच्छेद– 40 के रूप में यह भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बन गया।

लेकिन जैसा कि स्पष्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत सिर्फ नैतिक निर्देश हैं, इसे न तो पूर्ण न्यायिक स्थिति प्राप्त है और न ही सशक्त राजनीतिक–प्रशासनिक आधार। इसलिए 73वें संशोधन अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत के साथ ग्राम–कचहरी का पूर्ण रूप से गठन पूरे देश में कहीं नहीं हो सका है। हालांकि सिंघवी कमेटी जो 73वें संविधान संशोधन से सम्बद्ध थी, का सुझाव था कि पूरे देश में ग्राम पंचायत के साथ पंचायत को भी आरूढ़ किया जाए। यद्यपि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम कचहरी का भी चुनाव संपन्न हो चुका है किन्तु इसके न्यायिक प्रतिनिधियों को एक वर्ष बाद भी वास्तविक कार्य एवं अधिकार नहीं दिए जा सके हैं।

हालांकि बिहार सरकार इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है कि अतिशीघ्र ग्राम कचहरी की कार्यप्रणाली को संगठित रूप दिया जाए। इस प्रयत्न के तहत ग्राम कचहरी को अपने दायित्वों का सफल निर्वहन करने हेतु न्याय सचिव एव न्याय मित्रों की नियुक्ति के साथ–साथ निर्वाचित हुए पंचों एवं सरपंचों को प्रशिक्षित करने का

प्रावधान कराया जा रहा है। किन्तु पंचायत चुनाव के इतने दिनों बाद भी इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं होने के कारण निर्वाचित न्याय प्रतिनिधियों को अपने कार्य एवं अधिकार के प्रति कुंठाग्रस्त एवं उदासीन देखा जाता है। आज स्थानीय स्तर पर स्वार्थी एवं अशिक्षित जन समुदाय का एक संगठन निर्मित हो गया है, जो छोटी–छोटी बातों को तूल देकर झगड़ा और फसाद में सराबोर हो उठते हैं, जिससे सामाजिक विकास बाधित होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में विवादों को बिना खर्च के निपटाने वाली लोकतांत्रिक न्यायिक पद्धति को संगठित रूप देना अनिवार्य हो गया है।

बिहार में ग्राम कचहरी के स्वरूप का जो चित्रण किया गया है उससे इसकी न्यायिक भूमिका को सौहार्दपूर्ण समझौतों के द्वारा विवादों का वहीं का वहीं समाधान करने से जोड़ा गया है। अतः ग्राम कचहरी को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि मामूली झगड़ों का निपटारा गांव में ही हो जाए। गांव की गरीबी और बदहाली का एक प्रमुख कारण मुकदमेबाजी है। स्थानीय न्याय प्रतिनिधियों को विवादों की सच्चाई और वस्तुस्थिति की सही जानकारी रहती है, अतः उनके द्वारा सही और उचित निर्णय संभव है। ग्राम कचहरी के प्रमुख अर्थात सरपंच का दायित्व है कि वह संधिवार्ता अथवा समझौता कराकर विवादों का अंत करे। ग्राम कचहरी में स्थानीय स्तर के दस हजार रुपये मूल्य तक के मामले की सुनवाई होती है, जिसमें दोषी व्यक्ति को अधिकतम एक हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। ग्राम कचहरी के अंतर्गत आने वाला कोई मामला अन्य न्यायालय में दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत आनेवाले किसी मामले में यदि फैसला नहीं हो पाता है या वादी अथवा प्रतिवादी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो जिला कोर्ट में अपील दर्ज करा सकते हैं।

ग्राम कचहरी एक न्यायपीठ है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराना है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कराने के लिए ग्राम कचहरी के द्वारा वाद या मामले का और उसके गुण–अवगुण पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों का और उसके सही समाधान का अन्वेषण करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार बिना कोई न्यायालय फीस के स्थानीय नागरिकों के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अपने आप में अनोखा है। वस्तुतः कार्यपालिका द्वारा नियुक्त न्यायधीशों के पास अत्यधिक वादों के कारण उनकी न्यायदक्षता प्रभावित होती है। साथ ही साथ वे मामले की छानबीन सिर्फ गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर करते हैं। उन्हें स्थानीय वादों की पूर्ण जानकारी नहीं होती अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा की जाने वाली सुनवाई पूर्णतयाः न्यायसंगत ही हो। अतः ग्राम कचहरी जो कि पंचायत स्तर पर गठित लोकतांत्रिक संस्था है, उसके द्वारा वादों का निस्तारण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं नियुक्त न्यायपालिका की व्यस्तता को दूर करने वाला है।

## ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ग्लोबल वार्मिंग पर हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया के सम्मुख सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान और भारत को समुद्रतल में वृद्धि और जलापूर्ति में कमी, सूखे तथा विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश जनसंख्या मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े तटवर्ती शहरों से दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जा सकती है। ग्रामीण जनसंख्या शहरी इलाकों की ओर पलायन कर सकती है।

भारत जलवायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए विविध नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सतत विकास के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएन्सी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना और एनर्जी एफिशिएन्सी लेबलिंग लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना आदि कई कदम शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने तथा उन उपायों की पहचान के लिए मई 2007 में जलवायु परिवर्तन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक समन्वित जवाब तैयार करने तथा जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय के लिए 6 जुलाई, 2007 को जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद का गठन किया गया था। परिषद ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्रवाई तैयार करने का निर्णय किया है। (पसूका)

पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः 2006 के पंचायत चुनाव में पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी में लगभग 64 प्रतिशत महिलाएं सरपंच एवं पंच निर्वाचित हुई हैं। इससे सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नवीन आयाम जुड़ा है। वस्तुतः न्याय की महती जिम्मेदारी मां एवं बहनों को सौंपकर दैवीय सत्ता की परिपाटी को चरितार्थ करने का अनोखा प्रयास किया गया है। ग्राम कचहरी का यह नया एवं परिवर्तित स्वरूप न्याय प्रशासन एवं राज्य शासन के लिए एक पुरुष प्रधान समाज में नयी चुनौती है और एक नया अवसर भी। चुनौती इसलिए कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के वादों का फैसला महिलाओं द्वारा होगा और अवसर इसलिए कि महिलाओं को फिर से न्यायिक शक्ति जैसी सर्वोच्च दैवीय सत्ता का प्रयोग करने का सुयश प्राप्त होगा। अतः शुरुआती दौड़ में मुश्किलें और अड़चनें तो आएंगी, क्योंकि महिलायें अपनी हर भूमिका को परिवार से जोड़कर देखना नहीं भूलती। अतः उसकी न्याय प्रक्रिया एवं निर्णयकारिता पर परिवार के पुरुषों का प्रभाव भी अवश्य पड़ेगा। दूसरी ओर, इन संस्थाओं में चुनी गयी अधिकांश महिलाओं के निर्वाचन का आधार आरक्षण प्रणाली है, जिसमें उनकी योग्यता और कौशल को परखने पर ध्यान नहीं दिया गया है अतः ऐसी महिलाओं के द्वारा किए गए निर्णयों का निष्पक्ष होना संदिग्ध होगा। फिर भी भारतीय महिलाओं के द्वारा निभायी गई भूमिका एवं उनकी सृजनशीलता से यह विश्वास किया जाना चाहिए कि न्यायिक निर्णय प्रक्रिया से अबूझ महिलाएं भी शीघ्र ही फैसला सुनाने के आवश्यक मानदंडों को आत्मसात कर लेंगी।

आज ग्रामीण विकास व्यवस्था की यह मांग है कि सामाजिक एकजुटता के माध्यम से सामाजिक पूंजी का निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास की अवधारणा चरितार्थ हो सके। वस्तुतः जिस समाज में आपसी भाईचारा और एकजुटता नहीं है अर्थात् जहां कलह और वैमनस्यता का धुंधला बादल जमा हो, वहां ग्रामीण विकास की संकल्पना साकार नहीं हो सकती। ग्राम कचहरी को ग्रामीण संस्कृति एवं मूल्यों को बरकरार रखने हेतु कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि यह न्याय की लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें वादी अथवा प्रतिवादी को दंडित करने की बजाय सुलह और सौहार्दपूर्ण शांति बहाल करने पर जोर देना है। नई व्यवस्था में ग्राम कचहरी की क्या भूमिका होगी, यह भी बहस के योग्य है क्योंकि एक ओर ग्राम पंचायत के मुखिया को विकास कार्य संपन्न करने हेतु अपार धनराशि सरकार द्वारा मुहैया करायी जा रही है, जिसका दुरुपयोग स्थानीय स्तर पर साधारण बात हो गयी है। इस पृष्ठभूमि में ग्राम कचहरी की इन योजनाओं को सही तरीकों से संचालित होने की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें उन्हें गड़बड़ियों की जांच व विकास आयुक्त तथा जिलाधिकारी को शिकायत करने का अधिकार दिया गया है।

अतः पंचायत के विकासात्मक कार्य एवं न्यायिक कार्य के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचा जाना आवश्यक है। क्योंकि जिस भूमिका से मुखिया के पद का स्वरूप निखरता था एवं वर्चस्व बनता था, वह अब सरपंच के पास है किन्तु सरपंच को संस्थागत आधार अर्थात कार्यालय एवं निधि नहीं मिल पाया है। अतः इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति को टाला नहीं जा सकता। इतना ही नहीं सरपंच के लिए न्यायपीठ के गठन से लेकर वाद निपटाने तक न तो किसी प्रकार के खर्च करने का प्रावधान है और न ही उसके लिए निधि की कोई व्यवस्था ही है। और तो और प्रावधान के अनुसार दण्ड के रूप में वसूले गये जुर्माने को भी ग्राम पंचायत की निधि में ही जमा कर देना है, जिसकी निकासी एवं खर्च ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया के हस्ताक्षर से होगी। सरपंच के लिए यह अपने को छोटा या असहाय पदधारक महसूस करने की स्थिति है। इस परिस्थिति में पंच एवं सरपंच धनलोलुप होकर पक्षपातपूर्ण निर्णय करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः ग्राम कचहरी के न्यायपीठों को निष्पक्ष रूप से कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु पारिश्रमिक निधि की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही इन्हें न्याय सचिव, न्याय मित्र एवं ग्राम रक्षा दल की दक्ष सेवा से परिपूर्ण करना होगा ताकि इनके निर्णयों का समय से अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

यह निर्विवाद सत्य है कि निष्पक्ष न्याय के बिना 'पंच परमेश्वर' की अवधारणा चरितार्थ नहीं हो सकती। सत्य और न्याय की जीत भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र रहा है, जबकि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। अतः ग्रामीण स्तर पर न्याय की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हर प्रकार से सुदृढ़ करना एक चिंतनशील सरकार की महती जिम्मेदारी है। ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच को इतना कार्य व अधिकार संपन्न करना होगा, जितने में वे लोगों के आकर्षण एवं श्रद्धा के केन्द्र बने रहें। इस दिशा में स्थानीय नागरिकों का भी प्रयास अपेक्षित है। हमें अपने अंतःकरण में निर्वाचित पंचों एवं सरपंचों के प्रति आदर–भाव प्रस्फुटित करने की आवश्यकता है ताकि न्यायपीठों द्वारा किये गये निर्णयों को अंगीकार किया जा सके। वस्तुतः आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बिहार में एक लम्बे समय के बाद ग्राम कचहरी का उद्घोष हुआ है, अब इसे इतना अधिक अधिकारसंपन्न कर देना होगा जिससे कि कानून के शासन को चुनौती देने वाले हतोत्साहित होकर न्याय की राह पर चल पड़ें।

**(लेखक हिन्दी मासिक पत्रिका 'केवल सच' के चीफ रिपोर्टर हैं।)**
**ई–मेल:** nirmal anand12@sify.com

# ग्रामीणों का प्रहरी सूचना का अधिकार

आलोक कुमार यादव

सूचना स्वयं में एक विकासात्मक पहलू है। इस ऐतिहासिक सच को आप नकार नहीं सकते कि वह व्यक्ति और समाज अपेक्षाकृत अधिक उन्नत रहा होगा, जिसके पास आनुपातिक रूप से अधिक सूचना रही होगी। यह सूत्र वर्तमान परिवेश में आज भी ठीक इसी तरह से लागू किया जा सकता है और उम्मीद है कि भविष्य में शायद ही कोई ऐतराज करे। यानी सूचना वह शक्ति है जिससे किसी भी व्यक्ति, समाज और देश को नई रफ्तार मिलती है। जब कोई लोकतंत्र किसी सामाजिक व्यवस्था की चेतना पर सवार हो तो सूचना के महत्व का दायरा अपने आप और भी बढ़ जाता है। वजह, लोकतंत्र की आत्मा लोकहित की भावना में ही बसती है और यह तंत्र शिक्षा द्वारा आम जनमानस में खुशहाली लाने के लिए उन्हें सदा जागरुक बनाए रखने का प्रयत्न करता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नीति–निर्देशकों ने लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जिन संस्थाओं की रचना की, उन्हें हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे। संभवतः हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा न था, कि हमारे नए शासक गोपनीयता की आड़ में मनमानी करते रहेंगे। उदाहरण के लिए किसी गांव या शहर में विकास का काम संतोषजनक नहीं है, तो आम नागरिक इस सिलसिले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रशासन के रोजमर्रा के काम में आम आदमी का कोई भी दखल नहीं रह जाता है। अगर उस ग्राम में सड़क ठीक नहीं बनी है तो इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार है या ठेकेदार। इस बारे में अब तक कोई सूचना लेने का अधिकार आम नागरिक को नहीं था, अतः धीरे–धीरे अनेक मंचों से सूचना के अधिकार के लिए आवाज उठाई जाने लगी।

*सूचना के अधिकार की जानकारी लेते हुए ग्रामीणजन*

अप्रैल 1996 का वह दिन आजादी के बाद की एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। उस दिन राजस्थान के छोटे से शहर "ब्यावर" में लगभग एक हजार स्त्री–पुरुषों का जुलूस जिसमें पुरुषों ने धोती पहन रखी थी और सर पर सॉफा बांध रखा था, शहर से होकर अनुमंडलाधिकारी के कार्यालय पर रुका और ज्ञापन दिया कि उन्हें विकास कार्यों पर होने वाले खर्चों का विवरण चाहिए यानी कि ये आंदोलनकारी सूचना के अधिकार की मांग कर रहे थे। लोग आश्चर्यचकित थे कि रोटी, कपड़ा और मकान की मांग करने के बजाए ये आंदोलनकारी सूचना के अधिकार की मांग कर रहे हैं पर तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सूचना के अधिकार का यह धरना राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा।

आजादी के 58 वर्षों के बाद भारतीय जनता के लिए वह शुभ दिन आया 12 अक्टूबर 2005 को, जब आम भारतीयों के हाथों में सूचना का अधिकार सौंप दिया गया। इस अधिकार का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना व जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाना है।

आज भारत में लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। लोकसभा के 14 सफल चुनाव और सत्ता परिवर्तन मतदान के द्वारा बराबर हो रहा है। इस बीच, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समाज के कई क्षेत्रों में भारी उलट–फेर हो रहा है। इस उलट–फेर में समाज दो भागों में बंट गया है। समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास सारी सूचनाएं तथा संशोधनों का उपयोग तथा उपभोग करने का एकाधिकार है, तमाम तरह के वैध–अवैध, सरकारी, गैर–सरकारी अधिकार से उनके लिए कुछ भी संभव है। दूसरी तरफ ऐसे वर्ग हैं, जो सर्वहारा, दमित, दलित, बहुजन वर्ग हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने के संविधान प्रदत्त वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सम्पन्न वर्ग को प्राप्त हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुविधा–विहीन वंचित लोगों को अपनी न्यूनतम मजदूरी तथा राशन तक नहीं मिलता है। समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए सूचना का अधिकार एक वरदान है। आखिर सामर्थ्यवान लोग इस अधिकार से पहले भी अपने काम की सूचना किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेते थे। लेकिन उन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं था, जिनका हक प्रतिदिन मार लिया जाता

था। इसका एक उदाहरण है–ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मुहैया कराने के लिए हैंडपंप लगाने वाला कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम का लाभ समाज के दबंग लोगों को ही मिलता रहा है। जगजाहिर है कि स्थानीय अधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत से आधे हैंडपंप बेच दिए गए हैं और शेष दबंग लोगों के दरवाजे अथवा खेत–खलिहानों में लगा दिए जाते रहे हैं। सूचना के अधिकार के बाद अब विश्वास है कि इन घपलों में धीरे–धीरे कमी होगी। क्योंकि हैंडपंप रातों–रात इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। यही हाल कृषि उपकरणों का भी हो रहा है।

आज गांव का गरीब व्यक्ति भी यह जान सकता है कि उसके क्षेत्र में कौन–कौन सी विकास योजनाएं (भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारटी योजना, इंदिरा आवास इत्यादि) चल रही हैं एवं उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। उसे क्षेत्रीय ब्लाक या ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर कितनी सहायता राशि आई या कितना अनाज आता है? उसका उपयोग कहां किया गया और उसके हिस्से में यह सुविधा कितनी मात्रा में आई। वह चाहे तो इसकी जानकारी बिना किसी विशेष पहुंच के स्वयं से भी प्राप्त कर सकता है। कई ग्राम पंचायतें इस कानून के लागू होने से पहले से कानून को अमल में ला रही हैं। वे सूचना संबंधी नियमों का पालन कर रही हैं। उनके मुखिया साप्ताहिक आधार पर पंचायतों के सूचना पट्ट पर साप्ताहिक कार्यों का ब्यौरा, कार्य की प्रगति और उसमें खर्च होने वाले धन के बारे में सूचनाएं लगा देते हैं। इससे वहां के लोगों को अपनी पंचायत से संबंधित विकास कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहती है और उन्हें अगर कोई आशंका है या गड़बड़ी नजर आती है तो वे सीधे उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

आज सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं (जो सरकार के अनुदान से चलती हैं) आदि मांगी गई सूचना किसी भी नागरिक को सामान्यतः 30 दिनों में उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। कोई भी सूचना देने में बहानेबाजी नहीं कर सकता है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने वाले की चरित्र–पंजिका में प्रतिकूल टिप्पणी भी दर्ज होगी।

सूचना के अधिकार के तहत सूचना की उपरोक्त प्रक्रिया के तहत सूचना नहीं मिलती है तब उसके लिए, केन्द्र में तथा राज्य में सूचना आयुक्त की तथा लोक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था है, जहां किसी भी विभाग से सूचना न मिलने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है। जहां शिकायत का निपटारा 45 दिनों में करने की व्यवस्था है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को सभी सूचनाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें महत्व के हिसाब से सूचनाएं उपलब्ध कराने की समय सीमा है। जीवन–मृत्यु अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराने की बात है जबकि अन्य मामलों में सूचनाएं जल्दी देने की चर्चा है।

लेकिन कुछ सूचनाएं प्रतिबंधित भी हैं जिसमें भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता प्रभावित होती हो या किसी सुरक्षा, रणनीति व विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ऐसे कुल 50 क्षेत्रों का इसमें विवरण है जो पूर्णतया गोपनीयता के दायरे में हैं जिसमें अदालती मामलें, संसद–विधानमंडलों के विशेषाधिकार, प्रक्रिया व व्यापारिक गोपनीयता आदि शामिल हैं।

भारत में सूचना के अधिकार के अभी तक के परिणाम काफी उत्साहवर्धक साबित हुए हैं। त्रिवेणी पूर्वी दिल्ली की झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाली एक निर्धन महिला है। उसके पास निर्धनतम लोगों को सरकार द्वारा जारी अंत्योदय कार्ड है, लेकिन इस योजना के तहत उसे राशन की दुकान से एक भी अनाज का दाना नहीं मिला। फरवरी 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसने

### मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पीएमजीएसवाई के अधीन केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (जीएमजीएसवाई) के अधीन मध्य–प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के लिए 273.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मध्य प्रदेश के मामले में चौथे चरण के शेष भुगतान के रूप में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) को अनुदान सहायता (एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाए,) के रूप में 173.48 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह प्राधिकरण पीएमजीएसवाई के लिए कोष प्राप्त करने हेतु स्वायत्त एजेंसी है और समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन विधिवत पंजीकृत समिति है।

छत्तीसगढ़ के लिए तीसरे चरण की दूसरी किस्त के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (सीआरआरडीए) के लिए अनुदान सहायता (एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तीसरे चरण) के रूप में है। यह प्राधिकरण पीएमजीएसवाई के लिए कोष प्राप्त करने हेतु एक स्वायत्त एजेंसी है और समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन विधिंवत पंजीकृत समिति है। यह अनुदान योजना व्यय के लिए है और समय–समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गनिर्देशों द्वारा निर्धारित शर्तों और उसके अधीन जारी पूरक निर्देशों के अधीन शर्तों पर है। (पसूका)

आवेदन किया तब जाकर उसे पता चला कि झूठे कागज पर उस जैसे हजारों लोगों के जाली अंगूठे के निशान लगाकर अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। फिर जद्दोजहद के बाद उसे न्याय मिला और उस जैसे हजारों लोगों को राशन मिल रहा है।

इसी के तहत महाराष्ट्र के शिवाजी राउत अथवा शैलेश गांधी सरीखे लोग आज हर राज्य में हैं, जो सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं के प्रतीक बन गए हैं। इसी तरह "परिवर्तन" नामक संस्था की मधु भादुड़ी हैं, जिन्होंने एक नए आन्दोलन को जन्म दिया है। मधु भादुड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संशोधन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन किया। इसके फलस्वरूप पेयजल प्रबंधन के निजीकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा दिल्ली सरकार पर दबाव डाले जाने का रहस्योद्घाटन हुआ। इसी तरह पांडव नगर, दिल्ली में सड़क की मरम्मत का मामला भी उजागर हुआ।

राजस्थान में भी अनेक मामलों का पर्दाफाश भी इसी अधिनियम के तहत हुआ है। राजस्थान में "मजदूर–किसान संगठन" ने इस ओर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी तरह के और भी कई उदाहरण सामने आए हैं। सूचना का अधिकार सरकार और नागरिक के बीच संबंध को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है।

सूचना का अधिकार कानून लागू होने से हालांकि इस बात का पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, मगर इसमें कुछ हद तक अंकुश लगने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। सार्वजनिक धन के उपयोग में अनियमितता बरते जाने और विकास कार्यक्रमों के लंबे समय तक लटके रहने की समस्या से पार पाने के लिए अनेक उपायों पर विचार किए जाते हैं। इसी तरह भारत में और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस अधिकार का प्रयोग कर अपने को एक जागरुक एवं जिम्मेदार नागरिक की श्रेणी में खड़ा किया है।

जब अधिकार तय हो जाते हैं तो जाहिर–सी बात है कि कर्त्तव्य भी निर्धारित होगा, क्योंकि "किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक का कर्त्तव्य ही दूसरे का अधिकार होता है" अर्थात् सक्षम अधिकारी को अब नागरिक की मांग पर संबंधित सूचना देने का कर्त्तव्य निभाना होगा। जिससे वह अभी तक बचता था और अब न निभाने पर दंड का भागी होगा। इस तरह इस कानून के आ जाने से जवाबदेही भी बढ़ेगी और पारदर्शिता भी।

भारत जैसे कल्याणकारी प्रजातांत्रिक गणराज्य में सूचना के अधिकार का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह आम नागरिकों की सत्ता में भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। अब यह जानना सहज होगा कि सत्ता–तंत्र उसकी समस्याओं के प्रति कितना गंभीर है। यह कानून विशेषकर ग्रामीण भारत के लिये आशा की नयी किरण है क्योंकि वहां जनसंचार के साधनों से भी बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। आज केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अरबों रुपए ग्रामीण योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनके फल कहीं से भी उत्साहवर्धक नहीं हैं। सूचना का अधिकार मिलने से कोई भी नागरिक यह जानने का हक रखता है कि उसके क्षेत्र की किस योजना में कितना धन आवंटित हुआ है और उसको किस मद में खर्च किया गया। निस्संदेह इससे भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में काफी सुविधा होगी।

**(लेखक समाजशास्त्रीय अनुसंधान एवं सर्वेक्षण विभाग में प्रवक्ता एवं सहनिदेशक हैं।)**

ई–मेल : dralokyad@gmail.com

## बेरोजगारी उन्मूलन

11वीं पंचवर्षीय योजना मे रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित नीतिगत पहलें निहित हैं–

- विकास को और अधिक समाहित बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादक परिसम्पतियों तक और अधिक लोगों की पहुंच हो सके जिससे कि वे स्वयं अच्छी आय अर्जित कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वेतन श्रम हेतु पर्याप्त मांग सृजित कर सके जिससे कि जो स्व–नियोजित न हो सकें, वे अच्छे वेतन पर नियोजित हो सकें।
- सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि तथा कृषि में दुगुनी वृद्धि के लक्ष्य से इस प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। विनिर्माण क्षेत्रों यथा, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, जूते तथा कपड़े तथा सेवा क्षेत्रों यथा, पर्यटन एवं निर्माण जैसे श्रम सघन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी।
- ग्राम एवं लघु पैमाने के उद्यम (वीएसई) 11वीं योजनावधि के दौरान अधिकतर नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाएंगे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार रोजगार सृजन हेतु बहुत–सी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनमें से मुख्य हैं (1) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी,) (2) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) (3) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), (5) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा (6) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (पसूका)

# मधुमक्खी पालन रोजगार का बेहतर विकल्प

गीता साहा

जीवन में हर कोई मधुरता चाहता है। मधुर वचन, मधुर वाणी, स्वभाव, शहद–सी मीठी बातें सबको पसंद है। पूजा में भी मधु, मिश्री, दूध, दही व घी मिला कर पंचामृत बनाया जाता है। मधु केवल खाने में ही मधुर नहीं, इसके गुण भी मधुर हैं। मधु अर्थात "शहद" वास्तव में पुष्प रसों की चीनी है। शहद प्रकृति का अनमोल उपहार है। शहद को अमृत समान माना जाता है। शहद जितना आहार और पूजा पाठ में उपयोगी माना जाता है, औषधि के रूप में भी उतना ही उपयोगी है। प्राचीनकाल से शहद को मनुष्य के जन्म से लेकर सभी शुभ कार्य पूजापाठ में इसे पवित्र वस्तु के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने तथा वैद्यक शास्त्रों में भी इसके गुण और उपायों की विशेष चर्चा की गई हैं। सौंदर्य विषयक चर्चा में भी शहद के गुणों का वर्णन किया गया है।

*मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेती महिलाएं*

कुदरत ने मधुमक्खियों को अनेक फसलों का परागणकर्ता बनाया है। खास तौर से बागवानी की फसलों में परागण का काम मधुमक्खियां ही करती हैं। देखा गया है कि बाग में मधुमक्खी का कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे उत्कृष्ट शहद खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है।

पहले लोग जंगल में जाकर मधुमक्खी का छत्ता ढूंढते थे और जंगल से शहद संग्रह करते थे क्योंकि मधुमक्खियों पर मानव का नियन्त्रण नहीं था। समय के साथ–साथ चीजों की मांग बढ़ती गई। आधुनिकीकरण से हमारी मांग की पूर्ति संभव हो पायी। आज हम अपने घरों में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं जिससे हमें शुद्ध शहद मिलने के साथ – साथ यह परिवार की आर्थिक उन्नति में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम रुपये/लागत से शुरू किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के लिए ज्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही ज्यादा देखभाल की। महिलाएं गृहकार्य तथा दूसरे कार्यों के साथ – साथ इसे आसानी से कर सकती हैं। इस व्यवसाय से वह शुद्ध शहद के अतिरिक्त मोम, रॉयलजैली तथा मधुमक्खी की कॉलोनियां भी प्राप्त कर सकती हैं। जिसे बेच कर महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं। कई लोग मधुमक्खी पालन इसलिए नहीं करते कि वे मधुमक्खियों द्वारा काटने से डरते हैं। परन्तु जब तक आप इन कीटों को छेड़खानी नहीं करेगें, आपको ये नहीं काटेंगी। ये कीट अपनी सुरक्षा के लिए काटती हैं।

शहद शरीर को महत्वपूर्ण पोषण भी प्रदान करता है। निर्धारित आधार पर शहद में उपलब्ध घटक निम्नलिखित प्रतिशत में उपलब्ध होते हैं।

इसके अलावा कुछ तत्व सामान्य मात्रा में विद्यमान रहते हैं जैसा इनवर्टेज एंजाइन, जो मधुशर्करा को साधारण शक्कर जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। साथ ही विभिन्न "बी–काम्पलेक्स" के विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफलोविन, फोलिक एसिड तथा विटामिन सी (एस्कोर्बिक एसिड) भी पाये जाते हैं।

## मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण व जानकारी

मधुमक्खी पालन को लघु व्यवसाय के रूप में आरम्भ करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपकरणों में एक

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | फलों का शक्कर (लेवुलोज) | – | 38.19 |
| 2. | ग्लूकोज (डैक्सट्रोज) | – | 31.28 |
| 3. | सुक्रोज (गन्ने का शक्कर) | – | 1.31 |
| 4. | माल्टोज व अन्य शक्कर | – | 7.31 |
| 5. | जटिल शक्कर | – | 1.50 |
| | **कुल शक्कर** | – | **79.59** |
| 6. | अम्ल जो विशेष सुगंध देते हैं (जैसे–सिट्रिक, ब्यूटाइरिक, लैक्टिक अम्ल आदि) | – | 0.57 |
| 7. | प्रोटीन (लगभग 16 किस्म के अमीनो एसिड की उपलब्धता) | – | 0.26 |
| 8. | खनिज लवण (इनमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइटस, सल्फर आदि मुख्य है) | – | 0.17 |
| 9. | पानी | – | 17.40 |
| | **कुल** | – | **97.99** |

बार पैसा खर्च करने के बाद, इन उपकरणों को कई बार व्यवहार में ला सकते हैं व उनसे बार–बार आय अर्जित की जा सकती है। आवश्यक उपकरणों का नाम व उनका प्रचलित मूल्य निम्न तालिका में दिया गया है :

| आवश्यक उपकण | प्रचलित मूल्य (रु.) |
|---|---|
| मधु बक्सा | 850.00 |
| धुंआदानी | 120.00 |
| शहद निकालने की मशीन | 360.00 |
| मुंह रक्षक जाली | 3.00 |
| बक्से को रखने के लिए स्टैण्ड | 150.00 |
| दस्ताने | 40.00 |
| चाकू | 10.00 |
| **कुल** | **1533.00** |

इन उपकरणों के अतिरिक्त प्रारम्भ में एक मधुमक्खी कालोनी की भी आवश्यकता होती है। जिसका मूल्य करीब 200–250 रुपये तक होता है। एक मधु बक्से से लगभग 4–5 कि.ग्रा मधु प्राप्त किया जा सकता है जिसका मूल्य लगभग 300–400 रुपये है। इसके अतिरिक्त मोम व रायलजैली को बेच कर भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खियों का विभाजन कर नई कालोनियां बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार धीरे–धीरे मधु बक्सों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तथा कालोनियां बेच कर आय भी प्राप्त की जा सकती है।

मधुमक्खी पालन का उत्तम समय बसंत तथा शीत ऋतु होती है, क्योंकि इस समय वृक्षों तथा खेती की फसलों में फूलों की भरमार होती है तथा अधिक मधुस्राव होने से मक्खियों में कार्य करने का जोश बढ़ जाता है। इस समय का तापमान मधुमक्खियों के लिए अच्छा माना जाता है। इस ऋतु में रानी मक्खी ज्यादा संख्या में अण्डे देती है। मधुमक्खियों की साधारणतः चार किस्में होती हैं:

- छोटे आकार की मधुमक्खी (एपिस फ्लोरिया)
- पहाड़ी अथवा सारंग मधुमक्खी (एपिस डोरसेटा)
- भारतीय मधुमक्खी (एपिस सिराना इंडिका)
- यूरोपीय इटालियन मधुमक्खी (एपिस मैलिफेरा)

## सहकारी क्षेत्र के लिए एनसीडीसी के द्वारा 3,652 करोड़ रु. का रिकॉर्ड व्यय

केंद्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने एक बार फिर वर्ष 2007–08 के दौरान सहकारी क्षेत्र के लिए 3,652 करोड़ रु. की सहायता जारी करके शानदार प्रदर्शन किया है और इसने अपने 2,000 करोड़ रु. की सहायता जारी करने के लक्ष्य को पार कर लिया है। एनसीडीसी के द्वारा 130 करोड़ रु. की कर पूर्व लाभ अर्जित करने की आशा है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है।

केंद्रीय कृषि, उपभोक्ता, मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार ने एनसीडीसी की 66वीं आम परिषद की बैठक में इस बात की घोषणा की।

किसान समुदाय, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों की परेशानियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए श्री पवार ने कहा कि सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों का 71,680 करोड़ रु. का कर्ज माफ करने तथा ऋण राहत योजना की घोषणा की है। यह योजना देश आजाद होने के बाद अपने आप में ऐसी पहली योजना है और इससे 4 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होने की आशा है। सरकार ने 18 राज्यों के 237 ज़िलों की भी पहचान की है जहां पर उत्पादन बहुत ही कम है क्योंकि वहां पर सूखा पड़ने का खतरा है और वे रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हैं। इन इलाकों में हरेक किसान कम से कम 20,000 रु. की कर्ज़ माफ़ी का पात्र है चाहे उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन हो।

सरकार ने और भी अन्य बड़े कदम उठाये हैं जिनमें अनेक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी करना, किसानों द्वारा आत्महत्या संभावित ज़िलों के लिए 16,979 करोड़ रु. के पुनर्वास पैकेज़ की घोषणा करना और किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना शामिल है। श्री पवार ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर दिखाई देना शुरू हो गया है। देश ने सभी बड़ी फसलों जैसे, चावल, मक्का, गेहूं , तुर तथा कपास में अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है और वर्ष 2007–08 के दौरान कृषि दर में लगभग 4.3 प्रतिशत के आसपास की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। श्री पवार ने कहा कि उच्च्व कृषि विकास से सकल घरेलू कृषि उत्पाद 9 प्रतिशत तक पहुंचेगा जो पहले 8.7 प्रतिशत अनुमानित था।

सहकारी दीर्घावधि ऋण संरचना को पुनः लागू करने के संबंध पर गठित प्रो. वैद्यनाथ समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार एक समझौते पर पहुंच गये हैं। इस पैकेज को पूरा करने के लिए 3,074 करोड़ रु. का खर्च आने का अनुमान है जिसमें केंद्र सरकार 2,642 करोड़ रु यानी 86 प्रतिशत का बोझ वहन करेगी। (पसूका)

पहाड़ी मधुमक्खी तथा छोटी मधुमक्खी जल्द–जल्द स्थान परिवर्तन करती हैं तथा कम शहद मिलता है। जिसे व्यावसाय के लिए पालन ठीक नहीं है। मधुमक्खी तथा यूरोपीय मधुमक्खी को भारतीय पालने के लिए ठीक माना जाता है। ये अंधेरी जगह पर घर बनाती हैं। किन्तु भारतीय मधुमक्खी यूरोपीय मधुमक्खी की तुलना में कम शहद इकठ्ठा करती हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए यूरोपीय मधुमक्खी पालन उत्तम माना जाता है। यूरोपीय मधुमक्खी से ज्यादा एवं अच्छा शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी परिवार में तीन सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं और लिंग भेद के अनुसार अपना कार्य करते हैं। मधुमक्खी के परिवार या कालोनी में तीन प्रकार के सदस्य होते हैः रानी, श्रमिक एवं नर मधुमक्खियां।

*प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं रानी मधुमक्खी की पहचान करती हुई*

### रानी मधुमक्खी

रानी मधुमक्खी एक कॉलोनी या परिवार में एक ही होती है। रानी मक्खी में समय के अनुसार परिवार नियोजन कराने की क्षमता होती है। रानी मक्खी अपनी इच्छानुसार पुरुष मक्खी, श्रमिक मक्खी पैदा करती है। रानी मक्खी अपने जीवनकाल में एक ही बार संगम करती है। संगम होने के बाद पुरुष मक्खी मर जाता है। रानी मक्खी अपने समय अनुसार रानी मधुमक्खी पैदा करती है तथा खुद दूसरी जगह चली जाती है। इसलिए रानी मधुमक्खी की पहचान होना बहुत जरूरी है। दूसरी रानी मधुमक्खी के जन्म होते ही उसे अलग कर देना चाहिए जिससे कॉलोनी बढ़ती है। रानी मधुमक्खी पूर्णतया मादा मक्खी है जो आकार में सबसे बड़ी होती है तथा इसका उदर नुकीला होता है। यह भूरे से काले रंग की होती है। इसका कार्य सिर्फ अण्डे देना एवं वंशवृद्धि करना है। फूलों के मौसम में जब मकरन्द तथा पराग बहुत उपलब्ध होता है। उस समय यह प्रतिदिन 800 से 1200 तक अण्डे देती है जिनका वजन इसके शरीर के भार का लगभग दो गुना होता है। रानी मधुमक्खी 2 साल से 3 साल तक जिन्दा रहती है।

### नर मक्खियां

मधुमक्खियों के छत्ते में नर मक्खियां केवल एक प्रतिशत होती हैं। ये आकार में मोटी और इसका पिछला भाग काला होता है। इसकी जीभ छोटी होती है। इसका कोई भी अंग कार्य करने योग्य नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य रानी मधुमक्खी का गर्भधारण करना है जिसके लिए वह लगातार गुंजन करते रहते हैं। हवा में सैकड़ों नर मक्खियों में से कुछ को ही रानी मक्खी के साथ संभोग करने का मौका मिल पाता है और इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नर मधुमक्खी ज्यादा होने से श्रमिक मधुमक्खियां उन्हें मार देती हैं।

### श्रमिक मधुमक्खियां

मधुमक्खी के छत्ते में इसकी संख्या 99 प्रतिशत होती है। श्रमिक मधुमक्खी अपूर्ण मादाएं होती है। इसमें अण्डाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए अण्डे देने में असमर्थ होती हैं। यह आकार में छोटी होती है। इसमें मातृ भाव होने का कारण कॉलोनी या परिवार का लालन पालन इसके दायित्व में रहते हैं। इनमें उम्र के अनुसार कार्य विभाजन व्यवस्था होती है। बीस दिन की उम्र तक सभी श्रमिक मधुमक्खियां घर के अंदरूनी कार्य करती हैं। पैदा होने के 2 से 8 दिन तक इनके सिर से कुछ विशेष ग्रंथियों द्वारा रायलजैली निष्कासित होती है जिसे श्रमिक मक्खियों के लार्वा को दो दिन तक तथा रानी मक्खी के लार्वा को पांच दिन तक खिलाया जाता है। रानी मधुमक्खी द्वारा अण्डे देने के लिए जगह बनाना, छोटी मक्खियों की देखभाल करना, नई मक्खी बनने पर उसकी साफ–सफाई करना, रानी मक्खी को खिलाना, मकरंद और पराग का सेवन कर मोम बनाना तथा इसके इस्तेमाल से छत्ते बनाना, छत्ते की रक्षा तथा सफाई करना, बड़ी मक्खियों द्वारा बाहर से लाये गये मधु रस तथा पराग को छत्ते में संग्रह करना आदि कार्य शामिल हैं। इक्कीस दिन के बाद श्रमिक मक्खियां बाहर के कामों को करने लगती है जैसे मकरंद, पराग, पानी एवं गोंद एकत्र करना। इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है, सर्दी में कार्य कम होने पर यह 4–5 माह तक जीवित रहती हैं जबकि वसंत ऋतु में ज्यादा व्यस्त होने पर इनका जीवन काल 5–6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है।

### मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक सावधानियां

- मधुमक्खी के बक्से को हमेशा ऊंचा स्टैण्ड बनाकर समतल जगह पर रखें।

- ऐसी जगह पर रखें जहां छाया, धूप, हवा तथा पानी की सुविधा हो।
- बक्से को ऐसी जगह पर रखें जिससे आप उसकी देख–भाल कर सकें तथा नीचे के तख्ते की सफाई आसानी से कर सकें।
- स्टैण्ड के चारों ओर गेमाक्सीन पाउडर अथवा राख डाल देनी चाहिए ताकि चीटियां मधुमक्खी के छत्ते तक न पहुंच सकें।
- खाली फ्रेम जिन पर मक्खियां न हों उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए।
- बक्से में यदि कोई छेद हो तो उसे मिट्टी या गोबर से बंद कर देना चाहिए जिससे कोई शत्रु अंदर प्रवेश न कर सके।
- मधुमक्खी के बक्से ऐसी जगह पर रखें जहां एक से दो कि. मी. के अंदर फल–फूल वाले पेड़ पौधे हों, ताकि उसे आसानी से पर्याप्त मात्रा में मकरंद तथा पराग मिल सके। मधुमक्खी उन्हीं फूलों पर जाती है जहां पर इनको पर्याप्त मात्रा में मकरंद तथा पराग मिलते हैं।
- मधुमक्खी कुछ फूलदार वृक्ष, सब्जियों, फसलों तथा लकड़ी वाले पेड़ से मकरंद तथा पराग अर्थात भोजन संग्रह करती है जो निम्नलिखित हैं:

**फलवाली और खेती की फसलें** : लीची, अमरूद, नींबू जाति, जामुन, खजूर, केला, नारियल, इमली, अंगूर, मक्का, बाजरा, गेहूं। सूरजमुखी, तिल, अरहर, सरसों, अलसी आदि।

- **सब्जियां** : शकरकंद, सजना फली, टमाटर, भिण्डी, सेम, बैंगन कद्दू, लोबिया, तोरई, धनिया, गोभी, मिर्च, मूली, लहसुन आदि।
- **जंगल तथा लकड़ी वाले पेड़** : नीम, महुआ, युक्लाप्टिस, शीशम, बबूल, सेमल, गेंदा, गुलाब, कचनार, पीपल, बहेड़ा, बेर, बांस, साल, रीठा तथा हजारों जंगली पौधे और जड़ी बूटियां।

### मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना

शहद निकालने के लिए निरीक्षण करते समय देखना चाहिए कि छत्तों में 80 प्रतिशत कोष्ठ मक्खियों द्वारा बंद कर दिये गये हो इससे उनमें से अच्छी मात्रा में शहद निकाला जा सकता है। शहद निकालने के लिए, पहले धुआं दानी से धुआं देकर मक्खियों को हटाकर मधु बक्से से निकाल कर तेज चाकू को पानी में गर्म करके सूखे कपड़ा से पोंछ कर छत्ते से मोम की टोपियां हटा देनी चाहिए। फिर इन्हें शहद निकालने वाली मशीन में रखकर गोल–गोल घुमाया जाता है। इससे छत्ते को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती और शहद भी बाहर निकल आता है। इन छत्तों को फिर से मधुकक्ष में रख दिया जाता है। इसमें मधुमक्खियां फिर से शहद भरना शुरू कर देती हैं। शहद को मशीन से निकालकर एक बड़े बरतन में दो दिन के लिए रख देना चाहिए। इससे शहद में मिले हवा के बुलबुले तथा मोम इत्यादि शहद के ऊपर आ जाते हैं। उसे निकालकर शहद को साफ पतले कपड़े से छानकर साफ तथा सूखी बोतल में भरकर रखना चाहिए।

### मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण

ग्रामीण महिलाओं को मधुमक्खी पालन हेतु प्रेरित करने व उनमें मधुमक्खी पालन की क्षमता को विकसित करने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में 'कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र' के वैज्ञानिकों द्वारा भुवनेश्वर के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिससे कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मधुमक्खी पालन को लघु व्यवसाय के रूप में आरम्भ कर अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की 40 महिलाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान स्वयं 'करके सीखो' पद्धति पर जोर दिया गया। अतः प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने स्वयं मधुमक्खियों की कालोनियों को मधु बक्से में रखा, बक्सों का रखरखाव किया व छत्तों से शहद निकाला। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा व मधुमक्खियों द्वारा काटने का डर उनके मन से निकल गया। सभी महिलाएं मधुमक्खी पालन को लघु व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए उत्सुक थीं।

**(लेखिका कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा में तकनीकी अधिकारी (गृहविज्ञान) हैं।)**

## लेखकों से

**कुरुक्षेत्र** के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

# जैविक खाद से कृषि में टिकाऊ उत्पादन

डॉ. आर. के.नैनवाल व पवन कुमार

सम्पूर्ण विश्व में कृषि में रसायनों के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से फसल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। भारत में भी हरित क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक कृषि में रसायनों का भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है जिससे फसल पैदावार भी बढ़ी है। लेकिन इनके प्रयोग से भूमि की संरचना, भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा पर प्रतिकूल असर हुआ है, जिससे भूमिगत जल व कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों से रासायनिक खादों के अवशेष भूमिगत जल और अन्य कृषि उत्पादों में पाए गए हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है एवं अनेक घातक बीमारियां पशु व मनुष्यों में पैदा हो रही हैं। पानी में घुलनशील नाइट्रेट की मात्रा बढ़कर 2 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो कि साधारण मात्रा से अधिक है। उत्तर भारत में जहां पर रसायनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वहां पर नवजात शिशुओं की श्वसन प्रणाली में कठिनाई एवं शारीरिक विकृति में बढ़ोतरी हुई है।

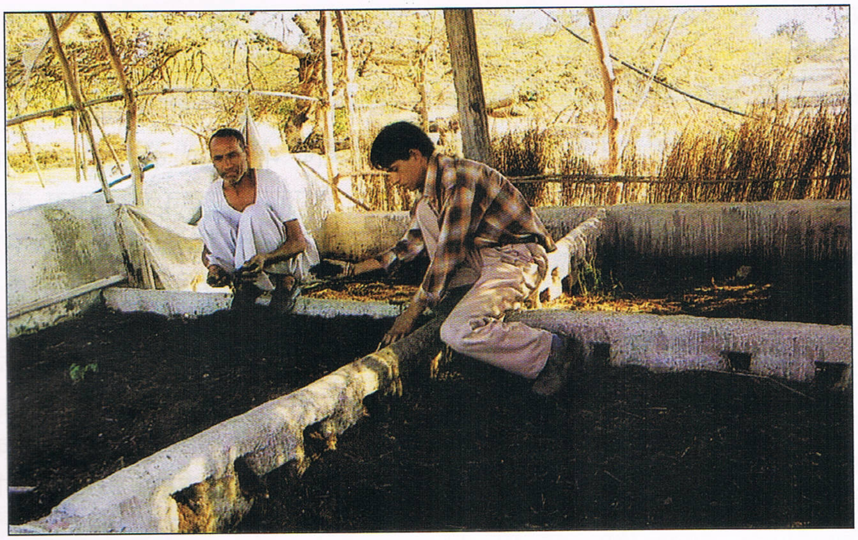

*जैविक खाद का निरीक्षण करते कृषि विस्तार अधिकारी*

जहां–जहां हरित क्रांति पहुंची, वहां–वहां परम्परागत खेती उच्च तकनीकी वाले व्यवसाय में बदल गई। लेकिन अब यह स्पष्ट होने लगा है कि नई तरह की खेती भी लगातार बढ़ती जनसंख्या का पेट नहीं भर सकती है। यह सही है कि पिछले कई सालों में अनाज का उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसमें बढ़ोतरी की दर लगातार घटती जा रही है। भविष्य में यह चिंता का बहुत बड़ा कारण है। 'विश्व पर्यावरण आयोग' यह भी चेतावनी देता है, कि ज्यादातर सिंचित भूमि के लिये अनाज उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है। जहरीले रसायनों से बेअसर व बेखौफ कीटों की पूरी की पूरी फौज पनप रही है। लम्बे समय तक इस्तेमाल के कारण कीटनाशक आसपास की हवा, पानी व जमीन को खराब कर रहें है और खेतों में प्रयोग किये गये रासायनिक उर्वरक नदियों और तालाबों में जाकर शैवालों के उगने में मदद कर रहे हैं। कई जगहों पर तो खेती में काम आने वाले रसायन भूमिगत जल में भी पहुंच गये हैं। ज्यादा सिंचाई होने से मिटटी खारी होने लगी है जिससे उसकी उर्वरता नष्ट हो रही है। पिछले कुछ दशकों में खेती की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डर है कि भविष्य में खेती फायदेमंद धंधा ही न रहे। इन परिस्थितियों में वैकल्पिक खेती या जैविक खेती का महत्व बढ़ जाता है।

कृषि रसायनों के प्रयोग के विकल्प प्रकृति में ही उपलब्ध हैं जो सदियों से कृषि अनुकूल रहे हैं। भविष्य में रासायनिक उर्वरकों की कमी की आशंका, बढ़ती कीमत तथा इनके दुष्प्रभाव का विकल्प जैविक खादें ही हो सकती हैं, यदि इनका उत्पादन, प्रयोग और प्रसार सही ढंग से किया जाए।

जैविक खाद कृषि योग्य भूमि में पाये जाने वाले उपयोगी सूक्ष्म जीवों का कल्चर है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करते हैं। इसके प्रयोग से मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा में सुधार होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता व जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैविक खादों के प्रयोग से रासायनिक खादों की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जैविक खादों का वर्णन इस प्रकार है:

## नाइट्रोजन जैविक खाद

जैविक खादों में अभी हमारे देश में मुख्यतः नाइट्रोजन जैविक खाद ही प्रचलन में हैं जिन्हें आमतौर पर टीका या कल्चर के नाम से जाना जाता है। जैविक खादों को फसलों में प्रयोग के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी खाद्य फसलों के लिए एजोटोबैक्टर या एजोस्परिलम कल्चर और धान की फसल के लिए नील हरित शैवाल एवं एजोला।

राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाई

जाने वाली गांठों का निर्माण करता है तथा वातावरण में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध निष्क्रिय नाइट्रोजन को योगिकीकृत करके पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक दलहनी फसल की जड़ों में अलग–अलग जाति के जीवाणु गांठें बनाते हैं, अतः बोई जाने वाली दलहनी फसल के अनुसार ही राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाना चाहिए।

दलहनी फसलों की कुल आवश्यकता की 80 से 90 प्रतिशत नत्रजन की पूर्ति राइजोबियम टीके के उपचार से की जा सकती है तथा लगभग 15 प्रतिशत तक उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। राइजोबियम कल्चर का अधिक लाभ लेने के लिए प्रयोग से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस खेत में राइजोबियम कल्चर से उपचारित बीज बोना है उसमें उचित नमी है, मृदा अधिक क्षारीय या अम्लीय नहीं है तथा कल्चर विश्वसनीय संस्था से लिया गया है। कल्चर का प्रभाव उस खेत में ज्यादा होता है जिसमें पहले कई सालों से दलहनी फसल नहीं ली गई हो। नाइट्रोजन की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें और ज्यादा लाभ लेने के लिए कल्चर को फास्फोरस के साथ प्रयोग करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करने से अगली फसल को भी लाभ मिलता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा वातावरण से योगिकीकृत की गई नाइट्रोजन का उपयोग वह फसल पूरी तरह नहीं कर पाती और शेष बची नाइट्रोजन का उपयोग अगली फसल द्वारा किया जाता है।

### राइजोबियम कल्चर/टीके से बीज उपचार

एक खाली बाल्टी में 2 कप (200.मि०ली०) पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलिये। एक एकड़ के बीज पर गुड़ का घोल डालें और ऊपर से राइजोबियम का टीका छिड़कें। बीजों को हाथ से अच्छी तरह मिला लें तथा बिजाई से पहले बीज को छाया में सुखा लें। ध्यान रहे बीज उपचार के 2–3 घण्टे बाद बिजाई अवश्य कर दें।

### फास्फोरस विलेयक जीवाणु (पी.ए.बी. कल्चर)

पौधों को भी अपनी समग्र वृद्धि के लिए मनुष्य की तरह अनेक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जिस प्रकार नाइट्रोजन पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, उसी प्रकार फास्फोरस तत्व भी महत्वपूर्ण है।

**मुख्य सूक्ष्माणु जो नत्रजन खाद बनाते हैं**

| | सूक्ष्माणु | कि.ग्रा./वर्ष/हे० नत्रजन स्थिर करने की क्षमता |
|---|---|---|
| 1. | एजोटोबैक्टर | 10 से 20 |
| 2. | एजोस्पारिलम | 10 से 20 |
| 3. | नील हरित शैवाल | 25 से 30 |
| 4. | राइजोबियम | 50 से 100 |
| 5. | अजोला | 100 |

आमतौर पर इसकी आपूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट तथा डी.ए.बी खादों के माध्यम से विभिन्न फसलों में की जाती है। आपूर्तित फास्फोरस का लगभग 20 से 25 प्रतिशत ही घुलनशील अवस्था में पौधों को मिल पाता है, शेष 75 से 80 प्रतिशत भाग भूमि में अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस योगिकों के रूप में स्थिर हो जाता है जो पौधो को उपलब्ध नहीं हो पाता या पौधे उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार लगातार हर फसल में फास्फोरस के प्रयोग से मृदा में फास्फोरस के अधिक मात्रा में एकीकृत होने से न केवल उत्पादन कम होता है बल्कि फसल उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है जो आज की महंगाई व फसल विपणन के हिसाब से किसान के हित में नहीं है।

मृदा में कई ऐसे लाभकारी सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो एकीकृत फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करते हैं जो आसानी से पौधों के लिए उपलब्ध होती है और जिससे अच्छी पैदावार होती है।

फास्फोरस विलेयन जीवाणु ऐसे ही जीवाणुओं का समूह है जो लिग्नाई धारक माध्यम से मिलाकर बनाया जाता है। इससे बीज उपचार करने से पैदावार बढ़ती है तथा मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो भूमि के लिए लाभकारी है।

### एजोला

एजोला जल में पाए जाने वाला फर्न है जो पानी में सभी जगहों पर बहुतायत में पाया जाता है। इसमें सहजीवी नील हरित शैवाल (एनाबिना एजोला) होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिर करने एवं पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। शैवाल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर काफी उच्च होती है जो कि धान की फसल में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक एकत्र कर सकती है। इसके प्रयोग से 25–35 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर लाभ होता है तथा पैदावार बढ़ती है।

हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए खेत को रोपाई से लगभग एक माह पहले समतल करके उसमें 50 से 100 वर्ग मीटर आकार की क्यारियां बनाकर पानी भर देते हैं। पानी भरने से पहले खेत में 30 – 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर सिंगल सुपर फास्फेट अच्छी प्रकार से मिलाना चाहिए, फिर क्यारियों में एजोला फर्न को 100 से 500 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से पानी के ऊपर छिड़काव करें। 15–20 दिन बाद एजोला क्यारी में पानी की सतह को पूरी तरह ढक लेता है, तब क्यारी का पानी सूखने दिया जाता है तथा ओट आने पर जुताई करके इसे मिट्टी में मिला देते हैं। इसके एक सप्ताह बाद खेत में धान की रोपाई कर दी जाती है।

### नीली हरी शैवाल

नीली हरी शैवाल सभी तरह की मृदाओं तथा विभिन्न जलवायु में पायी जाती है जो धान के खेत के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी वृद्धि व विकास कर धान की फसल

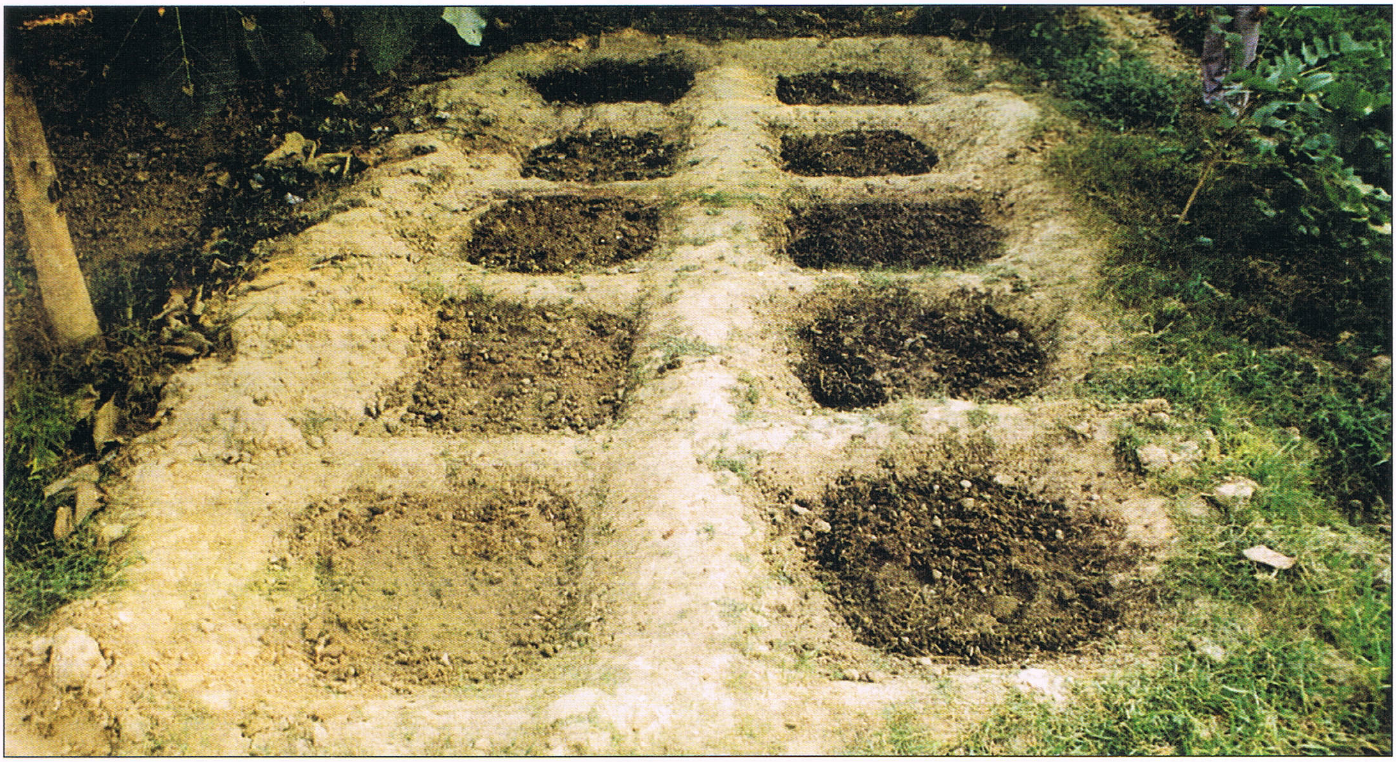

*टिकाऊ खेती के लिए तैयार जैविक खाद*

को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। किसी भी कृषि रसायन का सामान्य मात्रा में इस पर विपरीत प्रभाव नहीं होता। स्थिर की गई नाइट्रोजन का कुछ भाग मुख्य फसल को तथा शेष भाग आगामी फसलों को मिलता है और मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और मृदा फसल उत्पादन के लिए अच्छी रहती है।

## कैन्चुआ खाद

कैन्चुएं से बनी खाद को वर्मीकम्पोस्ट के नाम से जाना जाता है। कैन्चुए मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक और खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं और वायु संचार को बढ़ाते हैं। कैन्चुआ खाद साधारण कार्बनिक खाद (कम्पोस्ट) से कहीं अधिक उपयोगी है। कैंचुएं की विष्ठा हजम की हुई मिट्टी और जैविक पदार्थों से बनी होती है। इसमें हजारों लाभदायक सूक्ष्मजीव तथा कैंचुएं के अण्डे भरे रहते हैं। ये अण्डे इस मिट्टी में नये केंचुएं पैदा करते हैं। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में केंचुओं की आम भूमिका होती है। ये पत्तियां–टहनियां खाकर खाद बनाते हैं। हानिकारक फफूंदियों, जीवाणुओं आदि को नष्ट करते हैं और जैविक कचरे को विटामिन, एंजाईम, एंटिबायोटिक, हार्मोन और प्रोटीन से भरपूर खाद में बदलते हैं। कैन्चुआ और उनकी विष्ठा के इस्तेमाल से रासायनिक खादों व कीटनाशकों का खर्चा बचता है। जमीन को खोदने–गोदने में मेहनत नहीं करनी पड़ती और फसल को कम पानी की जरूरत पड़ती है। कैन्चुआं खाद व देशी गोबर की खाद में पोषक तत्वों की तुलना सारणी–2 में दी गई है।

### वर्मीकम्पोस्ट व देशी गोबर की खाद में पोषक तत्वों की तुलना

| पोषक तत्व (प्रतिशत) | वर्मीकम्पोस्ट | गोबर की खाद |
|---|---|---|
| नाइट्रोजन | 1.6 | 0.5 |
| फास्फोरस | 0.7 | 0.2 |
| पोटाशियम | 0.8 | 0.5 |
| कैल्शियम | 0.5 | 0.9 |
| मैगनिशियम | 0.2 | 0.2 |
| कार्बन : नाईट्रोजन अनुपात | 15.5 | 31.3 |

भले ही हम तकनीकी रूप से कितने भी उन्नत हो जाएं, मानव द्वारा विकसित तकनीकें हमारी सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। प्रकृति और पर्यावरण में ही हमारी समस्याओं का हल छिपा हुआ है। खेतों में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें खेती के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों की तरफ लौटना ही होगा।

**(लेखक चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में विद्यार्थी कल्याण के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।)**

ई–मेल : nanwal2005@hau.ernet.in

# पर्यावरण संरक्षण में रोजगार के बेहतर अवसर

प्रोफेसर गिरीशचन्द्र चौधरी

पर्यावरण संरक्षण आज की चर्चाओं में मुख्य मुद्दा तो है ही परन्तु इसका संरक्षण रोजगार भी दे सकता है। पयार्वरण संरक्षण से तात्पर्य हवा, भू–जल, वनस्पतियां, भूमि, पहाड़, मैदान, समुद्र, नदी, नाले अपशिष्ट का निस्तारण, इमारतें, प्राकृतिक आपदाएं, मानव स्वास्थ्य, वन्य जीव स्वास्थ्य, ऐतिहासिक इमारतों के सरंक्षण से है। इनका संरक्षण कैसे हो एवं ये रोजगार से कैसे जुड़ सकते हैं, विचार का महत्वपूर्ण विषय है। हम इनका संरक्षण करना आवश्यक समझते हैं तो इसको कैसे किया जाए एवं क्या किया जाए, जो रोजगार भी दे सके, विचारणीय है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है भूजल संरक्षण। भूजल का संरक्षण मुख्यतः इसके भण्डारण, उचित उपयोग, शुद्धता एवं पुनर्भरण से होता है। भूजल की रक्षा के लिए यह जानना जरूरी है कि भूजल कहां–कहां और कितनी मात्रा में है। यह कार्य भूविदों एवं भूभौतिकी के जानकारों द्वारा सम्भव है।

भूविद मोटे तौर पर ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएंगे, जहां इसके होने हेतु पर्याप्त भू स्थिति है। भूविद् चट्टानों के अध्ययन द्वारा पता करें कि उनमें छिद्र या कमजोर सतहें कहां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट पत्थरों में छिद्रों, सन्धियों की अधिकता भूजल एकत्र करने में सहायक होती है जो भूविद् ही भली प्रकार देख सकता है। उसी प्रकार चूना पत्थरों में पाये जानेवाले विवरण एवं संधियों की चौड़ाई भूजल एकत्रण में मददगार होती है। ऐसे क्षेत्रों में बेसाल्ट एवं चूना पत्थर (लाइम स्टोन) की हमारे देश में कमी नहीं है, जो भूविदों को अच्छा रोजगार दे सकता है। इनका पता लगाकर वहां भूजल की खोज करवायें। इसी प्रकार जलोढ़ से भरे मैदान अथवा ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थरों के क्षरण से उत्पन्न ठोकों से भरे मैदानों में भूजल की भण्डारण क्षमता होती है, जो भूविद सीमांकित कर भूजल की उपलब्धि करा सकते हैं। यह कार्य भू–विज्ञान के सामान्य ज्ञान से भी सम्भव हो सकता है।

*नर्सरी पौधे तैयार करने में महिलाओं को रोजगार*

भारत में अनेक विद्यालयों से सामान्य भू–ज्ञान के बेरोजगार स्नातक विद्यार्थी यह कार्य कर सकते हैं। यह एक रोजगारपरक कार्य सिद्ध होगा। भूजल के भण्डारण को पुनः करने हेतु भी भूविद उन उपायों को बतला सकते हैं, जैसे भूजल भण्डार के योग्य स्तरों का अध्ययन कर उनकी क्षमता का पता लगाना है, जो भण्डारण में मदद दे। यह पर्यावरण सुरक्षा का कार्य भी होगा।

रसायन के विद्यार्थी इसके शुद्धीकरण का प्रयत्न एवं उपाय द्वारा अशुद्ध भूजल को उपयोगी बनाने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही शुद्धता की दृष्टि से उनके उपयोग का वर्गीकरण भी करने में सफल होंगे। भूजल के अतिरिक्त नदियों के जल में भी अनेक रोजगारपरक कार्य हो सकते हैं।

नदियों के जल का भण्डारण किन भू–वैज्ञानिक कारणों से बढ़ाया जाए एवं उन्हें रोकने वाले स्थानों का निरीक्षण कर उन्हें दूर करने का कार्य भूगोल के ज्ञाता विद्यार्थी अच्छी प्रकार कर सकते हैं। नदी जल के संरक्षण के लाभ को प्राप्त कर हमें वायु प्रदूषण से संरक्षण करना चाहिए। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के संरक्षण हेतु अनेक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कारखानों के धुएं से रक्षा तथा स्तर से अधिक ध्वनि का विस्तारण के स्थल की जांच करने आदि जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

अब आता है वनस्पति के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का कार्य। वनस्पति विशेषकर पेड़–पौधे लगाने की बात होती है, जिसमें मुश्किलें हैं– पर्याप्त भूमि की आवश्यकता एवं वनस्पति की रक्षा। वनस्पति विज्ञान का सामान्य ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों को इस कार्य में लगाया जाए कि नये पेड़ों को लगाने के पूर्व लगे पेड़ों की रक्षा एवं उनके समुचित विकास को कार्यान्वित करें, जिससे उनका लाभ बढ़े। नये पौधे हेतु जमीन की कमी है। ऐसे

में छतों पर एवं गमलों में पौधे लगाकर वनस्पति बढ़ाई जा सकती है। इस कार्य को रोजगार के रूप में लेकर संरक्षण का कार्य भी सम्पन्न कराया जा सकता है।

वनस्पतियों के बाद जानवरों का संरक्षण भी रोजगार दे सकता है। हमारे जीव–विज्ञान के सामान्य ज्ञाता मछली, मधुमक्खी, गाय, सूअर एवं भैंसों का ठीक ढंग से संरक्षण कर रोजगार पा सकते हैं। पक्षियों की कुछ नस्लें व्यक्तिगत संग्रहों में आ सकती हैं, जिन्हें जीव विज्ञानी इंगित कर रक्षण करने एवं बेचने की व्यापारिक योजना बना रोजगार पा सकते हैं।

इन जीवों के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण के उपायों का कार्यान्वयन भी रोजगार दिला सकता है। बाढ़ नियंत्रण हेतु शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को नापकर एक निश्चित मात्रा जैसे शहरों में प्रतिशत भूमि खाली रखने का कार्य करा सकने में रोजगार का अवसर मिलेगा। बाढ़ नियंत्रण से पर्यावरण की रक्षा के बाद हमारे खेतों में विकास लाना चाहिए। यह पर्यावरण–संरक्षण का बड़ा कार्य होगा। खेती में बीजों, खेती के ढंग में परिवर्तन का कार्य तो बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है, परन्तु जमीन का उपयोगी वर्गीकरण आवश्यक है। कौन–सी जमीन फल या फूल या अनाज हेतु उपयुक्त है, यह कार्य कृषि वैज्ञानिक कर रोजगार पा सकते हैं। हमारे विद्यार्थी इन जमीनों का वर्गीकरण करके उचित सलाह किसानों को दे सकते हैं। कृषि विज्ञान की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक संरक्षण का कार्य बखूबी कर सकते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की भूमि उपलब्ध है, जिनमें एक ही प्रकार का धान नहीं हो सकता या कम हो सकता है। ऐसी भूमि को, जो एक प्रकार के विशेष धान के योग्य हो, उनको चिन्हित कर किसानों को बतावें कि वे अपनी कृषि को बदलें अथवा विकसित करें। इससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलने की सम्भावना बनेगी, साथ ही जिस स्थान पर पानी की कमी हो, वहां वे कम पानी वाले धान लगाकर अथवा बदल–बदलकर खेती करें। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र के नासिक जिले में गांव में तय हो जाता है कि इस साल इस खेत में ज्यादा पानी वाले धान बोये जायेंगे और दूसरे साल कम। इस प्रकार अन्तराल देकर उपज ली जाए।

शिक्षित बेरोजगार पर्यावरण संरक्षण का कार्य अपनाकर एक गैरसरकारी संरक्षण समूह बनाकर सरकारी कार्यों में मदद दे रोजगार पा सकते हैं। यह कार्य संरक्षण में वास्तविक रूप से तेजी लायेगा, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण दूर होगा, साथ ही रोजगार भी पैदा होंगे। सरकार ऐसे गैर–सरकारी समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए अर्थोपार्जन की व्यवस्था कर इस दिशा में गंभीर प्रयास कर सकती है।

**(लेखक भू–विज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रोफेसर हैं।)**

## जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संभरण परियोजना का विस्तार

जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संभरण (आरआरआर) परियोजना का पूरे देश में बाहरी सहायता से विस्तार हो रहा है। तमिलनाडु के साथ विश्व बैंक ऋण समझौते पर चार लाख कृषि योग्य नियंत्रण क्षेत्र (सीसीए) में 5763 जल निकायों के लिए 2182 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के सीसीए 205 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3000 जल निकायों के लिए 835 करोड़ रुपये तथा कर्नाटक सरकार के लिए 259 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों के आरआरआर के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं को जनवरी 2005 में अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई थी। इस योजना को 15 जिलों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात, केरल, तथा महाराष्ट्र के 26 जिला परियोजनाओं को अनुमानित लागत 299.92 करोड़ रुपये तथा केन्द्र की 179.73 करोड़ रुपये की साझेदारी को राज्यों के लिए अब तक दिया जा चुका है। इन परियोजनाओं में कुल मूल कृषि योग्य नियंत्रण क्षेत्र 1.72 लाख हेक्टेयर पर 1098 जल निकाय शामिल होंगे। आरआरआर कार्यों के बाद अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 0.78 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद है। अब तक 11 राज्यों में 736 जल निकायों के संभरण के लिए शारीरिक श्रम का कार्य पूरा किया जा चुका है। (पूसका)

# बाजरे की पैदावार बढ़ाने की तकनीक

डॉ. वाई.एस. शिवे

मोटे अनाज वाली फसलों में बाजरे का प्रमुख स्थान है। सन् 2005–06 वर्ष में 121.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में सभी खाद्यान्न फसलों की खेती की गई, लेकिन बाजरे की खेती 9.58 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही की गई कुल खाद्यान्न फसलों के लगभग 7.88 प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती हुई। बाजरे का कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 4 प्रतिशत का योगदान रहा। बाजरे की फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, एवं मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाता है, इन राज्यों में कुल क्षेत्रफल का लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्रफल है, यह प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन (14.34 क्विं प्रति हेक्टेयर) उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान में प्रति हेक्टयर औसत उत्पादन सबसे कम (5.56 क्वि. प्रति हेक्टेयर) है। इसका प्रमुख कारण अधिकांश क्षेत्रफल का असिंचित होना, मिश्रित खेती पद्धति अपनाना एवं साथ ही साथ बाजरे की कड़वी का पशुओं के लिए अधिक महत्व दिया जाता है।

सामान्यतः बाजरे की खेती अधिकतर कमजोर भूमि एवं बारानी क्षेत्रों में ही की जाती है। बाजरे की खेती सिंचित क्षेत्रों में केवल 6 प्रतिशत ही की जाती है, जोकि अन्य फसलों की अपेक्षा काफी कम है। बाजरे की खेती को कम महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि किसानों को इसकी काश्त करने से शुद्ध लाभ दूसरी फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम प्राप्त होता है जबकि इसकी काश्त करने में लागत अन्य खरीफ खाद्यान्न फसलों जैसे–धान, मक्का, एवं ज्वार की अपेक्षा बहुत ही कम आती है। बाजरे की फसल की अवधि सामान्यतः अन्य खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा कम होती है। बाजरे की संकर प्रजातियां उपलब्ध होने की वजह से यह फसल 65 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है।

बाजरे की फसल के साथ असिंचित क्षेत्रों में लोबिया, ग्वार, मूंग, उड़द, मोठ आदि की मिश्रित खेती भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। बाजरे की फसल अत्यधिक सूखा भी सहन कर सकती है तथा इस फसल में अन्य फसलों के

**सारणी–1 प्रमुख खाद्यान्नों एवं बाजरे में पोषक तत्वों की मात्रा व खनिज लवणों का विश्लेषण**

**(उपलब्धता प्रति 100 ग्राम में)**

| खाद्यान्न पोषक तत्व व खनिज लवण | बाजरा | गेहूं | मक्का | चावल |
|---|---|---|---|---|
| प्रोटीन (ग्रा.) | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 6.8 |
| वसा (ग्रा०) | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 0.5 |
| रेशा (ग्रा०) | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.2 |
| फास्फोरस (मि.ग्रा.) | 296 | 306 | 348 | 160 |
| पोटेशियम (मि.ग्रा०) | 307 | 284 | 286 | – |
| कैल्शियम (मि.ग्रा०) | 45 | 41 | 10 | 10 |
| मैगनिशियम (मि.ग्रा.) | 137 | 138 | 139 | 90 |
| सल्फर (मि.ग्रा.) | 147 | 128 | 114 | – |
| लोहा (मि.ग्रा.) | 8.0 | 5.3 | 2.3 | 0.7 |
| सोडियम (मि.ग्रा.) | 10.9 | 17.1 | 15.9 | – |
| कॉपर (मि.ग्रा.) | 1.06 | 0.68 | 0.41 | 0.14 |
| जिंक (मि.ग्रा.) | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 1.4 |
| मैंगनीज (मि.ग्रा.) | 1.15 | 2.29 | 1.48 | 0.59 |
| मोलिब्डीनम (मि.ग्रा.) | 0.069 | 0.051 | 0.038 | 0.058 |
| ऊर्जा (कैलोरी) | 361 | 346 | 342 | 345 |

मुकाबले कम जोखिम एवं साथ ही साथ उत्पादन लागत भी कम आती है। इस तरह बाजरे की फसल से किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक आमदनी प्राप्त होती है, साथ ही साथ इस फसल से किसानों को अपने पशुओं के लिए हरा चारा एवं पौष्टिक कड़वी भी प्राप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

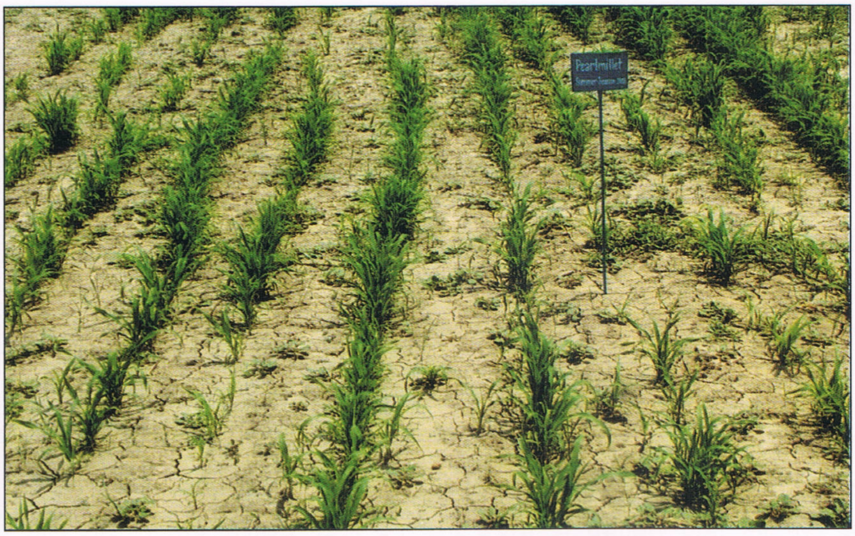


*जमाव के प्रथम पखवाड़े में बाजरे की फसल की दशा*

हरियाणा एवं पंजाब के कुछ सिंचित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में इसकी खेती दुधारू पशुओं के लिए हरे-चारे के रूप में भी की जाती है।

सबसे महत्वपूर्ण बाजरे के दानों में पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में होना है, जो अन्य खाद्यान्न फसलों से काफी अधिक होता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों एवं बाजरे में पोषक तत्वों की मात्रा एवं खनिज लवणों का तुलनात्मक विश्लेषण सारणी-1 में दर्शाया गया है। इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि बाजरे में पोषक तत्वों की मात्रा अन्य खाद्यान्न फसलों से ज्यादा है। मुख्य रूप से लोहा 2-4 गुणा, वसा 2-2.5 गुणा, खनिज लवण लगभग 2.5 गुणा तथा विटामिन 'ए' लगभग 2 गुणा पाया जाता है। (सारणी-2)

**सारणी-2 प्रमुख खाद्यान्नों एवं बाजरे में विटामिन की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन**

| खाद्यान्न | कैरोटीन (माइक्रो मि.ग्रा.) | थाइमिन (मि.ग्रा.) | राइबोफ्लेविन | नाइसीन | फोलिक अम्ल स्वतंत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा | 132 | 0.33 | 0.25 | 2.3 | 14.7 |
| गेहूं | 64 | 0.45 | 0.17 | 5.5 | 14.2 |
| मक्का | 90 | 0.42 | 0.10 | 1.8 | 14.0 |
| चावल | – | 0.06 | 0.05 | 1.9 | 4.1 |

बाजरा प्रमुख रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। बाजरे की अच्छी बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम 20-28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। फूल बनते समय यदि भूमि में नमी का अभाव होता है तो दाने अच्छी प्रकार से नहीं बनते हैं।

बाजरे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन इसकी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए बलुई-दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है, कि अम्लीय मृदायें एवं जल भराव वाली भूमियां इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं।

**बाजरे की उन्नतशील किस्में:-** किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक होता है कि किस्मों का चयन उपलब्ध साधनों के अनुसार ही किया जाए जैसे सिंचित, असिंचित दशा, उपजाऊ एवं कम उपजाऊ भूमि, क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों का चयन इत्यादि।

**बाजरे की संकर किस्में:-** पूसा-23, पूसा- 322, पूसा -415, पूसा-605, सी.सी. एम.एच-415, सी.सी.एम. एच. 356, एच.एच. बी. 67, एच.एच. बी.-94, एक्स-5, आर.एच.बी-30, एम.एच.-180, एम.एच.-182, सी.ओ.एच.-2 इत्यादि।

**संकुल किस्में:-** डब्ल्यू.सी.सी.-75, पूसा बाजरी-266, पूसा-334, पूसा- 383,आई.सी.सी.पी.-8203, एच.सी.-4, एम.पी.-155, एम. पी.-221, राज.-171, एच.पी.-861, विजय कम्पोसिट, पी.सी.बी. -158 इत्यादि।

**खेत की तैयारी:-** बाजरे की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह करें। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करें तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें।

**बुवाई का समय:-** खरीफ ऋतु में बाजरे की बुवाई का उचित समय जुलाई का पहला पखवाड़ा है जबकि बारानी क्षेत्र में मानसून की पहली वर्षा के बाद बाजरे की बुवाई कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र तथा गुजरात में जहां बाजरे की खेती गर्मी के मौसम में की जाती है, इसकी बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में हरे चारे के लिए बाजरे की बुवाई गेहूं की फसल काटने के बाद अप्रैल में की जाती है।

*पूर्ण वनस्पतिक अवस्था में बाजरे की लहलहाती फसल*

**बीज दर एवं बुवाई की विधि**

बाजरे की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में पौधों की संख्या 1,75,00-2,00,000 प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। इतने पौधे प्राप्त करने के लिए बाजरे की बुवाई कूड में 45 से.मी. के अन्तराल पर करनी चाहिए तथा पौधे से पौधे

की दूरी 15 से.मी. रखनी चाहिए। खेत में पौधों की उचित संख्या प्राप्त करने के लिए 4–5 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

**बीजोपचार :** बुवाई से पहले बीज को किसी फफूंद/नाशक दवा व जैविक खादों से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए थायरम/कैप्टान 2 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचार करना चाहिए तथा इसके साथ–साथ बीज को जैविक खाद जैसे एजेटोबैक्टर व पी.एस. बी. से भी उपचारित करने से 15–20 प्रतिशत पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

## खाद व उर्वरक प्रबंध

जहां तक संभव हो सके, बाजरे से अच्छी पैदावार लेने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे बाजरे के लगभग सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। भूमि की उर्वराशक्ति बनी रहती है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है एवं उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। किसानों के खेतों पर लगाए गये प्रदर्शनों में यह देखा गया है कि जिस खेत में जैविक खाद का प्रयोग किया गया उसमें 10–15 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त हुई। यदि जैविक खाद एवं देशी खाद का उपयोग नहीं किया हो तो संकर बाजरे में सिंचित दशा में नाइट्रोजन 100–120 कि.ग्रा. फास्फोरस 40–60 कि.ग्रा. तथा पोटाश 30–40 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। असिंचित (बारानी) दशा में नाइट्रोजन 60 कि.ग्रा. फास्फोरस 30 कि.ग्रा. तथा पोटाश 20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बाजरे में जिंक की आवश्यकता भी होती है। अगर भूमि में जिंक की कमी हो तो 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय कूड़ में 'प्लेसमेंट विधि' द्वारा देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा खड़ी फसल में टोपड्रेसिंग के रूप में दो बार प्रयोग करनी चाहिए। पहली टोपड्रेसिंग थिनिंग (20–25 दिन बाद) के समय तथा दूसरी बालियां निकलते समय (45–50 दिन बाद) करना लाभदायक रहता है। बारानी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत यूरिया का छिड़काव (खड़ी फसल में) करना लाभदायक होता है।

## निराई–गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण

बाजरे की अच्छी पैदावार लेने के लिए निराई–गुड़ाई करना अति महत्वपूर्ण है, इससे खरपतवार नियंत्रण के साथ–साथ भूमि में वायु का संचार होता है तथा भूमि में नमी सुरक्षित रहती है। बुवाई के 20–25 दिन बाद बैलों से या हस्तचालित व्हीलों से निराई–गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। इसी समय खेत में पौधों की उचित संख्या रखने हेतु जहां आवश्यकता से अधिक पौधे हों ये उनको वहां से निकाल कर जहां पौधे नहीं उगे हों वहां रोपाई करना लाभप्रद रहता है। यदि किसी कारणवश निराई–गुड़ाई करना संभव न हो तो बुवाई के तुरन्त बाद 'एट्राजीन' नामक खरपतवारनाशी की 0.5 कि.ग्रा. मात्रा (सक्रिय तत्व) का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए।

**सिंचाई :–** बाजरे की खेती मुख्यतः बारानी क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में की जाती है, इसमें सिंचाई की कम ही आवश्यकता होती है। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बाजरे की भरपूर पैदावार प्राप्त करने के लिए 3 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई फुटाव के समय, दूसरी बालियां निकलते समय और तीसरी सिंचाई दाना बनते समय करनी चाहिए। सिंचाई करते समय यह ध्यान रहे कि खेत में पानी खड़ा ना होने पाए, नहीं तो फसल को काफी नुकसान होता है।

## कीट एवं रोग नियंत्रण

### कीटः

**तना मक्खीः–** इसका प्रकोप फसल की प्रारम्भिक अवस्था में होता है। कीट की झल्लियां (मैगोट) सबसे हानिकारक अवस्था होती है।

**सफेद ग्रब्सः–** बाजरे में सफेद ग्रब्स पौधों के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यह बहुत ही हानिकारक कीट है। इसकी लार्वा अवस्था फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है।

तना मक्खी एवं सफेद ग्रब्स की रोकथाम के लिए थिमेट 10 जी. (फोरेट) 15–20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर अथवा फ्यूराडान 3 जी. –25–30 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय मिटटी में मिला देनी चाहिए।

हेयरी कैटरपिलर (रोंयेदार सूंडी):–यह भी बाजरे का मुख्य कीट है, इसका प्रकोप फसल की प्रारम्भिक अवस्था में होता है। इसकी रोकथाम के लिए 'फोलीडाल' 2 प्रतिशत (धूल) का 20–25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरकाव करना चाहिए।

### रोगः

**हरित बाली रोगः–** यह एक कवक जनित रोग है, इसमें पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है जो बाद में कत्थई भूरे रंग की हो जाती हैं। रोग से प्रभावित पौधों की पूरी बाली अथवा बाली के कुछ हिस्से छोटी तथा मुड़ी हुई पत्तियों के आकार में बदल जाते हैं।

अतः बालियों में दाने नहीं पड़ते।

हरित बाली रोग बीज एवं मृदा दोनों द्वारा फैलता है। अतः रोग से बचाव के लिए बीज को किसी कवक नाशी जैसे कैप्टान/थाइरम से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। खड़ी फसल में पौधों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर, रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा फसल पर डाइथेन एम–45 या डाइथेन जेड–78 का 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से 600–800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे हरित बाली रोग काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है।

**अर्गटः** यह रोग कवक द्वारा फैलता है। फसल में इसका प्रकोप बाजरे की बालियों में फूल आने के समय होता है। इसके प्रकोप से फूलों में से हल्के गुलाबी रंग का गाढ़ा व चिपचिपा शहद जैसा द्रव निकलता है, इसे ही अर्गट कहते हैं। अर्गट एक जहरीला पदार्थ होता है जो मनुष्य तथा जानवर दोनों के लिए हानिकारक होता है।

अर्गट रोग से ग्रसित बालियों को तुरन्त काटकर जला देना चाहिए। बीज को किसी कवकनाशी जैसे थाइरम या एग्रोसान जी. एन. से उपचारित करके बोना चाहिए।

**स्मटः–** इस रोग का प्रकोप बालियों में दानों पर होता है जिससे दानों के अन्दर काले रंग का चूर्ण या पाउडर बन जाता है जो इस रोग के बीजाणु होते हैं। जिन दानों पर इसका आक्रमण होता है, वह सामान्य से दो गुणा उभरे हुए होते हैं।

स्मट की रोकथाम के लिए बीज को कवकनाशी दवा जैसे–कैप्टना या थाइरम से उपचारित करके बुवाई करें तथा खड़ी फसल में 1.5 कि.ग्रा. वीटावैक्स का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टयेर की दर से छिड़काव करें।

**कटाई एवं मड़ाईः–** बाजरे की विभिन्न प्रजातियां 70–100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। फसल की कटाई के समय दानों में नमी की मात्रा लगभग 20 प्रतिशत होनी चाहिए। खड़ी फसल से हंसिया की सहायता से बाली काट कर खलियान सुखा लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में, खेत से पहले फसल काटकर खलियान में लाते हैं और फिर बालियां काट ली जाती हैं। बालियों को खलियान में सुखा कर, मड़ाई डण्डों से पीट कर, बैलों द्वारा या थ्रेशर द्वारा कर लेते हैं।

*बाजरे की परिपक्व दशा में लहलहाती फसल*

**उपजः–** बाजरे की खेती यदि उन्नत सस्य विधियां अपना कर की जाए तो सिंचित दशा में 30–40 क्विंटल तथा बारानी क्षेत्रों में 15–20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाने की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

## बाजरे की खेती के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

- बुवाई के लिए उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें।
- बीज की बुवाई के समय भूमि में उपयुक्त नमी होनी चाहिए।
- बुवाई से पहले बीज का उपचार किसी कवकनाशी जैसे–कैप्टान, थाइरम, एग्रोसान जी.एन.से 2.5 ग्रा० प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से अवश्य करना चाहिए।
- बीज की बुवाई पंक्तियों में करें तथा बीज की गहराई 2–3 से. मी. रखें।
- बुवाई के 20–25 दिन बाद थिनिंग द्वारा अतिरिक्त पौधे निकास दें तथा जहां पर कम पौधें हों वहां पर रोपाई करके पौधों की संख्या पूरी कर लें।
- बालियों में दाना बनते समय यदि वर्षा न हो तो सिंचाई अवश्य कर दें।
- फसल पकने पर समय से कटाई करें।

**(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।)**

ई–मेल : y.sshivay@Hot mail.com

# ग्रामीणजनों की आम बीमारी और सस्ता उपचार

डॉ. रामकिशन

हमारे देश के छोटे–छोटे गांवों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पति सुगमता से उपलब्ध होती है जिनको सामान्य रोगों के उपचार में गांववासियों द्वारा प्रयोग में लाकर लाभ उठाया जा सकता है और जहां नजदीक में औषधालय और अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं वहां के आमजनों को आम बीमारियों के तत्काल उपचार की जानकारी दी जा रही है।

### आग से जलना

- आलू को अत्यंत बारीक पीसकर जले हुए स्थान पर गाढ़ा लेप लगा दें। जिससे इस स्थान को हवा न लगे। तुरंत आराम होगा।
- जले हुए स्थान पर शहद का लेप भी जलन को तुरंत दूर करता है।
- केवल नारियल का तेल लगाना ही अत्यंत लाभदायक है।
- असली हींग को पानी में घोलकर मुर्गी के पंख से जले हुए स्थान पर दिनरात में 4–5 बार लगाएं। इससे आराम होगा तथा फफोला भी नहीं पड़ेगा।
- जले स्थान पर ग्लिसरीन लगाने से न दर्द होगा, न छाले पड़ेंगे और न चमड़ी ही लाल होगी।

### आधा सीसी का दर्द

- गाय का ताजा घी प्रातः काल नाक में चढ़ाने से नाक से खून का गिरना और आधा सीसी जड़मूल से नष्ट होती है।
- जिस भाग में दर्द हो उसी तरफ के नथुने में दस बूंद कड़वा तेल डालकर सुंघाने से दर्द एकदम बंद होता है। दो चार दिन इस प्रकार करने से दर्द सदा के लिए मिट जाता है।
- जिस ओर दर्द हो उस ओर के कान में कागजी नींबू के रस की 3–4 बूंद डाल दो। दर्द तुरंत मिट जाता है।
- रीठे का छिलका पानी में पीसकर 2–2 बूंद नाक में टपकाने से आधा सीसी का दर्द बंद हो जाता है।

### रतौंधी

- काली मिर्च को करेले के पत्तों में घिसकर एक सप्ताह तक आंखों में लगायें। रतौंधी दूर हो जाती है।
- लहसुन का रस रात्रि में 1–2 बूंद आंख में डालने से आश्चर्यजनक लाभ होता है।
- गाय के गोबर का रस 3–4 बूंद दिन में 3–4 बार आंखों में डालें। एक ही दिन में रतौंधी मिट जाती है।
- शहद अंगुली या सलाई से आंखों में लगाने से रतौंधी दूर होती है।

### नेत्र ज्योतिवर्धक

- प्रतिदिन नहाने से पूर्व पांव के अंगूठों में शुद्ध सरसों का तेल मलने से नेत्रों की ज्योति कमजोर नहीं होती।
- प्रतिदिन आंखों में 1–2 बूंद सरसों का तेल लगाएं। इससे आंखें सभी प्रकार के रोगों से सुरक्षित रहेंगी और नेत्रज्योति में जीवन भर कोई अंतर नहीं आएगा।

### आंख दुखना

- फिटकरी आधा ग्राम, अर्क गुलाब 20 ग्राम, दोनों को शीशी में डालकर अच्छी प्रकार मिला लें। दिन में 3–4 बार 2–2 बूंद दवा आंख में डालें। दुखती आंखों के लिए उत्तम दवा है।
- जिस समय आंखें दुखने लगे या आंखें दुखने वाली हो, उसी समय उस ओर के कान में रूई ठूंस दें। यदि दोनों आंखों के दुखने का संदेह हो तो दोनों कानों में रूई ठूंस लें। 2–3 घंटे में पूर्ण आराम मिलेगा।

### कान का दर्द

- प्याज का रस तनिक गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है।
- नींबू का रस गुनगुना करके कान में डालने से कान दर्द दूर होता है।
- कान में 2–3 बूंद गोमूत्र डालने से कर्ण पीड़ा शांत होती है।
- स्त्री के दूध की 2–3 बूंद प्रतिदिन कान में टपकाने से कान का दर्द व घाव ठीक हो जाता है।

### मुंह के छाले

- चमेली के पत्तों को चबाने से मुख के छाले ठीक हो जाते हैं।
- बांसे के पत्ते पान की तरह चबायें। फिर व्यर्थ के पदार्थ को थूक दें। ऐसा करने से मुख के छाले ठीक हो जाते हैं।
- भुना सुहागा पीसकर शहद में मिलाकर छालों पर लगाने से लाभ होता है।
- रात को सोते समय मुख में असली घी भरकर सोना चाहिए। कैसे भी छाले हों ठीक हो जायेंगे।
- तरबूज के छिलके जलाकर राख को छालों पर बुरकें। अचूक एवं अमोघ औषधि है।

### नकसीर

- गाय के गोबर का रस सूखने अथवा उसकी नसवार लेने से नकसीर अवश्य बंद हो जाती है।

- बकरी का धारोष्ण दूध मिश्री मिलाकर पिलाने से किसी भी दवा से ठीक न होने वाली नकसीर कुछ ही दिनों में जीवनभर के लिए बंद हो जाती है।
- ताजे आंवलों के रस का नस्य देने से या पिचकारी द्वारा नाक में पहुंचाने से भयंकर खून की धारा भी रुक जायेगी। आंवलों को पानी के साथ कूट–पीसकर सिर एवं तालु पर लेप कीजिए। अद्भुत एवं चमत्कारी दवा है।
- 3 ग्राम सुहागे को पानी में घोलकर दोनों नथुनों में लगा दें।
- 20 ग्राम मुलतानी मिट्टी को रात्रि में 250 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। प्रातः पानी को निथार कर छान लें। इस पानी को पिलाने से वर्षों पुराना रोग समूल नष्ट होता है।

## गुर्दे की पथरी

- लाल रंग के पके हुए सीताफल का रस 25 ग्राम में तीन ग्राम सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 बार रोगी को पिलायें। दो सप्ताह रस का सेवन करने से पथरी गलकर मूत्रमार्ग से निकल जाती है।
- पपीते की जड़ 20 ग्राम पीसकर 250 ग्राम पानी में घोलकर 21 दिन रोगी को पिलाने से पथरी गलकर नष्ट हो जाती है।
- मूली का रस 20 ग्राम और यवक्षार एक ग्राम दोनों को मिलाकर रोगी को पिलाएं। पथरी गलकर निकल जाएगी।
- तरबूज का छिलका दस ग्राम लेकर इसे सौ ग्राम पानी में उबाल लें। प्रातः सायं रोगी को पिलाएं। इससे मसाने की पथरी जल्दी निकल जाएगी।
- प्रतिदिन प्रातः गौमूत्र 50 ग्राम पीएं। सायं को तीन ग्राम फिटकरी एक गिलास पानी में घोलकर पीएं। 40 दिन तक सेवन करें। पथरी गलकर निकल जायेगी।

## पीलिया

- मूली के पत्तों के 100 ग्राम रस में 20 ग्राम शक्कर मिलाकर पिलाएं। पीलिया को नष्ट करने के लिए उत्तम है।
- कटकी 3 ग्राम मिश्री (कुजा) 10 ग्राम पीसकर मिला लें। प्रातः प्रतिदिन पानी के साथ खिला दें। भयंकर पीलिया भी ठीक हो जायेगा।
- प्रतिदिन आंखों में 2–3 बूंद नींबू का रस टपकाने से कामला ठीक होता है।
- सफेद फिटकरी अठारह ग्राम लेकर बारीक पीस लें। इसकी 21 पुड़िया बना लें। प्रातः निराहार एक पुड़िया गाय के 20 ग्राम मक्खन में मिलाकर खिलाएं। पुराने से पुराना पीलिया भी ठीक हो जायेगा।
- हींग का अजंत लगाने से पीलिया बहुत शीघ्र ठीक हो जाता है।
- शहद एवं गिलोय का काढ़ा मिलाकर पिलाने से पीलिया दूर हो जाता है।
- पुनर्नवा की जड़ साफ करके छोटे–छोटे टुकड़े काट लें। 20–21 टुकड़ों को धागे में बांधकर माला तैयार कर लें और रोगी के गले में पहना दें। कुछ दिन में ही रोग दूर हो जायेगा। स्वास्थ्य लाभ होने पर माला को वृक्ष पर डाल दें।
- एरंड के पत्तों का रस दस से बीस ग्राम तक गाय के कच्चे दूध में मिलाकर प्रातः सायं दिन में 2 बार दें। उसी दिन में पीलिया नष्ट हो जाता है।

## तिल्ली बढ़ना

- कड़वी तूंबी में छेद करके जल भर दें। प्रातः इसका दस ग्राम जल पिला दें। प्लीहा नष्ट हो जायेगी
- नौशादर एक ग्राम प्रतिदिन पके पपीते के साथ खिलाने से जिगर एवं तिल्ली ठीक हो जाती है।
- शंख भस्म दो ग्राम को नींबू के 6 ग्राम रस में मिलाकर पीने से कछुए के समान कठोर प्लीहा एवं यकृत भी यथा स्थान आ जाता है।
- सज्जीखार एवं यवक्षार दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें से एक ग्राम चूर्ण प्रतिदिन गर्म पानी से खिलाएं इससे तिल्ली कट जायेगी।

## खांसी

- केले के सूखे पत्ते (पीले पत्ते) को कूट–पीसकर कपड़छान कर लें। आधा–आधा ग्राम दवा शहद में मिलाकर कई बार चटायें। काली खांसी की अचूक एवं चमत्कारी दवा है।
- मक्का के बीज निकाले हुए भुट्टे को जलाकर राख बना लें। यह राख एक से दो ग्राम शहद में मिलाकर दिन में 2–3 बार चटाएं। काली खांसी की अति गुणकारी दवा है।
- नारियल का असली शुद्ध तेल 3–3 ग्राम में तीन बार दें। एक से चार वर्ष के बच्चों की काली खांसी के लिए अद्भुत योग है।
- दही दो चम्मच, चीनी एक चम्मच, काली मिर्च का चूर्ण 3 रत्ती मिलाकर चटाने से बच्चों की काली खांसी और बूढ़ों की खांसी से अद्भुत लाभ होता है।
- सरसों का तेल 10 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम दोनों को अच्छी तरह मिलाकर 21 दिन खिलाने से खांसी और हर प्रकार का दमा दूर हो जाता है।
- दिन में 3–4 बार गुदा पर सरसों का तेल लगाने से खांसी दूर होती है।

- हल्दी पिसी हुई 3 ग्राम, पानी के साथ दिन में 2–3 बार खाने से पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है।
- सिगरेट की राख एक ग्राम, शहद 10 ग्राम दोनों को मिला लें। एक से तीन ग्राम दवा दिन में 2 बार चटायें। काली खांसी के लिए रामबाण और चमत्कारी दवा है।
- भुनी फिटकरी एक रत्ती, चीनी 2 रत्ती दोनों मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। पांच दिन में काली खांसी ठीक हो जायेगी। बड़ों को दुगुनी मात्रा दें।

### छपाकी, पित्ती उगलना

- गुड़ 50 ग्राम, अजवायन 50 ग्राम दोनों को अच्छी तरह कूटकर 6–6 ग्राम की गोली बना लें। प्रातः सायं 1–1 गोली ताजा पानी के साथ दें। एक सप्ताह में आराम आ जायेगा।
- गेरू पिसा हुआ दो ग्राम उसमें शहद बीस ग्राम मिलाकर चटायें। पित्ती में आराम होगा।

### हिचकी लगना

- मोर के पंखों की भस्म आधा ग्राम शहद में मिलाकर चटाने से हिचकी बंद हो जाती है।
- सोंठ का चूर्ण एक ग्राम, मिश्री आधा ग्राम दोनों को मिलाकर सुंघाने से हिचकी रुक जाती है।

### जुकाम

- चनों को भुनवाकर गर्म–गर्म सूंघें। जुकाम के लिए फायदेमंद है।
- लौंग 3 नग लेकर 100 ग्राम पानी में पकायें। जब आधा पानी रह जाये तब उतार लें। जरा–सा नमक डालकर पिला दें। जुकाम ठीक हो जायेगा।

### बिच्छू दंश

- अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बिच्छू काटे स्थान पर लगाने से दर्द जादू की तरह दूर हो जाता है।
- इमली के बीज को इतना रगड़े कि लाल छिलका दिखने लगे। इस सफेद स्थान को बिच्छू के डंक पर चिपका दें। बीज उस स्थान पर चिपक जायेगा। जब तक जहर को पूर्ण रूप से चूस नहीं लेगा वहां से हटेगा नहीं।

### टी.बी. से बचाव

- लहसुन को विधिपूर्वक खाने वाले को टी.बी. रोग नहीं होता। लहसुन के प्रयोग से क्षय के कीटाणु मर जाते हैं। यह प्रबल कीटाणुनाशक है।

### बवासीर

- निबौली की गिरी 5 नग में थोड़ा–सा सेंधा नमक मिलाकर प्रातः सायं पानी से निगलें। 3–4 दिन के प्रयोग से ही लाभ मिलेगा।
- चार प्यालों में धारोष्ण गो दुग्ध लें। इन प्यालों में क्रमशः आधा–आधा नींबू का रस निचोड़कर पीते जाएं। 5–6 दिन में सब प्रकार की बवासीर में लाभ मिलेगा।
- आम के वृक्षों के बीच यदि कहीं नींम का वृक्ष मिल जाए तो उसकी 2 अंगुल लकड़ी तोड़कर रोगी की कमर में बांध दें। बवासीर में तुरंत लाभ होगा और कुछ दिन में जड़ से समाप्त हो जायेगी। चमत्कारी दवा है।
- खजूर के पत्ते जलाकर राख बना लें। यह राख दो–दो ग्राम दिन में 3–4 बार ताजा पानी से दें। शाम तक खून बंद हो जायेगा चाहे जितना खून बह रहा हो।
- प्रतिदिन 3 पके हुए गूलर खूनी बवासीर वाले रोगी को खिलाएं। 4–5 दिन में आराम हो जायेगा और रोग सदा के लिए समाप्त हो जायेगा।
- बरगद के नरम पत्ते 25 ग्राम को 250 ग्राम पानी में ठण्डाई की तरह पीस छानकर पिलाने से बवासीर का खून बंद हो जाता है। एक सप्ताह तक प्रयोग करें।
- सूखे नारियल की जटा जलाकर भस्म की 3–3 ग्राम की मात्रा में दिन में तीन बार खाली पेट छाछ या दही के साथ केवल एक ही दिन लें। बवासीर ठीक हो जायेगी।
- कड़वी तोरई के बीजों को पानी में पीसकर गुदा पर लेप करने से बवासीर जड़ से खत्म हो जायेगी।
- बारीक पिसी हुई चार ग्राम हल्दी को बकरी के दूध की लस्सी या पानी के साथ प्रातः सायं खिलाने से खूनी बवासीर दूर हो जायेगी।
- गेंदे के फूल 10 ग्राम, काली मिर्च सात नग दोनों को ठण्डाई की तरह घोट पीसकर छानकर पिला दें। खूनी बवासीर के लिए रामबाण है।
- प्याज का रस चालीस ग्राम में पचास ग्राम शक्कर मिलाकर, तीस–तीस ग्राम की तीन खुराक बना लो। चार–चार घंटे में दिन में तीन बार दें। दो दिन में ही आराम हो जायेगा।
- कीकर की कच्ची फली को छाया में सुखाकर कपड़छान चूर्ण कर लें। 6 ग्राम की मात्रा ताजा पानी से लें सब प्रकार की बवासीर, विशेषतः खूनी नष्ट हो जाती है। सैकड़ों बार का परीक्षित योग है।
- इमली के बीज छिलका रहित 50 ग्राम तवे पर भून लें। फिर पीस कर चूर्ण बना लें। प्रातः 6 ग्राम दही में मिलाकर खायें।

- दो सूखे अंजीर शाम को पानी में भिगो दें। सवेरे खाली पेट उनको खायें। इस प्रकार सवेरे के भिगोये दो अंजीर शाम चार–पांच बजे खायें। एक घंटा आगे–पीछे कुछ न लें। आठ दस दिन में बवासीर ठीक हो जायेगी।

### बवासीर के मस्से

- हल्दी के चूर्ण में थूहर का दूध डालकर बवासीर के मस्सों पर लेप करने से मस्से दूर हो जाते हैं।
- केवल थूहर का दूध भी कुछ दिन लगाने से मस्से दूर हो जाते हैं।
- आक के पत्ते अत्यंत बारीक पीसकर मस्सों पर लगाने से बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हैं।
- फिटकरी 10 ग्राम अत्यंत बारीक पीसकर 20 ग्राम मक्खन में मिला लें। मस्सों पर लगाने से बवासीर नष्ट हो जायेगी।

### हृदय रोगों के लिए

- अर्जुन की छाल का चूर्ण लगभग तीन चार ग्राम (एक चाय का चम्मच) 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिलाकर उबालें। जब पानी जलकर केवल दूध रह जाये तब उतार लें। इसे पीने योग्य होने पर छानकर रोगी को पिलायें। इससे समस्त हृदय रोग ठीक हो जाते हैं। हार्ट अटैक का डर नहीं रहता। हार्ट अटैक के समय रोगी को घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल का अनिश्चित धड़कना, दिल में तेज दर्द के साथ झटके महसूस होना, पसीने छूटना, चक्कर आना, जी मिचलाना, मूर्च्छित हो जाना, और कमजोरी का अनुभव होना आदि लक्षण होते हैं।

### अपानवायु मुद्रा

अंगूठे के पास वाली अंगुली को अंगुठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के अग्र भाग को बीच की दोनों अंगुलियों के अगले सिरे से लगा लें। सबसे छोटी अंगुली अलग रखे। इस स्थिति को अपान वायु मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा दोनों हाथों से एक साथ किसी सहज आसन में बैठकर या लेटे–लेटे की जानी चाहिए। यदि किसी का हार्ट अटैक या हृदय रोग एकाएक आरंभ हो जाये तो इस मुद्रा को अभ्यास करने से इंजेक्शन से भी अधिक प्रभावशाली समय में हार्ट अटैक को तत्काल रोका जा सकता है।

- कुटकी दो ग्राम, मुलहटी का चूर्ण 3 ग्राम दोनों को कूटपीसकर मिश्री के शरबत के साथ लेने से हृदय की गति कम होती है। परंतु शक्ति बढ़ती है।
- हिरन के सींग की भस्म 1 ग्राम, 3 ग्राम तक गर्म घी में मिलाकर चटाने से हृदय शूल में तुरंत आराम आ जाता है। अत्युत्तम एवं चमत्कारी दवा है।
- गिलोय एवं काली मिर्च दोनों को बराबर लेकर कपड़छान करें। प्रतिदिन 3–3 ग्राम चूर्ण जल के साथ लेने से हृदय की दुर्बलता ठीक होती है।
- आंवला सूखा और मिश्री दोनों 50–50 ग्राम लेकर कपड़छान चूर्ण कर लें। प्रतिदिन 6 ग्राम औषधि पानी से सेवन करने से हृदय के सभी रोग ठीक हो जाते हैं।
- अगर का चूर्ण शहद के साथ चाटने से बालकों का हृदय रोग ठीक होता है।

**(लेखक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं।**
**ई–मेल : drramkishannaidy97@gmail.com**

## अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता जारी रहेगी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अनुदान सहायता योजना एवं योजना के संशोधित दिशानिर्देशों को लागू करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है तथा वित्तीय नियम 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे। इस योजना के प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं, शिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि–उद्यान उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में आ रही रुकावटों को दूर करना है। साथ ही इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए वातावरण भी उपलब्ध कराना है। सहायता प्राप्त करने के लिए संगठनों की पात्रता इस प्रकार होगी:–

- कोई भी पंजीकृत स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन जो अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण कार्यों में लगा हुआ हो। संगठन के पंजीकरण को कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों।
- संस्थान या संगठन जिसकी स्थापना सरकार द्वारा स्वायत्त रूप में चाहे किसी कानून के तहत अथवा 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई हो।
- फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित सार्वजनिक न्यास। न्यास के पंजीकरण को कम से कम तीन वर्ष हो गये हों।

कैबिनेट समिति ने योजना की निगरानी करने तथा प्रबंधन के लिए आवंटित बजट का 2 प्रतिशत धन खर्च करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। (पसूका)

# विमला मेघवाल ने पाया गरीबी से छुटकारा

कविता जैन

निर्धनता, अज्ञानता, अशिक्षा, पर्दाप्रथा व ग्रामीण रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी एक अनुसूचित जाति की कर्मठ महिला विमला मेघवाल अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गई हैं और सभी को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही हैं। श्रीमती विमला मेघवाल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली चयनित वर्ग की जागरुक महिला हैं जिनकी सफलता का मूलमंत्र है, 'मेहनत कर, आगे बढ़'।

विपरीत सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने वाली विमला न केवल महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि स्त्री उत्थान की भी प्रतीक हैं। आइये, सुने विमला की कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी –

"मैं विमला मेघवाल, पत्नी श्री ताराचंद, ग्राम हरियासर, पोस्ट गाजूसर, तहसील सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली निर्धन महिला हूं। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करना मेरी जिंदगी का शगल बन चुका था। गरीबी के अभिशाप से त्रस्त एक दिन गांव में आयोजित महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिज्ञासावश मैंने भी भाग लिया, जहां कृषि विज्ञान केंद्र, सरदारशहर की गृह विज्ञान विशेषज्ञ कविता बहनजी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबी बनने की सलाह दे रही थीं। मेरी करुण व्यथा सुन उन्होंने मुझे केंद्र पर फरवरी–मार्च 2007 में 'फल व सब्जी परीक्षण' विषय पर आयोजित होने वाले सवा महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षणांतर्गत मैंने पूर्ण निष्ठा व लगन से स्थानीय उपलब्ध फल व सब्जियों के परिरक्षण व मूल्य संवर्धन की सैद्धांतिक व प्रायोगिक तकनीकी जानकारी प्राप्त की।

इस प्रशिक्षण की खासियत यह थी कि हमारे ही खेतों व गांवों में उगने वाली, व्यर्थ समझी जाने वाली, बरबाद कर दी जाने वाली खरपतवारों, वनस्पतियों व फल–सब्जियों के मूल्य संवर्धन के बारे में विस्तृत प्रायोगिक जानकारी दी गई जिससे कम लागत में परिरक्षण कर, वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है तथा निर्धन महिलाएं भी इसे कुटीर उद्योग के रूप में आसानी से अपना सकती हैं। प्रशिक्षणोपरांत मैंने गांव में अपने घर पर ही एक छोटी–सी दुकान खोलकर विभिन्न प्रकार के नमकीन, मीठा, चटपटा, खट्टा–मीठा अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम आदि बनाकर बेचना प्रारंभ कर दिया। मात्र 600 रुपये पूंजी निवेश कर मैंने यह व्यवसाय आरंभ किया। गत् 6 माह में मैंने लगभग 7000 रुपए का अचार बेचा है। कविता बहनजी की प्रेरणा से मैंने दुकान पर अन्य घरेलू सामान व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री रखनी भी प्रारंभ कर दी।"

*तूम्बे का अचार बनाने का प्रशिक्षण लेती विमला मेघवाल (दाएं से प्रथम)*

पूरे गांव में एक महिला द्वारा संचालित यह एक ही दुकान है। शुरुआत में परिवार तथा गांव की बुजुर्ग महिलाओं को समझाना टेढ़ी

खीर था। किंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि कोई गलत कार्य है तो वह है, 'दूसरों के आगे हाथ फैलाना' कड़ी मेहनत और पूर्ण निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता। इस प्रकार कई बाधाओं को पार करते हुए, बहनजी के मार्गदर्शन व पति के सहयोग से मैंने व्यवसाय का शुभारंभ किया। आज मैं प्रतिमाह लगभग 1500–2000 रुपए अचार बेचकर तथा 2000 रुपए दुकान पर अन्य घरेलू सामान व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बेचकर कमा लेती हूं।

इस प्रकार कुल मिलाकर मैं 3500–4000 रुपए प्रतिमाह कमाकर अपने परिवार के साथ प्रसन्न हूं। "घर बैठे यूं 4000 रुपए महीना" ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आजकल आस–पड़ोस की महिलाएं मुझसे सीखने आती हैं कि अपने ही खेत पर उगने वाली सब्जियों का मूल्य संवर्धन व सदुपयोग कैसे किया जाए? ससुराल व पीहर पक्ष दोनों ही मेरे गुणों की चर्चा करते नहीं थकते।

जहां पहले मैं मजदूरी करती और मेरी बेटी घर का काम, आज पथप्रदर्शक बहनजी की सलाह मान मैं रोज भेजती हूं अपनी लाड़ली को पास ही के विद्यालय में। चूल्हे–चौके से मुक्त अपनी बेटी को पढ़ते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है और ऐसा लगता है मानों उसकी मुस्कुराहट कहती है – 'आज लौटा है मेरा बचपन'। इस व्यवसाय को कुटीर उद्योग के रूप में अपनाकर मैं अति प्रसन्न हूं। सही बात तो यह है कि हमारे गांव की पिछड़ी हुई, अशिक्षित, पर्दे में छिपी ग्रामीण महिलाओं के मन में स्वावलंबन की भावना जागृत करने में सबसे ज्यादा योगदान है, कृषि विज्ञान केंद्र की गृह विज्ञान विशेषज्ञ का, जिनके मार्गदर्शन में अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।"

विमला की सफलता देखकर उसके परिवार जन तथा ग्रामवासी आश्चर्यचकित हैं कि निम्न वर्ग की यह महिला घर बैठे इज्जत से स्वरोजगार कर रही है। विमला द्वारा अचार बनाते समय रखी गई साफ–सफाई तथा स्वाद दोनों के चर्चे पूरे गांव में फैले हैं। अपनी मेहनत, लगन, सीखने की ललक, कार्यकुशलता, आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय के बल पर आज आत्मनिर्भर बन विमला अपने गांव के लिए एक आदर्श है। हरियासर ग्रामवासी विमला पर न केवल गर्व करते हैं अपितु अपनी बेटियों को उसी की तरह बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

विमला तो बस एक उदाहरण हैं, न जाने कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं हमारे आस–पास ही। जरूरत है उनकी आंतरिक शक्ति को पहचानने व उभारने की। यदि आप में भी ललक है कुछ कर दिखाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, तो तोड़िये इन रूढ़िवादी बेड़ियों को, बदलिये अपनी दकियानूसी सोच को, स्वरोजगार अपना कर दीजिये अपनी जिंदगी को नया आयाम, आत्मनिर्भर बनिए और बढ़ाइये एक कदम सफलता की ओर...

**(लेखिका गृह विज्ञान विशेषज्ञ हैं।)**
ई–मेल : kavitajain25-@yahoo.com


## कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

***विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक***
***प्रकाशन विभाग***
***पूर्वी खंड-4, तल-7***
***रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066***

| | | |
|---|---|---|
| मूल्य एक प्रति | : | 10 रुपये |
| वार्षिक शुल्क | : | 100 रुपये |
| द्विवार्षिक | : | 180 रुपये |
| त्रिवार्षिक | : | 250 रुपये |
| **विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)** | | |
| पड़ोसी देशों में | : | 530 रुपये (वार्षिक) |
| अन्य देशों में | : | 730 रुपये (वार्षिक) |


## हमारे आगामी अंक

**सितंबर, 2008** – ग्रामीण विकास में शिक्षा का महत्व।
**अक्तूबर, 2008** – विशेषांक ग्रामीण स्वास्थ्य पर आधारित होगा।
**नवंबर, 2008** – श्वेत क्रान्ति।
**दिसंबर, 2008** – भारतीय जनजातियों पर आधारित होगा ।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, परिवहन, सड़कें, बिजली, कृषि व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे । उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं । पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

# तेरह भारतीय भाषाओं में हमारी पुस्तकें

## क्षेत्रीय सुगंध से महकता गुलदस्ता

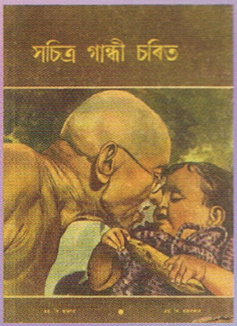


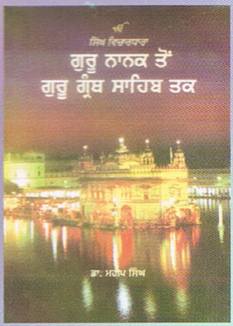

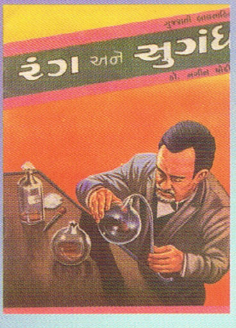


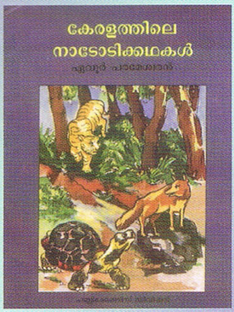


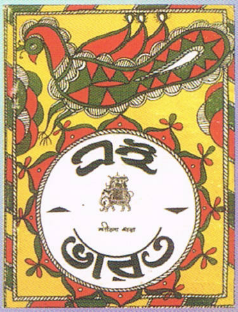

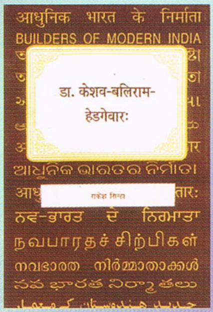


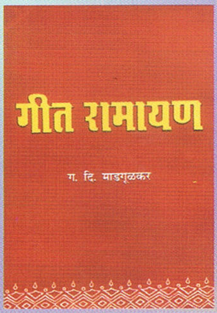


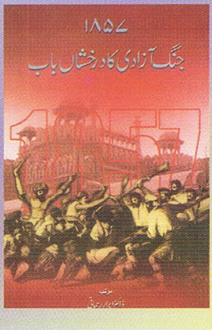


**प्रकाशन विभाग**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनऊ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in

e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2006–08
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2006–08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना